Tuesday, 19 June, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृ०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६० और २८६२ से २८६९ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७९
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्यां १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जन, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४६००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन	४६००—०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी	४६०५—०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १६६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०१७—१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१६
१. सीमा शल्क विधेयक	५०१६
२. विशिष्ट सहायता विधेयक	५०१६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	५०१६—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१६—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५६—६४

विषय	पृष्ठ
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वरा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय . . .	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६९० ३६९२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६८
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [**श्री अ० त्रि० शर्मा** का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [**श्री इन्द्रजीत गुप्त** का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [**श्री अ० क० गोपालन का**]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [**श्री वी० चं० शर्मा का**]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [**श्री दी० चं० शर्मा** का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का**]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [**श्री हेम राज का**] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**]	५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] . .	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . .	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया .	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . .	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्ध्या का] .	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	५७९४–९९
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९९–५८०२
विदाई भाषण .	५८०२
दैनिक संक्षेपिका . .	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, १९ जून, १९६२

२९ ज्येष्ठ, १८८४ शक

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सेवा और भर्ती सम्बन्धी आदर्श नियम

+

†*१५३८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री मुरारका :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों के लिये सेवा और भर्ती सम्बन्धी आदर्श नियम तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसे अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिये एक नोट परिचालित किया है जिस में भर्ती करने के बारे में मुख्य सिद्धान्त बताये गये है । उस नोट की एक प्रति १४ अप्रैल, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १५२० के उत्तर में सभा-पटल पर रखी गई थी । इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन उपक्रमों के बोर्ड अपने अपने यूनिटों में परिस्थिति और दशा के उपयुक्त तरीके अपना सकते है ।

†मूल अंग्रेजी में

1258 (Ai) LSD—1.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये आदर्श भर्ती नियमों का प्रारूप पहले उन को परिचालित किया जा चुका हैं ताकि उन के बोर्ड को अपने उपक्रम की परिस्थिति के लिये उपयुक्त नियम और प्रक्रिया बनाने में सहायता मिल सके। इन आदर्श नियमों को अन्तिम रूप देने के बारे में अभी विचार किया जा रहा हैं।

जैसाकि सदन को ज्ञात हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ठीक और कुशलता से कार्य करने के लिये प्रत्येक सहायता देने के साथ साथ भारत सरकार की यह नीति हैं कि वे स्वायत्त निकायों की तरह काम करें।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इन सभी उपक्रमों में व्यक्तियों की भर्ती के लिये एक परीक्षा करने का प्रस्ताव हैं ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं। अब सभा-पटल पर रखे गये विवरण से, वर्ष १९६० में सभा-पटल पर रखे गये नोट से और अगस्त, १९६१ में दिये गये एक प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट है कि कुछ निर्देश दिये गये है और मार्गदर्शन किया गया हैं। प्रत्येक उपक्रम, जो एक स्वायत्त निकाय हैं, भर्ती के अपने तरीके बनायेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा बनाये गये चालू सेवा और भर्ती नियम सरकार को परीक्षणार्थ भेजे गये है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन की परीक्षा की हैं और सुझाव दिये है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रत्येक प्रशासी मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन समवायों से सम्बन्धित भर्ती के नियमों का परीक्षण करता है।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं हैं कि इन आदर्श नियमों, जो सरकार के विचाराधीन है, के अभाव में, अर्हता निर्धारित की गई हैं और तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गई है और इस पर जनता ने काफी आलोचना की है ?

†**श्री कानूनगो :** इस बारे में मुझे पता नहीं हैं। कम से कम संसदीय वाद-विवाद में यह बात नहीं उठी हैं। मैं तो यह कहूंगा कि किसी विशेष संस्थान में प्रत्येक कार्य विशेष प्रकार का है। मोटे तौर को छोड़ कर इस का अन्य से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जहां तक मोटी बातों का संबंध हैं, सरकार के निदेश सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या प्रबन्धक पदों के लिये भर्ती नियम प्रशासनिक और क्लेरीकल पदों के लिये भर्ती नियमों से भिन्न है ?

†**श्री कानूनगो :** स्पष्टतः क्योंकि क्लेरीकल पद निम्न स्तर पर हैं और प्रबन्धक पद उच्च स्तर पर। प्रबन्धक व्यक्ति औद्योगिक प्रबन्ध पूल से लिये जाते है।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** इन उपक्रमों की सेवाओं के लिये भर्ती के नियमों के बारे में क्या मुख्य बातें बताई गई है ?

†**श्री कानूनगो :** माननीय सदस्य वर्ष १९६० में सभा-पटल पर रखे गये विवरण को पढ़ें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रख गये विवरण में कहा गया है :

"सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये आदर्श भर्ती नियमों का प्रारूप पहले उन को परिचालित किया जा चुका है ताकि उन के बोर्ड को अपने उपक्रम की परिस्थिति के लिये उपयुक्त नियम और प्रक्रिया बनाने में सहायता मिल सके। इन आदर्श नियमों का अन्तिम रूप देने के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।"

क्योंकि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जवाबदेही सरकार के साथ साथ संसद् में दी जावेगी, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन आदर्श नियमों का, अन्तिम रूप देने से पूर्व, संसद् के समक्ष रखा जायेगा ताकि संसद् जो संशोधन उचित समझे कर सके ?

†**श्री कानूनगो** : आदर्श नियम केवल उल्लेख मात्र हैं। ऐसा नहीं है कि वे सभी संस्थानों में पूर्ण रूप से लागू हों। यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जिस के आधार पर प्रत्येक संस्थान अपने नियम बनायेगा।

जहां तक संसद् का सम्बन्ध है, जब प्रारूप आदर्श नियम तैयार हो जायेंगे मैं उन्हें सभा पटल पर रख दूंगा।

दिल्ली में ग्राम आवास परियोजना

†*१५३९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ग्राम आवास परियोजना सफल सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे अन्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) और (ख). उन छः गांवों, जिनमें पहले यह योजना लागू की गयी थी, के अतिरिक्त, इसको इस वर्ष सात अन्य गांवों में लागू किया जा रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस योजना, जिसको अब बढ़ाया जा रहा है, के अधीन, इनके सम्बन्ध में परियोजनाओं का निर्माण कहां तक हुआ है ? उस पर कितना व्यय हुआ है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : दिल्ली में इसको लगभग २० गांवों में लागू किया जाना था। पहले वर्ष में छः गांवों में लागु की गयी। अब प्रशासन इस वर्ष इसको सात अन्य गांवों में लागू कर रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस परियोजना के अधीन कोई आदर्श आवास योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो कम से कम कितनी राशि रखी गयी है और यह निम्न आय वर्ग में है या मध्य आय वर्ग में या किसी अन्य आय-वर्ग में ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह योजना निम्न आय-वर्ग और मध्य आय-वर्ग आवास योजनाओं के लिये पृथक पृथक है। इस योजना के अधीन अधिकतम २००० रुपये का ऋण दिया जा सकता है। यह योजना मुख्यतः सहायता-प्राप्त स्व-सहायता पर आधारित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सोनावने : योजना का स्वरूप क्या होगा, किन व्यक्तियों को इससे लाभ होगा और योजना का ब्यौरा क्या है ?

†श्री जगन्नाथ राव : यह योजना ग्रामीणों की नये मकान बनाने में अथवा पुराने मकानों का नवीकरण करने में सहायता देने के लिये हैं।

†डा० क० ल० राव : क्या इस ग्रामीण आवास योजना के लिये पानी के संभरण की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है ?

†श्री जगन्नाथ राव : जी, हां। योजना का यह भी एक मुख्य उद्देश्य है।

श्री लहरी सिंह : इस ऋण के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों से कितने प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा ?

†श्री जगन्नाथ राव : लगभग पांच प्रतिशत।

तिब्बती शरणार्थी

+

†*११४०. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कुल कितने तिब्बती शरणार्थी हैं ;

(ख) उन्हें सहायता, रोजगार तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न और व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये स्वयं दलाई लामा ने क्या आर्थिक व अन्य सहायता दी है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लगभग ३२,३०० ।

(ख) सरकार सभी तिब्बती शरणार्थियों को भोजन, कपड़े, आवास स्थान और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे रही है। कृषि पर लगभग ८००० व्यक्ति स्थायी रूप से बसाये गये हैं अथवा बसाये जा रहे हैं। बाकी योग्य श्रमिकों में से अधिकांश सड़क कार्य पर नियोजित हैं। आवश्यकतानुसार बच्चों के लिये रेज़िडेन्शल और दिन के स्कूल खोल दिये गये हैं।

(ग) दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों के लिये कुल कल्याणकारी कार्यवाहियों में अंशदान किया है।

†श्री हरि विष्णु कामत : देश भर में कुल कितने शरणार्थी शिविर हैं और जहां पर ये शिविर हैं, उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं सभी शिविरों के नाम तो नहीं बता सकता परन्तु मैसूर में स्थायी शिविर है जहां अब लगभग ३००० व्यक्ति हैं और इसमें अधिक व्यक्ति होने की आशा है। वह तिब्बती शरणार्थियों की नियमित बस्ती है। कुछ और बस्तियां—एक उड़ीसा में और एक उत्तर प्रदेश में—बनाने का प्रस्ताव है।

†मूल अंग्रेजी में

हमें स्थान की जलवायु का भी ध्यान रखना है क्योंकि अधिक उष्ण जलवायु तिब्बतियों के लिये उपयुक्त नहीं है। एक शिविर नेफा में है। दलाई लामा स्वयं डलहौजी मे रहते हैं और उनके पास बड़ी संख्या में तिब्बती बच्चे हैं, माता-पिता यह समझ कर उन्हें वहां छोड़ गये हैं कि दलाई लामा उनकी देखभाल करेंगे। अब यह विचार है कि रूसी बाल ग्राम की प्रकार का एक बाल-ग्राम बनाया जाये। उस पर विचार किया जा रहा है। लद्दाख में भी बहुत से लोग हैं और विभिन्न स्थानों पर युवक तिब्बती सड़क सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को ऐसी कोई रिपोर्टें मिली है कि पिछले दिनों तिब्बती शरणार्थियों के साथ साथ कुछ चीनी भेदिये अथवा एजेंट भारत में घुस आये हैं, और यदि हां, तो क्या शरणार्थियों को भारत में प्रवेश देने से पहले सरकार ने कोई जांच की है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ जांच की गई है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह सदैव सफल होता है परन्तु कुछ जांच की गयी और कुछ व्यक्तियों को उन से पृथक किया गया।

†श्री हरि विष्णु कामत : जो आधार मैंने बताया, उस पर ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, हां।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का यह इरादा है कि ये पुनर्वास उपाय इस प्रकार किये जायें कि ये शरणार्थी धीरे धीरे भारतीय नागरिक बन जायें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उनको भारतीय नागरिक बनाने का कोई इरादा नहीं है। तथापि, यदि वे शर्तें पूरी करें, तो भारतीय नगरिक बन सकते हैं परन्तु मुख्य उद्देश्य उनको तिब्बती मानना है जिनकी भाषा तिब्बती है, संस्कृति तिब्बती है, धर्म आदि तिब्बती है। इसके अतिरिक्त, वे हिन्दी सीखते हैं और बाज दफा थोड़ी सी अंग्रेजी भी सीखते हैं।

†डा० मा० सी० अणे : क्या उन्हें विशिष्ट बस्तियों मे ही रखा जाता है अथवा वे जहां चाहें जा सकते हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे ठीक पता नहीं है। परन्तु वे जहां चाहें जा सकते हैं परन्तु उनके लिये भाषा और अन्य बातों के कारण ऐसा करना कठिन है।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि चीन सिनेमा स्लाइडों, भाषणों, रेडियो द्वारा प्रसारण के जरिये इस बात का प्रचार कर रहा है कि तिब्बती शरणार्थियों से इस देश में अधिक काम लिया जाता है और उनकी दशा शोचनीय है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस चीनी प्रचार के विरोध में कोई प्रचार-कार्य आरम्भ किया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य का प्रश्न समझना कठिन है। हमने कोई प्रचार नहीं किया है।

†श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इसका पता है।

†अध्यक्ष महोदय : कोई विरोधी प्रचार नहीं किया गया है। उत्तर दिया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**श्री बड़े :** क्या ऐसी कोई स्वायत्त सोसाइटी है जिसके जरिये तिब्बती विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है और जिसके शिक्षा मंत्री स्वयं राष्ट्रपति हैं और यदि हां, तो इस सोसाइटी द्वारा तिब्बती विद्यार्थियों पर कितना धन व्यय किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कौन सी सोसाइटी ?

†**श्री बड़े :** यह गैर-सरकारी संस्था है। यहां पर यह बताया गया है कि विस्थापित तिब्बतियों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीयित एक स्वायत्त सोसाइटी बनाई गयी है। मैं यह पूछ रहा हूं कि कितना धन व्यय किया गया है और सोसाइटी को कितना अनुदान दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे केवल एक सोसाइटी का पता है। "तिब्बती शरणार्थी सहायता सोसाइटी" जिसके, मैं समझता हुं, आचार्य कृपलानी सभापति हैं। किसी और सोसाइटी का मुझे पता नहीं है।

†**श्री बड़े :** यहां पर यह लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री सोसाइटी के सभापति हैं। दलाई लामा सदस्य हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इसको कोई सहायता दी गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विद्यार्थियों के बारे में, बच्चों के लिये स्कूलों की व्यवस्था करने के लिये हम बड़े इच्छुक हैं और शिक्षा मंत्री से सदा परामर्श किया जाता है ; वास्तव में इस बारे में वह बड़ा कार्य करते हैं। मुझे यह पता नहीं है कि वहां कोई विशेष अथवा उप-समिति है या नहीं और वह इस सोसाइटी के सदस्य हैं या नहीं। परन्तु तिब्बती शरणार्थी सहायता सोसाइटी को सरकार के साथ कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि इसका सरकार से सम्पर्क है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने प्रयत्नों के बावजूद भी ऐसे कितने तिब्बती शरणार्थी हैं जो ट्रांजिट कैम्पों में पड़े हुए हैं और देर से देर कब तक उनके पूरी तरह से बसाये जाने की उम्मीद की जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में नहीं आया। मैंने अभी नम्बर दिया था कि शायद ३२ हजार हैं वह कुल, और वह रहेंगे। उनको मदद करने को कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। जब तक उनको जरूरत होगी उनको मदद दी जाएगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरा मतलब यह था कि जिनको स्थाई रूप से बसाया जा चुका है उनके अलावा कुछ ऐसे हैं जो अभी भी ट्रांजिट कैम्पों में पड़े हुए हैं। उनकी हालत खराब है। मैं उनके बारे में जानना चाहता था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि कितने कैम्पों मे पड़े हैं सिवाय उनके जो नए आए हों और ट्रांजिट कैम्प में हों, इन कैम्प वालों को भी कुछ काम वगैरह दिया जाता है।

†**श्री नाथ पाई :** क्या इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये किसी विदेश से कोई सहायता मिल रही है और यदि हां, तो देशों के क्या नाम हैं और सहायता की राशि क्या है? दूसरे क्या सरकार की नीति विदेशी अभिभावकों द्वारा तिब्बती बच्चों को गोद लिये जाने की अनुमति देने की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं सरकार को प्राप्त सहायता की रकम के ठीक आंकड़े नहीं बता सकता। न्यूजीलैण्ड की सरकार सहायता कर रही है और आस्ट्रेलिया की सरकार ने भी कुछ धन दिया है। स्विटजरलैंड और ब्रिटेन की सरकार ने भी कुछ धन दिया है। अमरीका ने गैर-सरकारी समिति की सहायता की है और कुछ हद तक दवाइयां और अन्य चीजें भी भेजी हैं।

†**श्री नाथ पाई :** क्या सरकार विदेशी अभिभावकों द्वारा तिब्बती बच्चों को गोद लिये जाने को प्रोत्साहन दे रही है और यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने बच्चे जा चुके हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमने ऐसे किसी दत्तक-ग्रहण को प्रोत्साहन नहीं दिया है। लगभग बीस बच्चे स्विटजरलैण्ड में किसी संस्था द्वारा उनके माता-पिता के साथ स्विटजरलैण्ड ले जाये गये। सम्भवत: वे वहां बच्चे बाल-ग्राम मे हैं। दत्तक-ग्रहण के बारे मे मैंने कुछ नहीं सुना है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मूल प्रश्नकर्त्ता को एक और अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दें।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले ही दो की अनुमति दे चका हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सामान्यत : आप तीन प्रश्न पूछने देते हैं।

पेटेन्ट प्रणाली के अन्तर्गत दवाइयों की कीमतें

†*१५४१. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में पेटेंट प्रणाली के अन्तर्गत दवाइयों की ऊंची कीमतों के बारे में मेजर जनरल सोखी द्वारा लिखे गये एक लेख की ओर जो "इकानामिक्स वीकल वार्षिक अंक (फरवरी १९६२) में प्रकाशित हुआ है, गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये लेख में जो सुझाव दिये गये हैं उन के बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार पेटेन्ट के बारे में वर्तमान नियम के पुनरीक्षण के बारे में सक्रिय रूप से विचार करती रही है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस सदन में इस बारे में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। इस विधेयक में मेजर जनरल सोखी के लेख की बातों को भी शामिल किया जायेगा।

†**श्री मे० क० कुमारन** : इस बात को लगभग दो वर्ष हो गये हैं जबकि जस्टिस राजगोपाल आयंगर की एक सदस्यीय समिति ने और योजना आयोग के विशेषज्ञ-दल ने यह सिफारिश की थी कि पेटेन्ट नियम का पुनरीक्षण किया जाये क्योंकि यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये हानिकारक है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में क विधान बनाने में सरकार इतनी सुस्ती क्यों बरत रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : विधेयक को सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा और माननीय सदस्य को पता लगेगा कि यह कितना पेचीदा मामला है ।

†श्री मे० क० कुमारन : मेजर जनरल सोखी ने अपने लेख में भारत सरकार द्वारा मर्क के साथ किये गये करार का उल्लेख किया है । क्या रिशीकेश संयंत्र स्थापित किये जाने के बाद भी वह करार, जिस के अधीन मर्क को रायल्टी दी जाती है, लागू रहेगा ?

†श्री कानूनगो : यह करार है और जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता, यह लागू रहेगा ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि विदेशी पेटेन्ट हमें सभी रायल्टी से, जो हम देते हैं, मुक्त कर रहे हैं और यदि नहीं, तो उस को ध्यान में रखते हुए सरकार दवाईयों के अधिक मूल्य को किस प्रकार कम करेगी ?

†श्री कानूनगो : जब तक विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जाता, माननीय सदस्य धैर्य रखें ।

†श्री तिरुमल राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का ध्यान इस बारे में स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई इस सिफारिश की ओर आकृष्ट किया गया है कि विदेशी सहयोग भारत में निर्मित औषधियों के लिये बहुत अधिक मूल्य रख रहे हैं ?

†श्री कानूनगो: मूल्य में कोई सहयोग नहीं है । उच्च मूल्य का कारण विदेशी सहयोग नहीं है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

+

†*१५४२. { श्री महेश्वर नायक : श्री बी० चं० शर्मा : श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेरीलीन वस्त्रों के बदले मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये भारत, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने अमरीका और ब्रिटेन में गैर-सरकारी फर्मों के साथ मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बदले टेरीलीन वस्त्रों का आयात स्वीकार किया है । वस्तु-विनिमय का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†श्री महेश्वर नायक : देश में टेरीलीन की कुल कितनी आवश्यकता है ?

†श्री मनुभाई शाह : आवश्यकता केवल सीमित है । यह केवल विदेशों में मैंगनीज अयस्क बेचने के लिये है जिस की विदेशी मंडी है और वस्तु विनिमय का तरीका निकाला गया है ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या देश में टेरीलीन की आवश्यकता इतनी आवश्यक है कि हमारे मैंगनीज का निर्यात करना पड़ा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : कुछ मामलों में मैंगनीज अयस्क के बदले उर्वरक लिये जाते हैं, कुछ में कई और कुछ में वे वस्तुएं ली जाती हैं जो देश के आयात कार्यक्रम में शामिल की गई हैं ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : इस सौदे में कितने मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक लाख टन जिस में लगभग ७०,००० टन घटिया किस्म का है और ३०,००० टन सामान्य श्रेणी का है ।

डा० गोविन्द दास : यह जो मेंगनीज का पत्थर बाहर जायेगा वह किस किस क्षेत्र से जायेगा, और जो बाहर जाने वाला है यह मैंगनीज का पत्थर इस का निर्यात कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक इस बारटर का ताल्लुक है यह पत्थर शिवराजपुर माइन्स से जायेगा और थोड़ा सा मैसूर की माइन्स से भी जायगा । जहां तक सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, हम काफी बड़ी तादाद में (१५–२० लाख टन)—मैंगनीज बाहर भेजना चाहते हैं और उस में से ११ लाख टन का तो कांट्रेक्ट भी हो चुका है ।

†**श्री दाजी** : देश में कितने टेरीलीन वस्त्र का निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ७०० टन ।

अखबारी कागज और कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में कमी

†*१५४३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की आशंका है कि अखबारी कागज और कृत्रिम रबड़ के उत्पादन के लिये तीसरी योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे ।

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). यह आशा की जाती है कि अखबारी कागज और कृत्रिम रबड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा । सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये, कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन के और अन्य उद्योगों के लक्ष्य पूरे किये जायें, सभी आवश्यक कदम उठायेगी ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : अखबारी कागज के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इस ओर क्या कार्य किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : कुल १५०,००० टन के लिये तीन लाइसेंस दिये गये हैं जो काफी अधिक हैं । लाइसेंसधारी मशीनों आदि का क्रयादेश देने के लिये क्रियाकारी कदम उठा रहे हैं । हमें संतोष है कि यह सम्भव है कि तृतीय योजना के अन्त तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : जहां तक कृत्रिम रबड़ का सम्बन्ध है, लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और देश की क्या आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : जहां तक कृत्रिम रबड़ का सम्बन्ध है, हमारा लक्ष्य ५०,००० टन का है। इस वर्ष के अन्त तक एक लाइसेंसधारी, जिस की क्षमता ३०,००० टन है, उत्पादन आरम्भ कर देगा। बाकी २०,००० टन के लिये हम अन्य लाइसेंसधारी के आगे आने की आशा कर रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : अखबारी कागज के तीनों कारखानों के लिये लाइसेंस दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह तीनों कारखाने प्राइवेट सैक्टर में हैं या पबलिक सैक्टर में हैं और अगर पबलिक सैक्टर में हैं तो उन पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री कानूनगो : एक प्लांट का पबलिक सैक्टर में ऐक्सपैंशन हो रहा है लेकिन यह तीनों कारखाने प्राइवेट सैक्टर में हैं।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : इस समय जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना बन रहा है वह अल्कोहल पर आधारित है। क्या सरकार कृत्रिम रबड़ बनाने के लिये अल्कोहल के अतिरिक्त कच्चे माल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देगी और यदि हां, तो उत्पादन-लागत पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : यदि कोई प्रस्ताव आया तो उस पर विचार किया जायेगा और विकास शाखा से बातचीत की जावेगी। इस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि इस समय देश में जो अखबारी कागज बनाया जा रहा है वह आयातित कागज से महंगा है और यदि हां, तो स्थापित किये जा रहे तीन कारखानों में उत्पादन-लागत कम करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : यह सच है कि विभिन्न कारणों, लगभग ऐतिहासिक, से नेफा में उत्पादन लागत इतनी कम नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिये थी। हाल में, हमने विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया था और उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं, जिन का परिणाम यह होगा कि उत्पादन-लागत कम हो जावेगी। जहां तक अन्य कारखानों का सम्बन्ध है, हमें सन्तोष है कि उत्पादन संयंत्र ऐसा है कि यह अधिक महंगा नहीं होगा।

पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय मछुओं का अपहरण

+

†*१५४४. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ मई, १९६२ को सशस्त्र पाकिस्तानियों का एक गिरोह पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर ज़िले में भारतीय इलाके में घुस आया था और उस ने एक भारतीय मछुवे का अपहरण कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) २३ और २४ मई १९६२ को पूर्व पाकिस्तान राइफ़ल्स के हथियारबंद कर्मचारियों की छोटी छोटी टुकड़ियां, पश्चिम दीनाजपुर ज़िले के भटसाल नामक गांव में, भारतीय इलाके में घुस आईं, लेकिन जैसे ही

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय पुलिस का एक मजबूत दस्ता उस जगह पर पहुंचा, वैसे ही वे वापस चली गईं। पाकिस्तानी टुकड़ी एक भारतीय मछुवे को पकड़ ले गई थी, लेकिन भारतीय पुलिस दल के नायक के हस्तक्षेप करने पर उसे बाद में छोड़ दिया गया।

(ग) जी हां। हमारे जिला अधिकारियों और राज्य सरकार ने पूर्व पाकिस्तान के जिला अधिकारियों और राज्य सरकार के पास विरोध-पत्र भेजे थे। भारत सरकार ने भी राजनयिक माध्यम से विरोध-पत्र भेजा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् यह घटना २३ और २४ मई को हुई। मैं जानना चाहता हूं कि भगरत सरकार की ओर से कब विरोध पत्र भजा गया और पाकिस्तान सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया है?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी अर्ज किया कि यह विरोध-पत्र तीन जगह से दिये गये। जिला अधिकारियों ने और राज्य सरकार ने इसके बारे में फौरन विरोध-पत्र भेजे। जैसे ही भारत सरकार को इसकी खबर मिली तो हमने भी पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेज दिया है लेकिन अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चूंकि इस तरह की घटनायें कुछ दिनों से बढ़ती चली जा रही हैं जिनसे कि सीमावर्ती जनता के अन्दर आतंक फैलना स्वाभाविक है तो इस सम्बन्ध में क्या कुछ और कठोर कदम उठाने का विचार किया जा रहा है या कोई इस तरह के कदय उठाये गये हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं तो नहीं समझता कि यह बढ़ती जाती हैं। मैं इन को बहुत खतरनाक नहीं समझता। यह बद-तमीजी की बातें हैं जिनका कि इन्तजाम काफी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कर्नल भट्टाचार्य को पाकिस्तान सरकार ने जब गिरफ्तार किया था तब वह भारतीय प्रदेश में थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न एक विशष घटना के बारे में है जो एक विशेष तिथि को हुई।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारतीय प्रदेश पर आक्रमण किया जाता है अथवा भारतीय प्रदेश का पूर्व पाकिस्तान से सिपाही उल्लंघन करते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार इन व्यक्तियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ लोग सीमा पार आते हैं। वे सीमा में घुसे और उन्हें खदेड़ दिया गया। मुझे पता नहीं है कि परिस्थिति क्या थी, क्या उनको आसानी से गिरफ्तार करना सम्भव है। इसमें आपस में गोली वर्षा का मैच हो सकता है। मैं समझता हूं उनको खदेड़ना ठीक था।

श्री रामेश्वरानन्द : अनेक बार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं कि पाकिस्तानी भारतीयों को पकड़ कर ले गये तो क्या कभी भारतीय भी उनको पकड़ कर लाये हैं? क्या इस का उचित प्रबन्ध हो सकेगा कि भारतीयों को इस प्रकार अनाथों की तरह पकड़ कर न ले जाया जाय?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने कहा अनेक बार ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। पहले से कुछ कम होती हैं। भारतीयों ने कभी उनको पकड़ा या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में कभी कभी यह लिखा जाता है कि भारतीय पाकिस्तानियों को पकड़ कर ले गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय भूमि से भारतीयों का अपहरण, जिसमें हमारी भूमि से कर्नल भट्टाचार्य का अपहरण भी शामिल है, पाकिस्तान के लिये रोजमर्रा का मामला है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार हमारे प्रदेश में पाकिस्तान की इस कार्यवाही को अनुमति देती रहेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि यह अब रोजमर्रा का काम है। केवल विवादग्रस्त प्रदेश में हुआ, अर्थात् चितलैण्ड जिसे पाकिस्तान अपने कब्जे में दावा करता है अथवा ऐसा कोई विवाद है। यह नदी के मध्य मे हुआ जहां पाकिस्तान कहता है कि यह पाकिस्तान का प्रदेश है अथवा पाकिस्तान का पानी है। मैं समझता हूं कि इन घटनाओं मे कमी हो रही है और जब इनका समाधान हो जायेगा और सीमा खींच दी जायेगी, ये घटनायें भी कम होंगी।

श्री सरजू पाण्डेय : अभी प्रधान मन्त्री जी ने बतलाया कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बदतमीजी हुई है, थोड़ी ही सही लेकिन हो रही है तो क्या कोई नया कदम सरकार इस बदतमीजी को ठीक से रोकने के लिए उठा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माफ कीजियेगा मैं समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि ऐसी बदतमीजियां कई दफा होती हैं तो वह कहते हैं कि इनको बन्द करने के लिये क्या सरकार कोई नया कदम उठा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पुराना कदम काफी मालूम होता है।

बिहार के वन के एक भाग पर नेपाल का दावा

\+

†*१५४५. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नाथ पाई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने बिहार के चम्पारन जिले के तरक्षाही वन के एक भाग पर अपना दावा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल सरकार को इस सम्बन्ध में क्या उत्तर भेजा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). यह सच है कि नेपाल सरकार ने बिहार के चम्पारन जिले में नरशाही वन के एक छोटे भाग पर अपना दावा किया है। इस मामले पर एक ओर भारत सरकार और बिहार और दूसरी ओर भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच पत्र-व्यवहार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। नेपाल सरकार को अन्तिम उत्तर नहीं भेजा गया है।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या नेपाल ने अन्य किसी स्थान पर भी दावा किया है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : नहीं श्रीमान्।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि यह जंगल अभी हम लोगों के कब्जे में है और हमारे कागज पत्तर से भी मालूम होता है कि वह हिन्दुस्तान का है तो क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार को ऐसी सूचना दी है कि वह कागज पत्तर में हमारा भाग है और हमारे कब्जे में है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सवाल बहुत वर्षों से चला आ रहा है। आजादी के पहले से यह सवाल चला आ रहा है काफी पुराना सवाल है। हमारे कागज पत्तर में जो कुछ है वह हमारे हक में है उनके कागज पत्तर में कुछ और ही लिखा हुआ है। अब इसी बात पर बहस हुआ करती है। पुराना झगड़ा है जरा से जंगल के हिस्से का सवाल है। वह इतनी अहमियत नहीं रखता है और हमें मिल कर तय कर लेना चाहिए कि वह इधर रहे या उधर।

श्री भक्त दर्शन : अभी सरकार की ओर से बताया गया है कि नरशाही फारेस्ट पर नेपाल सरकार का कब्जा नहीं है केवल दावा है जबकि बिहार की विधान परिषद् में वहां के मन्त्री महोदय की ओर से कहा गया था कि उस पर दो साल से नेपाल का कब्जा है। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या क्या है, इस पर प्रकाश डाला जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा ख्याल है—ठीक मालूम नहीं है—कि कब्जा उनका नहीं है लेकिन कुछ नेपाली लोगों ने आकर उस जंगल से दरख्त काट लिये थे और इस पर बिहार सरकार ने एतराज किया था।

†श्री हेम बरुआ : इस बात का ध्यान रखकर कि नेपाल और हमारे देश की सीमा अप्रत्यक्ष है जैसी कि अमरीका-कनाडा की सीमा है, क्या सरकार का विचार इस सीमा को निर्धारित करने का है ताकि नेपाल इस प्रकार के कोई और दावे न कर सके ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पन्द्रह मील के इस क्षेत्र को छोड़कर जहां भी सीमा है सीमांकन हो चुका है। दोनों देशों में वार्ता हो रही है और सम्भावना है कि यह समस्या बहुत जल्द निपट जायेगी।

†श्री नाथपाई : आंशिक रूप में अंत में जो उन्होंने कहा है कि वह मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में है। इस कारण कि एक देश विदेशों में यह प्रचार करने का प्रयास कर रहा है कि भारत किसी देश के साथ अपने सीमा झगड़े कभी नहीं सुलझा सकता और इस बात का भी ध्यान रख कर कि नेपाल से हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं सरकार इसे निपटाने के लिए केवल पत्र-व्यवहार द्वारा ही नहीं अपितु उच्चस्तर पर भी वार्ता करने का प्रस्ताव देकर क्या कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सुविदित है कि हम इसे शान्तिपूर्वक और दोनों पक्षों के सन्तोषानुसार निपटाना चाहते हैं। यह सर्वथा सच नहीं है कि हमने कोई सीमा विवाद नहीं निपटाया है। हमने पाकिस्तान के साथ अनेक विवाद निपटा लिये हैं।

श्री योगेन्द्र झा : कोसी योजना के अन्तर्गत जहां बैराज बन रहा है वहां भी नेपाल और भारत के बीच कुछ जमीन के सम्बन्ध में झगड़ा शुरू हुआ था कि वह नेपाल में है या भारत में। जैसा कि बिहार विधान सभा में बताया गया है अभी नेपाल ने नरशाही वन पर दो वर्षों से कब्जा कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या नेपाल और भारत के बीच सीमा पर जमीन को लेकर इस तरह के और भी झगड़े हैं और अगर हैं तो कितने हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं कि सीमा पर कहीं कोई और झगड़ा हमारा नेपाल से हो। यह भी कोई लम्बा-चौड़ा झगड़ा नहीं है। कुछ बहस है थोड़ी बहुत।

†**श्री त्यागी** : माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि भारत सरकार ने नेपाल को कोई उत्तर नहीं भेजा है। अन्तिम उत्तर भेजने में देर होने के क्या कारण हैं जबकि यह झगड़ा या विवाद पिछले कई वर्षों से चल रहा है।

†**श्री जवहरलाल नेहरू** : यही बात कि झगड़ा पर्याप्त समय से चल रहा है प्रदर्शित करती है कि इसमें कोई जटिल समस्या है। इसके लिए सर्वेक्षणों तथा अन्य बातों की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि उचित सर्वेक्षण के लिये कुछ प्रयास किया जा रहा है।

†**श्री त्यागी** : क्या हमें पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र हमारा है? यदि हां तो हमने यह बात क्यों सूचित नहीं की है ?

†**श्री जवहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि कभी ऐसा करना सरल नहीं होता। हम समझते हैं कि कुछ यहां या वहां हमारा क्षेत्र है। यह सर्वेक्षण राजस्व अभिलेख तथा अन्य बातों पर निर्भर होगा।

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में निदेशकों के रिश्तेदारों की नियुक्तियां

†*१५४६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी विधि प्रशासन विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिस में समवाय अधिनियम क इन उपबन्धों का कि जब तक कम्पनी द्वारा विशेष संकल्प स्वीकार न किया जाये तब तक निदेशकों के रिश्तेदारों को लाभ के पदों अथवा स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये, कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रेस नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या कुछ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनिमों में निदेशकों के रिश्तेदार लाभ के पदों अथवा स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वानिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) हां। प्रेस-नोट में भी निदेशकों के रिश्तेदारों का उन की कम्पनियों में किसी विशेष संकल्प के बिना ही लाभ के पदों पर नियुक्त किये जाने का उल्लेख था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हां, एक प्रति पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२]

(ग) हां ।

(घ) हजारों गैर-सरकारी कम्पनियों के अभिलेखों से विस्तृत जानकारी संकलित करने में जो प्रयास करना होगा, प्राप्त होने वाले परिणाम उस क अनुकूल न होंगे ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : कम्पनी विधि प्रशासन विभाग ने यह नोट किस कारण जारी किया ?

†**श्री कानूनगो** : प्राय: कम्पनी विधि प्रशासन कम्पनियों को विधि का पालन करने के लिये सहमत करने में विश्वास करता है । कम्पनी अधिनियम के अन्तिम संशोधन के बाद प्राप्त हुए प्रथम ब्यौरों से पता लगा कि उस विधि का पालन नहीं किया गया जो हाल में बिनी थी । फिर, कम्पनी विधि प्रशासन ने प्रेस-नोट निकाला ताकि कम्पनियां सचेत हो जायें ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उन्हें इस विधि के कितने उल्लंघनों का पता लगा है और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : यह मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि हज़ारों कम्पनियां हैं । यथासमय, सब ब्यौरों की व्याख्या हो जाने पर, हमें पता लगेगा कि उल्लंघन हुआ है या नहीं और यदि हुआ है, तो किस सीमा तक उल्लंघन हुआ है ।

†**श्री नाथ पाई** : कितने मामलों का विधि का उल्लंघन हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : पिछले वर्ष पारित हुई विधि के कारण हमें एक विवरण प्राप्त हुआ है और इस की व्याख्या करने में पर्याप्त समय लगेगा । हमें बहुत ही थोड़े मामलों की सूचना मिली है. . . . . (अन्तर्बाधा)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री दाजी** : कम्पनी अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध सरकार प्रेस-नोट के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जहां कहीं हम सन्तुष्ट होते हैं कि क्रिया निश्चित नियमानुकूल नहीं है, वहां हम अभियोग चलायेंगे । यही सामान्य विधि है ।

†**श्री बड़े** : कम्पनी अधिनियम की धारा ३४० के अन्तर्गत ८,४०० निदेशकों ने ८८,००० अपने रिश्तेदार काम पर लगाये हैं । सरकार कम्पनी अधिनियम की धारा ३४० के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं करती है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे खेद है कि जो आंकड़े माननीय सदस्य ने बताये हैं वे मेरे पास नहीं हैं क्योंकि आंकड़े समूचे विवरण आने पर ही पता लगेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकारी परियोजना क्षेत्र में भी, जहां सरकार निदेशकों का नामनिदेशन करती हैं, यही नियम लागू होगा और क्या यह अन्य कम्पनियों पर भी लागू होगा ?

†**श्री कानूनगो** : हो सकता है कि प्रश्न पैदा न हो क्योंकि यद्यपि वैधानिक रूप में वे गैर-सरकारी कम्पनियां हैं, फिर भी उन का गठन ऐसा है कि यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रयासानुसार परिणाम प्राप्त न होंगे । विस्तृत रूप से विदित होने पर यह जानने के लिये सरकार के पास क्या उपाय हैं कि इस नियम का पालन से अधिक उल्लंघन होता है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं कह सकता हूं कि विस्तृत रूप में इस का उल्लंघन नहीं होता . . .

†**श्री भागवत झा आजाद** : उनके ऐसा कहने का क्या आधार है ?

†**श्री कानूनगो** : क्योंकि विधान केवल पिछले एक वर्ष से लागू हुआ है । समूचे विवरण प्राप्त होने पर सरकार को आंकड़े प्राप्त होंगे । वे निश्चय ही प्राप्त होंगे ।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा तर्क यह था कि सरकारी क्षेत्र की वे परियोजनायें भी इस के अन्तर्गत आती हैं ?

†**श्री भागवत झा आजाद**: कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक फर्म के लिये विवरण भेजना अनिवार्य है जिस में उन्हें यह जानकारी देनी पड़ती है । क्या ये कम्पनियां सरकार को विवरण नहीं भेजती हैं जिस के कारण उन्हें इन बातों का पता नहीं है और वे हमें नहीं बता रहे हैं ।

†**श्री कानूनगो** : विधान बहुत हाल में ही पास हुआ है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह पहिले भी था ।

†**श्री कानूनगो** : नहीं, यह पहिले नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कठिनाई यह है कि वह कहते हैं कि यह उन का तर्क था । उन्हें प्रश्न पूछना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : यह अधिनियम भी सभी पंजीकृत कम्पनियों पर लागू होता है । फिर, इसका क्या कारण है कि उन्हें छूट दे दी गई है ? यदि हां, तो उन्हें किस आदेश द्वारा छूट दी गई ?

†**श्री कानूनगो** : उन्हें छूट नहीं दी गई है । यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति शतप्रतिशत अंशधारी है और किसी भी निदेशक के रिश्तेदारों के नियुक्त किये जाने का कोई मामला ही नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री यही दोहरा रहे हैं कि विधान एक वर्ष से ही लागू है । क्या विधान के बनने से पहिले उच्च वैतनिक पदों पर निदेशकों के रिश्तेदारों को नियुक्त करने की सामान्य नीति न थी और क्या कम्पनी विधि प्रशासन ने इसी कारण यह संशोधन नहीं किया है ?

†**श्री कानूनगो** : यह बात सभा के वाद-विवाद के रिकार्ड से स्पष्ट हो जायेगी ।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि इन कम्पनियों के विवरण आने पर वह उल्लंघनों की संख्या जान सकेंगे । यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री आशा करते हैं कि ये लोग अपने विवरणों में सम्बन्धियों और इस बात का उल्लेख करेंगे कि उन्हों ने कहां विधान का उल्लंघन किया है बशर्तेकि उन्हें बहुत ही विवश हो कर ऐसा न करना पड़े ?

†**श्री कानूनगो** : यह रिश्तेदारों का प्रश्न नहीं है । अन्य अनेक बातें हैं जैसे निदेशकों का पारिश्रमिक, आदि । अभिव्यक्ति तो ऐसा यंत्र है जो ससद् के विचारानुसार कम्पनियों के प्रबन्ध पर कुछ प्रभाव डालेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पटल पर रखे गये विवरण से धारा ६१४ के अनेक उल्लंघनों का पता लगता है। सरकार का निदेश ३ जून अर्थात् इसी मास का है। क्या कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के अनेक मामलों का पता लगने पर निदेश जारी किया गया था, और, यदि हां, तो क्या कुछ कम्पनियों को इस मामले में चेतावनी दी गई है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रथम वर्ष के विवरणों की पहिली किस्त आ रही है। जब हमें इन बातों का पता लगा हम ने निदेश जारी कर दिया ताकि वह कम्पनियों को चेतावनी दे दे और वे अपने को संभाल लें। हम सदैव दण्ड देने में विश्वास नहीं करते।

†**श्रीमती सरोजनी महिषी** : क्या यह उपबन्ध उन कम्पनियों पर भी लागू होता है जो कम्पनी विधान में यह संशोधन होने से पहिले भी थीं, या केवल उन कम्पनियों पर लागू होता है जो उस के बाद बनी ?

†**श्री कानूनगो** : सब कम्पनियों पर लागू होता है।

गोआ में शिक्षा प्रणाली

†*१५४७. **श्री नाथ पाई** : क्या **प्रधान मंत्री** १६ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में शिक्षा प्रणाली की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या आयोग ने गोआ के लिये पृथक विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश की है, और यदि हां, तो शिक्षा माध्यम के बारे में और प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और विश्व-विद्यालय शिक्षा में मराठी के स्थान के बारे में क्या सिफारिश है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समूचा मामला सरकार के विचाराधीन है। आयोग ने अनेक सिफारिशें की थीं। मैं नहीं समझती कि इसने पृथक् विश्वविद्यालय के बारे में कोई सिफारिश की थी।

†**श्री नाथ पाई** : यदि सरकार अभी रिपोर्ट पर विचार कर रही है, तो जब तक वे अन्तिम निश्चय करें तब तक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम में गोआ प्रशासन के लेफ्टीनेंट राज्य पाल को क्या निदेश दिये गये हैं और मराठी को क्या स्थान दिया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे नहीं मालूम कि इन साधारण अनुदेशों को छोड़कर कि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रहें, और विशेष अनुदेश दिये गये हैं। आभास मिलता है कि कोनकानी भाषा का, किसी अन्य भाषा पर बुरा प्रभाव डाले बिना, विकास किया जाना चाहिये क्योंकि वह गोआ की सामान्य भाषा है। यद्यपि इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, शायद इसके लिये नागरी लिपि अपनाई जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार विश्व विद्यालय शिक्षा की स्थिति ज्यों का त्यों रखना चाहती है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय शिक्षा में पुर्तगाली भाषा को शिक्षा का माध्यम रखने का है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पिछले दिनों तक यथास्थिति मे पुर्तगाली भाषा थी ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस कारण कि पुर्तगाली भाषा यथास्थिति है और विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम है, क्या सरकार का विचार इस स्थिति को बनाये रखने का है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** गोआ में उच्च शिक्षा की कोई संस्थायें न थीं । लोग या तो बम्बई जाते थे और या पुर्तगाल जाते थे । स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा संस्थायें शायद पुर्तगाली भाषा को शिक्षा का माध्यम मानें, चाहे वे इसके लिये अन्य किसी भी भाषा को चुनें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जांच समिति की जिस रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है जो कि उसने गोआ में जो शिक्षा प्रणाली है, उसके सम्बन्ध में दी है, उसकी मूलभूत सिफारिशें क्या हैं, क्या सरकार यह बतलाने का यत्न करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार मालूम नहीं क्या चीज है । मैंने तो उसे अभी नहीं देखा है, इस वास्ते जवाब नहीं दे सकता इसका ।

†**श्री नाथ पाई :** गोआ में कितने मराठी स्कूल हैं और क्या सरकार को विदित है कि पुर्तगाली सरकार की निरन्तर नीति मराठी भाषा को समाप्त करने की थी क्योंकि यह गोआ के एक जनसमुदाय का भारत के साथ सम्बन्ध होने के चिह्न थी, एवं क्या इस नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**श्री नाथ पाई :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रिपोर्टों पर आधारित है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है और इसलिये मैं इस बारे में प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता । मैं नहीं जानता कि पुर्तगाली नीति क्या थी । पुर्तगाली नीति गोआ में भाषा को प्रोत्साहन देने की न थी । स्पष्ट है कि वहां मराठी को बढ़ावा मिलेगा परन्तु साथ ही कनकानी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इस बात का ध्यान रख कर कि पिछली चार या पांच शताब्दियों से केवल पुर्तगाली और कनकानी ही गोआ की मुख्य भाषायें थीं, क्या सरकार किसी राष्ट्रीय को प्रचलित करने पर विचार कर रही है ताकि गोआ को बाकी देश से मिलाने का काम हो सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** स्पष्ट है कि मराठी काफी लोग बोलते हैं और उसे प्रोत्साहन दिया जायेगा । परन्तु साधारण रूप में, हमारा विचार है कि किसी भी अन्य भाषा से अधिक कनकानी गोआ की भाषा है । अतः हमारा विचार है कि उसे बढ़ावा मिलना चाहिये । परन्तु हम इन मामलों में कोई निश्चित सीमा नहीं बना रहे ।

†**डा० भा० श्री० अणे :** लिपि का और भी अधिक झगड़ा है । पुर्तगालियों के समय में रोमन लिपि का प्रयोग होता था । उसके बजाये गोआ की जनता ने मांग की है कि लिपि देवनागरी होनी चाहिये क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात वह पहिले ही कह चुके हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने कहा था कि यह वर्तमान प्रस्ताव है, कि कनकानी भाषा की लिपि देवनागरी रखने की सिफारिश है ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या प्रधान मन्त्री को विदित है कि मराठी और कनकानी भाषाओं में कोई अन्तर नहीं है और भारतीय तथा पुर्तगाली भाषाविदों डा० गुआ और डा० भण्डारकर ने दोनों को एक माना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह कथन मानने को तैयार नहीं हूं ?

†**श्री नाथ पाई :** निश्चय ही आप उनका सम्मान तो करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हुं कि विशेषज्ञों में इस पर मत-भद है । मैं विशेषज्ञ नहीं हूं । यहां तक कि डाक्टर भी सहमत नहीं हैं ।

केनिया में भारतीय

†***१५४८. श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनिया में भारतीय उद्भव के असैनिक कर्मचारियों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें भारत सरकार से निवेदन किया गया है कि वह केनिया के स्थापित होने वाली नई प्रशासन-व्यवस्था के अधीन उनकी सेवा की शर्तों, प्रतिकर और पेंशन की सुरक्षा के लिये उनके प्रयत्नों का ब्रिटिश सरकार के समक्ष समर्थन करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) नहीं, श्रीमान् । फिर भी, सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है ।

(ख) भारत सरकार ने इस बारे में अपने विचार ब्रिटेन सरकार को बता दिये हैं ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या सरकार को विदित है कि ब्रिटिश सरकार ने वह मांग अस्वीकार कर दी है कि जो कीनिया में बिना भद-नाम के एशियाई असैनिक कर्मचारियों ने प्रश्न में उल्लिखित सेवा की शर्तों के बारे में की थी जबकि सरकार ने योरोपीय असैनिक कर्मचारियों की ऐसी मांग स्वीकार कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में नैरोबी में हमारे आयोग से ऐसी कोई रिपोर्ट मांगी है या प्राप्त की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हां, हमें आयोग से रिपोर्ट मिली है और कीनिया व टंगानीका की मेरी हाल की यात्रा में स्वयं मैंने सम्बन्धित व्यक्तियों से बात की थी। सरकार पदस्थ और अपदस्थ असैनिक कर्मचारियों में अन्तर मानती है, और अपदस्थ कर्मचारियों में अधिकतर एशियाई हैं । अतः वृत्ति समाप्त होने के लिये प्रतिकर नहीं दिया जाता ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या सरकार को विदित हुआ है कि कीनिया असैनिक सेवा संस्था के अध्यक्ष ने एशियाई व्यक्तियों के साथ व्यवहार को मानसिक जातिभेद कहा है और ब्रिटेन सर-

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार पर एशियाई असैनिक कर्मचारियों के साथ घृणा का व्यवहार करने का आरोप लगाया है और यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी कि भारतीय उद्भव के असैनिक कर्मचारियों के साथ ये भावपूर्ण व्यवहार न किया जाये उदाहरणार्थ, क्या प्रधान मन्त्री का विचार इस प्रश्न पर औपचारिक या अनौपचारिक रूप में आगामी राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में बातचीत करने का है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : दूसरे भाग के बारे में भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को अपने विचार भेज दिये हैं। पूर्वी अफ्रीका संघ के बारे में स्थिति यह है कि लगभग ४००० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ रहा है जिनमें से १५०० भारतीय नागरिक हैं। हम इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं।

ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी

+

†*१५४९. { **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक भारतीय पारपत्र-धारी लन्दन हवाई अड्डे पर आप्रवास अधिकारियों द्वारा रोके गये हैं ;

(ख) क्या यह बात ब्रिटेन सरकार की सूचना में लाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) लन्दन हवाई अड्डे पर आप्रवास अधिकारियों ने क्रमशः २२ जनवरी, १९६२ और २९ मई, १९६२ को दो व्यक्तियों को जिनके पास सच्चे भारतीय पारपत्र थे, रोका था।

(ख) जी हां। इन मामलों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान दिलाया गया था।

(ग) हमारे दूतावास द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को आखिर में ब्रिटेन में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी थी।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सच है कि इनमें से एक आदमी को, इस बात के बावजूद कि भारतीय दूतावास ने यह बताया था कि वह वास्तविक भारतीय नागरिक है और उसके पास सच्चा पारपत्र है, नजरबन्दी शिविर में तीन दिन तक रखा गया था ?

†**श्री दिनेश सिंह** : उनमें से एक आदमी को कुछ समय के लिये नजरबन्द रखा गया था। उसका कारण यह था कि उसकी राष्ट्रीयता उस दशा में स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं की जा सकी। ज्यों ही वह सिद्ध हुई, उसे छोड़ दिया गया।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सच है कि उच्चायुक्त श्री छागला ने यह कहा है कि इस सम्बन्ध में भारतीयों के साथ अब भी दुर्व्यवहार जारी है और उन्हें अभी भी तंग किया जा रहा है ? भारतीय उच्चायुक्त ने यह कहा था कि भारतीयों को परेशान किया जा रहा है और नये आप्रवास नियमों के सम्बन्ध में आश्वासनों के बावजूद, यह हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मेरी समझ में उच्चायुक्त के कथन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके लन्दन पहुंचने पर, समाचार पत्र प्रतिनिधियों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने कुछ सामान बातें कहीं। स्पष्ट है कि इसका उनके अनुभव से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस मामले में, राष्ट्रीयता के स्तम्भ में कोई दोष था और सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन्हें अनुमति न देने के लिये उसे जब्त किया। कुछ समय बाद, दूतावास ने उसे स्पष्ट किया और इन व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गयी।

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की रोक टोक का, चाहे वह जानबूझ कर हो या न हो, ब्रिटेन द्वारा पास किये गये अप्रवास अधिनियम से कोई सम्बन्ध है, जिससे भारतीयों का प्रवेश और अधिक कठिन बना दिया गया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उनमें एक गोआनी था और शायद ब्रिटिश अधिकारी अधिक कठोर थे। दूसरे आदमी के पास पासपोर्ट भी नहीं था जिसमें इंग्लैण्ड का नाम शामिल हो। मैं समझता हूं कि वह रंगून से गया था और उसके पास भारत के लिए पासपोर्ट था। उसने उसका उपयोग इंग्लैण्ड जाने के लिए किया। यह एक गलती थी जो उन्होंने पकड़ी।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि १ जुलाई के बाद ब्रिटेन में भारतीयों के प्रवेश पर कड़ा नियन्त्रण होगा, क्या हम भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के नागरिकों के लिये पारपत्रों (वीसा) पर जोर देने के लिये अपने कानून में संशोधन करेंगे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : संशोधन के बारे में मुझे मालूम नहीं लेकिन प्रत्यावर्तन आदि के सम्बन्ध में, प्रारूप विधि शीघ्र ही संसद् के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में नहीं। नागरिकता विधि के अनुसार, राष्ट्रमण्डलीय नागरिकों के लिये वीसा की जरूरत नहीं होती। क्या हम इन लोगों के लिए भी वीसा लागू करने और ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए किसी प्रकार का निर्बन्धन लागू करने जा रहे हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कई बातें यहां नहीं लागू होतीं। रोजगार ढूंढने के लिये बड़े बड़े गिरोह के रूप में यहां कोई नहीं आते।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : काफी लोग कलकत्ते आते हैं। हम आपको दिखा देंगे कि कितने ब्रिटिश लोग वहां अपनी रोजी कमा रहे हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वह ठीक है। लेकिन मैं यह नहीं कहुंगा कि वे लोग काफी संख्या में यहां रोजगार ढूंढने के लिये आते हैं जिस तरह भारत से, खास कर पंजाब से, लोग बगैर भाषा जाने, कोई बात जाने बूझे वहां रोजगार ढूंढने के लिये गये और एक नयी समस्या खड़ी कर दी।

वास्तव में, आप्रवास विधियों के अतिरिक्त, हम यथासम्भव यह अप्रवास बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उससे भारत की बदनामी हुई क्योंकि न तो कोई वहां की भाषा या रीति रिवाज या दूसरी बातें जानता था और वहां के लोग बिल्कुल ही उन्हें समझ नहीं पाते थे। मैं सभी भारतीयों के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन खास कर उन लोगों के बारे में जो सीधे पंजाब के कुछ गांवों से, वहां के जीवन के बारे मे कुछ जाने बूझे बिना, जा रहे हैं और इस प्रकार जिन्होंने वहां सामाजिक समस्याएं खड़ी कर दीं। इसलिये हमने इसे काफी कम किया और यह फैसला किया कि जिस आदमी को उस जगह की भाषा न आती हो उसे वहां नहीं जाना चाहिये वह एक कसौटी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : लेकिन जो ब्रिटिश लोग यहां आते हैं उन्हें भी हमारी भाषा नहीं आती, वे भी हमारा रहन सहन नहीं जानते और फिर भी वे यहां आ रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बिल्कुल ठीक है और हमें उस सवाल पर गौर करना होगा लेकिन उस पर दूसरे ढंग से विचार किया जायगा, बदले की कार्रवाई के तौर पर नहीं।

आकाशवाणी के धारवाड़ केन्द्र में ट्रांसमीटर

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के धारवाड़ केन्द्र में एक शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का काम पूर्ण हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं।

(ख) जगह पर कब्जा करने में देर और इमारत तैयार करने के लिये टेण्डरों के सम्बन्ध में अपर्याप्त उत्तर।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : सूचना तथा प्रसारण मन्त्री ने २१ नवम्बर, १९६१ को इस सभा से यह कहा था कि मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का काम छः से आठ महीने तक की अवधि में पूरा हो जायगा। क्या यह काम पूरा करने में कोई तुरन्त कदम उठाये जायेंगे और सरकार को यह काम पूरा करने में अभी कितना समय लगेगा ?

†**श्री शाम नाथ** : ट्रांसमीटर लगाने का काम जून, १९६३ तक पूरा हो जायेगा। देर इस कारण हुई कि टेण्डरों का पर्याप्त उत्तर नहीं मिला। तब यह निश्चय किया गया कि निगोशियेटेड टेण्डर के जरिये काम कराया जाय जिसमें कुछ समय लगा।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : इस बात को देखते हुए कि एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर धारवाड़ लाया गया था और वह कसियांग ले जाया गया, क्या सरकार मैसूर राज्य के किसी स्टेशन पर शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने के बारे में सोच रही है ?

†**श्री शाम नाथ** : जहां तक इस स्टेशन का सम्बन्ध है, वर्तमान १ किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की जगह नया ट्रांसमीटर विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित करने के काम में लाया जायगा ताकि और दूसरा सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जा सके। मैसूर राज्य के दूसरे स्टेशनों के सम्बन्ध में, शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने के बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : यह नया मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने में लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री शाम नाथ** : अनुमानित लागत ८.९४ लाख रुपये है जबकि स्वीकृत लागत लगभग १० लाख रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कटिहार (बिहार) में शरणार्थियों का पुनर्वास

†*१५५२. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से शरणार्थियों से जिन्हें सरकारी ऋण से कटिहार (बिहार) में जिला बोर्ड सड़क संख्या २१ पर बसाया गया था अपनी दूकानें खाली करने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें उसी क्षेत्र में किन्हीं अन्य स्थानों पर दूकानें देने के लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) से (ग) जानकारी बिहार सरकार से मांगी गयी है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** जब तक बिहार सरकार से जवाब नहीं मिलता तब तक क्या इस बीच सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि दूकानों को उसी प्रकार रखा जाये और उन्हें नष्ट न किया जाये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** जब तक हमें जमीन के बारे में राज्य सरकार से जानकारी न मिले मेरी राय में इस तरह का कोई आदेश राज्य सरकार को देना हमारे लिये उचित नहीं होगा ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मैं आदेश का सुझाव नहीं दे रहा हूं । चूंकि यह पुनर्वास मन्त्रालय के ऋणों से सम्बन्धित है और ये लोग कई सालों से इन दूकानों में हैं और सड़कें चौड़ी करने के लिये कोई संकट नहीं उत्पन्न हुआ है, क्या यह प्रार्थना नहीं की जा सकती कि उन्हें वहां रहने दिया जाये ? यदि ये दूकानें नष्ट कर दी जायेंगी, तो उन्हें काफी नुकसान होगा क्योंकि वही उनकी जीविका है और वे फिर से विस्थापित हो जायेंगे । इसीलिये मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की जाये ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** औचित्य प्रश्न के हेतु क्या मन्त्री महोदय का यह कहना नियमानुसार है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है यद्यपि माननीय सदस्य ने आवश्यक नोटिस दे दी थी ? अब भी जानकारी नहीं मिल रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह समझा गया था कि यह नोटिस पर्याप्त होगी । सम्भव है कि राज्य से मांगी गयी जानकारी समय के अन्दर न पहुंचे और उस हालत में राज्य को और लम्बे समय की आवश्यकता होगी । मन्त्री केवल राज्य से जानकारी मांग सकते हैं और वह प्राप्त होने के बाद ही उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री प्रिय गुप्त उठे—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

यातुंग में भारतीय व्यापार अभिकरण के कर्मचारी

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत स्थित चीनी अधिकारियों ने यातुंग में भारतीय व्यापार अभिकरण में नियुक्त कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो कितने व्यक्तियों को ; और

(ग) उसके कारण क्या हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) ४ जून, १९६२ की रात को चीनियों ने यातुंग में निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था :—

(१) यातुंग स्थित हमारे व्यापार-अभिकरण के २ स्थानीय कर्मचारी और उनके परिवारों के ४ सदस्य ।

(२) यातुंग में २ अन्य स्थानीय कर्मचारियों की पत्नियां ।

(३) यातुंग में नियुक्त भारत द्वारा रक्षित व्यक्ति (सिक्किमी) की तिब्बती पत्नी ।

(ग) मालूम होता है कि उपर्युक्त व्यक्तियों को इसलिये गिरफ्तार किया गया था कि वे भारत में भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या १९५४ व्यापार समझौता समाप्त हो जाने के बाद से यातुंग, ग्यांत्से और गर्टोक में भारत के तीनों व्यापार अभिकरण बन्द कर दिये गये हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी हां ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इन तीनों व्यापार अभिकरणों में काफी संख्या में तिब्बती कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया है और तिब्बत स्थित चीनी अधिकारियों ने भारतीय कर्मचारियों की बुरी तरह बेइज्जती की है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने भारतीय कर्मचारियों की किसी खास बेइज्जती के बारे में नहीं सुना है । चूंकि तिब्बती कर्मचारियों को चीनी नागरिकों के तौर पर समझा जा रहा है, सम्भवत: उन पर दबाव डाला गया है । उनमें से कई कर्मचारी ग्यांत्से और यातुंग स्थित भारतीय दूतावासों से गायब हो गये । गर्टोक में कोई स्थायी दूतावास नहीं था ।

†श्री नाथ पाई : वे गायब हो गये या उनका अपहरण किया गया ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उनमें कई लोग गायब हो गये । चीनी अधिकारियों ने भारतीय दूतावास से बयान मांगा कि वे कहां गये । यह जाहिर है कि वे गायब हो गये क्योंकि वे शायद भारत या और किसी जगह भाग निकलना चाहते थे । हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम है । वे सिर्फ गायब हो गये । एक ने तो आत्म हत्या कर ली । यही हुआ है ।

दूसरे कर्मचारियों की पत्नियों के संबंध में व भी चीनी कानून के मुताबिक, चीनी नागरिक हैं । सम्भव है कि उन्हें अपने पतियों के साथ भारत आने की इजाजत दी जाये लेकिन चीनी

†मूल अंग्रेजी में

कानून के अनुसार वे तभी आसकते हैं जब उन्होंने मान लिया हो कि वे चीनी हैं और जरूरी कागजात आदि प्राप्त कर लिये हों और इजाजत ले ली हो। वे अपने आप अपने पतियों के साथ नहीं जातीं।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा नहीं कि जब ऐसे दूतावास बन्द होते हैं तब उन के कर्मचारियों को, चाहे उनकी कोई भी राष्ट्रीयता हो अपनी इच्छा के गंतव्य स्थानों तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है? यदि हां, तो क्या चीन ने इन कर्मचारियों को गिरफ्तार करके उस प्रथा का उल्लंघन नहीं किया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे मालुम नहीं कि उन्होंने किसे गिरफ्तार किया है लेकिन एक ही राष्ट्रीयता के लोगों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के सम्बन्ध में मुझे निश्चित रूप से मालुम नहीं है फिर भी लोगों को चले जाने की हर सुविधा दी जानी चाहिये, लकिन जहां लोग उसी देश के हों, जहां वह दूतावास स्थित हो, वहां यह संदेहास्पद है कि ठीक क्या है और गलत क्या है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने चीन के पास कोई विरोधपत्र भेजा है? यदि हां तो क्या सरकार को चीन से उत्तर मिलने की संभावना है जिसमें वे हमें असत्यभाषी कहेंगे?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे भले ही कहें लेकिन सवाल यह नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** दिनांक २४ के "चाइना टू डे" के अंक में उन्होंने ऐसा कहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अनावश्यक ही कुछ विशेषण जोड़ रहे हैं और अनावश्यक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कम से कम प्रश्न काल में ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई :** यह ठीक है कि किसी देश को अपने नागरिकों को गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन जिन्हें हम अपने कर्मचारी समझते हैं उन व्यक्तियों की सूची देने की प्रथा है और उन पर उन्मुक्ति भी लागू होती है। क्या मैं प्रधान मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या इन लोगों पर भी उन्मुक्ति लाग होती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरी समझ में सभी लोगों पर उन्मुक्ति लागू होती है। सामान्यतया दो या तीन सूचियां होती हैं। किसी भी देश में हमारे सभी कर्मचारियों को उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। कुछ भारतीय कर्मचारियों को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें वह प्राप्त नहीं है। तीसरे, जो स्थानीय लोग नियक्त किये गये हैं उन्हें कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है या उसके पास ऐसा कोई प्रमाण जस से यह मालुम हो कि तिब्बत स्थित चीनी अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही भारत के तिब्बती मित्रों को समाप्त करने और तिब्बत से भारतीयों को निकाल बाहर करने की उनकी निश्चित नीति का एक अंग है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य का आशय किस कार्यवाही से है?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** ये गिरफ्तारियां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि कोई गिरफ्तारी की गयी है या नहीं।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : मैंने पिछले प्रश्न में यही पूछा था कि कोई गिरफ्तारी की गयी है या नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य बार बर गिरफ्तारियों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गयी है या नहीं।

नर्मदा वेली अथारिटी के प्रधान के रूप में श्री एच० एम० पटेल की नियुक्ति

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १९-क. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि श्री एच० एम० पटेल को जोकि मूंधड़ा कांड से सम्बन्धित थे हाल में ही लगभग ४१ करोड़ रुपये की लागत की एक योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से नर्मदा वेली अथारिटी का अगुआ नियुक्त कर दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गूजरात सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ १२ फरवरी १९६२ को हुई बैठक में यह सुझाव रखा गया था कि नर्मदा वेली अथारिटी का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के सब पहलूओं पर, सम्बन्धित सरकारों के परामर्श से, जाँच-पड़ताल करने के उद्देश्य से, श्री एच० एम० पटेल को विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे इस योजना एवं उस अथारिटी, जोकि बनाई जानी है, के विस्तार को सोच निकालेंगे, तथा उस विधान को आवश्यक रूपरेखा के बारे में सुझाव देंगे, जोकि प्रस्तावित नर्मदा घेली अथारिटी के निर्माण किये जाने के लिए बनाना पड़ेगा। वे अवैतनिक तौर पर काम करेंगे और केवल सफ़र व्यय तथा रिपोर्ट तैयार करने पर हुए अन्य वास्तविक खर्राजात मात्र ही लेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, मेरे हाथ में १४ फरवरी का हिन्दुस्तान टाइम्स का अंक है। इस में छागला कमिशन का अपना निर्णय मूंदड़ा कांड के सम्बन्ध में है। मैं इस की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब छागला कमिशन ने मूंदड़ा कांड के सम्बन्ध में श्री एच० एम० पटेल को मूख्य रूप से दोषी ठहराया था और सरकार ने उन को जो कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया था तो ऐसी स्थिति में साढ़े ४१ करोड़ की लागत से बनने वाले नर्मदा प्रोजेक्ट का विशेष अधिकारी नियुक्त करना, क्या सैंट्रल गवर्नमेंट में श्री एच० एम० पटेल को लेने के लिए यह पहला कदम उठाया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य जो पुरानी बात को उठाते हैं तो उस से इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बतलाऊं कि इस ऐपायन्टमेंट में केन्द्रीय सरकार का कोई खास हाथ नहीं है। मूझे पहली दफा यह बात तब मालुम हुई जब माननीय सदस्य का यह सवाल आया। उसके पहले मुझे कुछ मालुम नहीं था। कुछ रोज हुए श्री एच० एम० पटेल गूजरात एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आनरेरी चेयरमन मूकर्रर हुए थे। वर्ष दो वर्ष की बात है। इस हैसियत से उनको एक स्पेशल आफिसर बनाया था। उन से कहा गया है कि तीन महीने में वह अपनी रिपोर्ट पेश करें। एक आरजी बात है अब उन को मूकर्रर करने की जिम्मेवारी उन चार राज्यों की है जो जिनके कि नाम पढ़े गये—महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गूजरात . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रिय गुप्त : औन ए प्वाएंट औफ आर्डर, सर । प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बतलाया कि प्रांविशिएल गवर्नमेंट्स से हमारा कोई ताल्लूक नहीं है । अब नर्मदा वेली एथारिटी में जो उनको आफिसर औन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है तो इस प्रोजेक्ट में कितनी फीसदी रुपया सैंट्रल गवर्नमेंट से दिया जा रहा है और अगर सैंट्रल गवर्नमेंट का रुपया उस में है तो फिर उस के प्रोसीज्योर और ऐपायन्टमेंट्स वगैरह में सैंट्रल गवर्नमेंट का हाथ रहना चहिए या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में प्वाइंट औफ आर्डर कहाँ है ?

†**श्री प्रिय गुप्त :** प्रधान मंत्री ने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं कहता हूं कि वह कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन् क्या मैं जान सकता हूं कि जैसे प्रधान मंत्री जी ने अभी बतलाया कि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उनको साल दो साल पहले अपना चेअरमैन नियुक्त किया था, अब जब केन्द्रीय सरकार ने उन को कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया, कम्पलसरी रिटायरमेंट एक प्रकार की सजा ही होती है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार में आपस में कोई श्रंखला नहीं रहती कि जिस व्यक्ति को यहाँ दोषी समझ कर हटाया गया उसको प्रान्तीय सरकार अपने यहाँ इतनी जिम्मेदारी का पद दे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रान्तीय सरकार ने उनको ऐपायन्ट करने से पहले केन्द्रीय सरकार से इस बारे में कुछ परामर्श किया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम से कोई परामर्श या सलाह नहीं ली गई थी । शायद हो सकता है कि कुछ उस मिनस्ट्री से ली हो जिसका कि सम्बन्ध बिजली वगैरह से है । लेकिन मुझे इल्म नहीं है । मेरे सामने यह बात नहीं आई थी ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या भारत सरकार की यह सामान्य नीति है कि मूंदड़ा कांड के जो लोग किसी प्रकार से उत्तरदायी हैं उन सभी को माफ कर दिया जाये और उन्हें फिर से बसाया जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिस से राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराधी अफसरों को केन्द्रीय सरकार में नहीं लिया जाता ? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिससे नियुक्तियों आदि में ऐसा नहीं होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सामान्यतया इस तरह की चीज नहीं होती लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, उन जाँच पड़तालों के मामलों में इस प्रकार परस्पर विरोधी रिपोर्टें थीं कि हर रिपोर्ट में पिछले रिपोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला दिया गया था । आखिरी रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग की थी और जहाँ तक मुझे याद है वह रिपोर्ट श्री एच० एम० पटेल के पक्ष में थी और इसलिए उसने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय प्रधान मंत्री को याद है कि गृह मंत्री संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे और उन्होंने श्री एच० एम० पटेल पर शक्ति के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाया था । यदि ऐसा है तो क्या इस मामले में सरकार ने अपना दृष्टिकोण बदला है ? क्या वह यह समझती है कि ऐसी नियुक्तियों से सार्वजनिक नैतिकता पर कितना बुरा असर पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे याद नहीं लेकिन यदि माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो वह जरूर सच है। इसीलिए शायद भारत सरकार ने इस मामले में कुछ कार्यवाही की। लेकिन जैसा कि मैं ने बताया कि यह भारत सरकार से पूछे बगैर और मेरी जानकारी के बगैर किया गया है। मुझे उस बारे में कुछ मालुम नहीं था। मैं इतना ही कहूंगा कि वह तीन महिने की जांच-पड़ताल है जो उसे सौंपी गयी है। उसे तीन महिने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री एच० एम० पटेल की अस्थाई नियुक्ति जो केवल तीन महीने के लिए हुई है तो क्या प्रधान मंत्री जी इस तरह का आश्वासन देने को तैयार हैं कि स्थाई नियुक्ति के समय उनके पहले के मामले को ध्यान में रखते हुए उन के नाम पर बिलकुल विचार नहीं किया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : तीन महीने के लिए मैं ने नहीं कहा कि उनकी नियुक्ति हुई है। उनको आफिसर आन स्पेशल ड्युटी नियुक्त किया गया है और उन से कहा गया है वे तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दें। अब तीन महीने के चार महीने हो जांय मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का मतलब यह था कि जब स्थाई कंट्रोल बोर्ड की नियक्ति होगी तब क्या इस बात का ध्यान रखा जायगा कि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त न किया जाय ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम ने उस बोर्ड को बनाया नहीं है मैं आप से क्या कहूं। लेकिन जो कुछ आप यहां पार्लियामेंट में कहते है वह उनके कानों तक जरूर पहुंच जायेगा।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि अब इस बारे में कुछ और नहीं पूछना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह बहुत महत्वपूण विषय है जिसका नैतिकता पर असर पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गोआ में बीमा कम्पनियां

†*१५५३. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ में बीमा कम्पनियों के दायित्वों को ग्रहण करने का फैसला कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). सरकार ने फैसला किया है कि पुर्तगाली बीमा कम्पनियों द्वारा जारी की गयी पालिसियों का दायित्व भविष्य में जीवन बीमा निगम का रहेगा। यह निर्णय पुर्तगाली कम्पनियों द्वारा की जा रही सेवा बन्द कर देने को ध्यान में रखते हुए संघ राज्य-क्षेत्र के नागरिकों को कठिनाई न होने देने के लिये किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

†*१५५४. श्री हेम राज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कम्पनियों की उन आस्तियों की राशि को आंकने का विचार कर रही है जो २ जून १९६२ को भारत तिब्बत व्यापार करार के समाप्त हो जाने के कारण तिब्बत में छूट गई हैं;

(ख) इस प्रकार राज्यवार कितने व्यापारी प्रभावित हुए हैं;

(ग) भारतीय व्यापारियों की इन आस्तियों को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्य-वाही करने का विचार कर रही है; और

(घ) इस कारण जिन भारतीयों की हानि हुई है उन का पुनर्वास करने अथवा उनको प्रतिकर देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। सरकार भारतीय व्यापारियों द्वारा तिब्बत में छोड़ी गयी आस्तियों के बारे में ठीक ब्योरा प्राप्त करने के लिये कदम उठा रही है ।

(ख) व्यापार सुविधा समाप्त होने से प्रभावित व्यापारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जम्मू तथा काश्मीर	लगभग ५००
पंजाब	लगभग ७५०
हिमाचल प्रदेश	लगभग २००
उत्तर प्रदेश	लगभग २०००
पश्चिम बंगाल	लगभग १५०

इन आंकड़ों में व्यवहारिक और छोटे व्यापारी भी शामिल है। ये व्यापारी तिब्बत के साथ व्यापार पर ही निर्भर नहीं है ।

(ग) सरकार ने चीन सरकार के साथ भारतीय व्यापारियों के वैध हितों के बारे में बार बार कहा है। इन प्रयत्नों का कोई खास परिणाम नहीं निकला। तथापि सरकार चीनी अधिकारियों से यह कहती रहेगी कि हमारे व्यापारियों को तिब्बत में अपने सामान को बेचने और अपनी आस्तियों को भारत लाने की इजाजत दी जाये ।

(घ) इन व्यापारियों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु सम्बन्धित राज्य सरकारें उन व्यापारियों को जिनका व्यापार ठप्प हो गया है पुनर्वासित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही हैं। इन व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिलाने के लिये कई विकास योजनायें बनायी गयी है ।

प्रतिरक्षा मुख्यालय के लिये इमारत

†*१५५५. श्री बी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में नगर आयोजक साउथ ब्लाक के निकट प्रतिरक्षा मुख्यालय की इमारत के निर्माण का कार्य शुरू करने के सरकारी निर्णय से चिन्तित है और उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). भारत की नगर आयोजक संस्था ने प्रस्तावित इमारत के निर्माण के विरुद्ध प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा है। संस्था द्वारा उठाई गई बातों का परीक्षण किया जा रहा है।

भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के बारे में दक्षिण अफ्रीका के साथ बातचीत

†*१५५६. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पत्र व्यवहार आरम्भ किया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत दक्षिण अफ्रीका में भारतीय और पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के प्रश्न पर बातचीत करने को तैयार है; और

(ख) क्या भारत सरकार को इस बात का कोई संकेत मिला है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के अनुसार ऐसी वार्ता आरम्भ करने के लिये तैयार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां। २८ नवम्बर १९६१ को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में हम ने गणतंत्र दक्षिण अफ्रीका की सरकार को इच्छा व्यक्त की है कि हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ व्यवहार के प्रश्न पर उस सरकार से बातचीत करने को तैयार है।

(ख) जी नहीं। अभी तक नहीं।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कोयले का खनन

†*१५५७. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोयले पर निर्भर उद्योगों को कोयले का निरन्तर संभरण सुनिश्चित करने के लिये स्वयं कोयले का खनन करने का एक प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा है;

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या **योजना** आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं और वह मामला पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच विचाराधीन है।

गोआ से लौह-अयस्क का निर्यात

†*१५५८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ की खान मालिकों के प्रतिनिधि हाल ही में दिल्ली में अन्तराष्ट्रीय व्यापार मंत्री और अन्य पदाधिकारियों से मिले थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि गाम्बिया से लौह-अयस्क के निर्यात के बारे में दीर्घ-कालीन नीति पर विचार किया गया; और

(ग) यदि हां तो इस प्रतिनिधिमण्डल को सरकार ने क्या आश्वासन दिये ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी हां ।

(ख) और (ग). गाम्बिया के खान-मालिकों के प्रतिनिधिमंडल ने ठेकों की स्वीकृति और मूल्य-निर्धारण समेत निर्यात व्यापार का मामला उठाया है । किये गये कुछ निर्णय निम्न प्रकार है :—

१. निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिये दीर्घ-कालीन सौदे करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

२. इन ठेकों के बारे में मूल्य केवल तीन वर्षों के लिये एक रहेगा । यदि ठेका और अधिक समय के लिये हो तो मूल्य के बारे में नये सिरे से बातचीत की जाये ।

३. सरकार प्रति वर्ष विभिन्न श्रेणी के लिये मूल्य निर्धारित करेगी । ठेका सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर न किया जाये ।

पूर्व निर्मित मकानों की अग्रिम परियोजना

†*१५५९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व निर्मित मकानों की एक अग्रिम परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय किया है;

(ख) इस के क्या कारण हैं; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

महात्मा गांधी के सम्बन्ध में फिल्म

†*१५६०. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी के सम्बन्ध में लन्दन में बनाई जा रही फिल्म के फोटो (स्टिल्स) देखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). अभी तक सरकार को समाचार पत्रों के आधार पर मेसर्स रेड लायन फिल्म्स लिमिटेड लन्दन द्वारा तैयार की जा रही "नाइन आवर्स टु राम" नामक फिल्म के कुछ चित्रों का पता चला है । उन के आधार पर फिल्म के बारे में कोई राय निर्धारित करने का प्रश्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस को जूतों तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

†*१५६१. { **श्री डी० चं० शर्मा :**
श्री अ० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्रोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने रूस को जूतों तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिये बातचीत पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम को ६५ लाख रुपये के मूल्य के जूतों और १३ लाख रुपये के मूल्य की हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिये क्रयादेश दिये गये हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर में योजना बोर्ड

†*१५६२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये एक योजना बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना आयोग से स्वतन्त्र रूप में काम करेगा ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) यह मामला जम्मू तथा काश्मीर सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र

†३४२३. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ के बाद से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों सम्बन्धी कितने प्रलेखीय चलचित्र बनाये गये;

(ख) क्या मलेरिया उन्मूलन सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र तैयार हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह जनता को कब दिखाया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) २१ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में कागज मिल

†३४२४. **श्री सरजू पाण्डेय:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर में एक कागज मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मंजूर कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) मेसर्स आनन्द पेपर्स मैन्यैफैक्चरिंग कम्पनी को गाज़ीपुर में कागज मिल लगाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों को हटाना

†३४२५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने कस्बों में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना लागू की गयी हैं;

(ख) १ जुलाई, १९६१ से अब तक इस योजना के अधीन कितने मकान बनाये गये; और

(ग) १ जुलाई, १९६१ से अब तक केन्द्र ने कितना धन दिया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पांच ।

(ख) १ जुलाई, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि में ४२३ मकान बनाये गय । १ अप्रैल, १९६२ को १४२८ मकान और बन रहे थे ।

(ग) १ जुलाई, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि में योजना के अधीन किये गये लगभग ३०.९८ लाख रुपये के कुल व्यय में केन्द्रीय सरकार का योग २३.२३ लाख रुपये है ।

उत्तर प्रदेश में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†३४२६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ से १९६१–६२ तक की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने श्रमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) वे किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं; और

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) वर्ष १९५८–५९ में कानपुर में एक प्रादेशिक श्रमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया था । वर्ष १९६१–६२ के अन्त में इस के अधीन ६२ यूनिट लोकल कक्षायें चल रही थीं ।

(ग) मुख्यत: कार्मिक संघ तरीकों और दर्शन विज्ञान और श्रमिकों के कर्तव्य और कृत्यों में प्रशिक्षण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां

३४२७. **श्री मंत्री :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मराठावाडा क्षेत्र (महाराष्ट्र राज्य) के लिये कितनी औद्योगिक बस्तियां निर्धारित की गयी थीं;

(ख) इन में से कितनी काम आरम्भ कर चुकी हैं तथा अन्य के काम में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) शेष का काम कब पूरा हो सकेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दो।

(ख) और (ग). इन दोनों औद्योगिक बस्तियों के लिये आरम्भ में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाई इत्यादि में काफी समय लग गया नांदेड़ की औद्योगिक बस्ती के सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पार्ली-बैजनाथ की औद्योगिक बस्ती का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

मेंढकों का निर्यात

†३४२८. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केरल से कुल कितने मेंढ़कों का निर्यात किया गया और उन का मूल्य क्या है; और

(ख) इन का किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) (ख) भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़ों (मन्थली स्टेटिसटिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इण्डिया) में मेंढ़कों के निर्यात के बारे में पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।

केरल में शिक्षित बेरोजगार

†३४२९. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में केरल राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिये कोई योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) योजना के अधीन शिक्षितों और रोजगार के लिये अन्य इच्छुक व्यक्तियों की रोजगार की स्थिति को सुधारने के लिये विभिन्न विकास योजनायें बनाई गयी हैं।

द्वितीय योजना में, कई स्थानों पर, जिन में एक केरल में भी शामिल है, कार्य एवं अनुस्थिति ज्ञान केन्द्र खोले गये हैं ताकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को क्लर्कों के अतिरिक्त रोजगार के साधनों का पता

---

†मूल अंग्रेजी में

लगाने और उन से लाभ उठाने के लिये स्वयं को तैयार करने में सहायता मिल सके । इन केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों को तकनीकी, व्यापार में और प्राथमिक व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे छोटे उद्योगपति बन सकें । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षर्थियों को व्यावसायिक परामर्श भीदिये गये तथापि इन केन्द्रों के अनुभव से पता लगा कि यह प्रशिक्षण केवल उन ही लोगों को देने की आवश्यकता । है जो इस में अभिरुचित हों और इस लिये यह समझा गया कि पृथक कन्द्र बनाना आवश्यक नहीं है । अतः इन केन्द्रों को शिल्पी प्रशिक्षण योजना से मिलाने का निर्णय किया गया ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में उन प्रशिक्षर्थियों को, व्यापार प्रबन्ध, लेखा आदि में प्रशिक्षण देने के लिये, जो अर्हता प्राप्त हैं और यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उचित वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ।

उड़ीसा में मकानों के निर्माण के लिये ऋण

†३४३०. **श्री उलाका :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि में अब तक उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान बनाने के लिये ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि में सरकार ने कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये ; और

(ग) उक्त अवधि में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कुल कितना ऋण दिया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) ५४ ।

(ख) ५२ ।

(ग) ५२ मकान बनाने के लिये कुल २·४९ लाख रुपये के ऋण मंजूर किये गये । ऋण निर्माण की विभिन्न अवस्था में किस्तों में दिया जाता है । अतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा वास्तव में ली गई रकम उनके मकानों के निर्माण में प्रगति पर निर्भर है ।

उड़ीसा में रेशम कीट पालन का विकास

†३४३१. **श्री उलाका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष १९६१-६२ में रेशम कीट पालन के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) वर्ष १९६२-६३ में कितनी धनराशि दी जावेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) सहाय्य-अनुदान . . ०.६४ लाख रुपये ।
ऋण . . . . १.०७ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्ष १६६२-६३ में उड़ीसा में रेशम-कीट पालन के विकास के लिये १·६३लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सहायता की मात्रा वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय पर निर्भर होगी।

उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग

†३४३२. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा सरकार को वर्ष १६६१-६२ और १६६२-६३ में राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों को सहायता देने के लिये कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जावेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). वर्तमान प्रक्रिया के अधीन राज्य सरकारों को, प्रतिवर्ष उन के द्वारा भेजी गई वार्षिक योजनाओं के आधार पर, हस्तशिल्प समेत विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये निधि का आवंटन किया जाता है। उन को राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में किये गये व्यय के आधार पर, निर्धारित आवंटन के भीतर, वर्ष के अन्त में वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। तदनुसार, वर्ष १६६१-६२ में उड़ीसा सरकार को हस्तशिल्प के लिये ६ लाख रुपये की रकम आवंटित की गयी। उन्हों ने जो वास्तव में व्यय किया, उस के आधार पर, उस वर्ष केन्द्रीय सहायता के रूप में १·३५ लाख रुपये का अनुदान और २·२६ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया।

उसी प्रकार, वर्ष १६६२-६३ में हस्तशिल्प के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को ४·१४ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। उन को, यथा समय, वास्तविक व्यय के आधार पर वित्तीय सहायता मंजूर की जावेगी।

तोड़ने के लिये रद्दी जहाजों का आयात

†३४३३. { **श्री नरसिम्हा रेड्डी** :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री तन सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जहाज-स्क्रेपरों ने तोड़ने के लिये प्रति वर्ष २ लाख कुल टन बेकार विदेशी जहाज के आयात की अनुमति देने के लिये एक आयात नीति बनाने पर जोर दिया है ; और

(ख) क्या सरकार का इरादा जहाज-स्क्रैपिंग उद्योग के विकास, जिस से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर बड़ा लाभ होगा, को ध्यान में रखते हुए स्क्रैप जहाजों के आयात की अनुमति देने की नियमित नीति बनाने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बनाई जा चुकी नीति के अनुसार, यतोड़ने के लिये पुराने जहाजों के आयात के लिये आवेदन पत्रों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है यदि आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक को यह निश्चित हो जाये कि जहाज को तोड़ कर रद्दी लोहे के निर्यात के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की इतनी आय हो सकेगी जिस से विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय बढ़ेगी।

भविष्य निधि का भुगतान

†३४३४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन आने वाले बाहर जाने वाले कर्मचारियों को अथवा उन के नामांकित व्यक्तियों को, तब भी जबकि नियोजकों ने अपना अंशदान पूरा न दिया हो, कुल भविष्य निधि की देय रकम के तत्काल भुगतान के प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे सब मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ के उपबन्धों के अनुसार 'बाकी देय राशि' का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला किया गया है। इस बारे में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यकीय आयोग की बैठक

†३४३५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में न्यूयार्क में हुई संयुक्त राष्ट्र सांख्यकीय आयोग की बैठक में भाग लिया ; और

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल के सदस्य कौन कौन थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** :

(क) जी हां। भारत ने २४ अप्रैल से २० मई, १९६२ तक न्यूयार्क में हुई संयुक्त राष्ट्र सांख्यकीय आयोग के १२वें सत्र में भाग लिया।

(ख) भारतीय शिष्टमंडल में प्रो० पी० सी० महालानोबिस आनरेरी स्टेटिस्टिकल एडवाइजर टू दी कैबिनेट और श्री पी० सी० मैथ्यू, डायरेक्टर, केन्द्राय सांख्यमकीय संघ थे।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग बोर्ड

†३४३६. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग बोड स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड बना दिया गया है ;

(ग) क्या इस ने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को लघु उद्योगों में विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिये कोई सुझाव दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प समन्वय समिति बनाई है जो नवम्बर १९५७ से काम कर रही है। इस समिति को बनाने के लिये भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(घ) भारत सरकार को अभी तक इस समिति से लघु उद्योगों के बारे में कोई विशिष्ट समस्यायें प्राप्त नहीं हुई हैं।

तीसरी योजना के पहले वर्ष में राज्यों द्वारा व्यय किया गया धन

†३४३७. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले वर्ष में विभिन्न राज्यों द्वारा खर्च किये जाने के लिये कितनी धनराशि अलग रखी गई थी और इसमें से प्रत्येक राज्य ने कितना धन व्यय किया ;

(ख) क्या योजना आयोग ने तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में विभिन्न राज्यों के कार्य का कोई पुनर्विलोकन किया ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने वह राज्य सरकार को बता दिया है ; और

(घ) क्या योजना आयोग लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिये मार्गोपाय निकालेगा ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में वर्ष १९६१-६२ के राज्य बजट में योजना परिव्यय के बारे में बताया गया है। वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

वर्ष १९६१-६२ में बजट परिव्यय-राज्य योजनायें

(लाख रुपये)

आन्ध्र प्रदेश	४८००
आसाम	१८७३
बिहार	४९००
गुजरात	३३१९
केरल	२५०३
मध्य प्रदेश	४३७५

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास	४७८७
मैसूर	४०८६
महाराष्ट्र	४७०८
उड़ीसा	२३००
पंजाब	३८८४
राजस्थान	३४००
उत्तर प्रदेश	७२५९
पश्चिम बंगाल.	५०८२
जम्मू तथा काश्मीर	११५०
कुल .	५८४२८

(ख) और (ग) वर्ष १९६१-६२ के लिये राज्यों की वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी प्रगति का वर्ष १९६२-६३ के लिये वार्षिक योजना वार्ता के समय बनाये गये कार्यकारी दल में पुनर्विलोकन किया गया ।

(घ) तृतीय योजना में सिफारिशें की गई हैं और उसके अनुसार कदम उठाये जा रहे हैं ।

मैट्रिक पास लोगों के नियोजन का सर्वेक्षण

†३४३८. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिक पास लोगों के नियोजन की स्थिति के बारे में "जनशक्ति अध्ययन और सर्वेक्षण" के अध्ययन से क्या पता चलता है ; और

(ख) कितने मैट्रिक पास लोग बेरोज़गार हैं या उन्हें अपूर्ण रोज़गार प्राप्त और कब से ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) मैट्रिक पास लोगों के नियोजन का सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

ग्रेजएटों के नियोजन का सर्वक्षण

†३४३९. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जनशक्ति अध्ययन और सर्वेक्षण" से ग्रैजुएटों के नियोजन की स्थिति के बारे में क्या पता चला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विज्ञान, कला, वाणिज्य, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के कितने ग्रैजुएट बेरोजगार हैं या उन्हें अपूर्ण रोजगार प्राप्त है और लगभग कितने समय से ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) "अखिल भारतीय ग्रैजुएट नियोजन" का सर्वेक्षण अभी हाल ही में पूरा हुआ है और उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

त्रिपुरा के गावों में मकान बनाने की योजना

†३४४०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लिए वर्ष १९६२-६३ के लिए गांवों में मकान बनाने की योजना के लिए कोई रकम मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास परियोजनाओं की योजनाओं के लिए त्रिपुरा प्रशासन ने अभी तक कोई रकमें नहीं मांगी हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में जब से यह योजना त्रिपुरा में चल रही है, १,१७,७५० रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय कल्याण के लिये आविष्कार

†३४४१. **श्री जेधे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कल्याण के लिए अविष्कारों के विकास के लिऐ विज्ञान के स्नातकोत्तर छात्रों को प्रोत्साहन देने की कोई योजनाऐ हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा और परिणाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक विषय पर दूसरी योजना की अवधि में कितनी रकम खर्च की गयी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी रकम खर्च की जायगी ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड किसी भी व्यक्ति को जो नये अविष्कारों की संभावना प्रदर्शित करता है, चाहे वह विज्ञान का स्नातकोत्तर छात्र हो या न हो, वित्तीय सहायता देता है। अनुसन्धान और विकास के क्षेत्र में विज्ञान के स्नातकोत्तर छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए दूसरी योजनाओं के संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आविष्कार संवर्धन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजना का ब्यौरा "इन्वेन्शन्स प्रामोशन बोर्ड—इन्फार्मेशन फौर इन्वेन्टर्स" नामक पुस्तिका में दिया हुआ है। इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख बी गयी हैं। अविष्कार संवर्धन बोर्ड ने अभी तक ८७ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी है और ३१ व्यक्तियों को पुरस्कार दिये हैं।

(ग) यह बोर्ड योजना से अतिरिक्त परियोजना है। दो वर्ष की अवधि में इसने आविष्कारों के लिए निम्नलिखित मूल्य के अनुदान मंजूर किये हैं :—

	रुपये
१९६०–६१	३७,१४०
१९६१–६२	१०८,१३१

मजूरी बोर्ड

†३४४२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष १९६१ में विभिन्न उद्योगों में मजरी बोर्ड स्थापित कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन बोर्डों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या वर्ष १९६२ में अतिरिक्त मंजूरी बोर्ड बनाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उन दोर्डों के नाम क्या होंगे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). कहवा और रबड़ बागानों के लिए मजूरी बोर्ड जुलाई, १९६१ में बनाये गये थे।

(ग) और (घ) इस वर्ष के आरम्भ में लोहा और इस्पात उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बनाया जा चुका है और कोयला खनन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड शीघ्र ही नियुक्त किया जा रहा है।

पांडिचेरी में धातु के 'रीड'[1] आयात करने के लिये लाइसेंस

†३४४३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात निर्यात नियंत्रक, पांडिचेरी ने एक प्रमुख फर्म को १ लाख रुपये के मूल्य के धातु के 'रीड' आयात करने के लिए अस्थायी आयात लाइसेंस दिया है ;

(ख) क्या आयात व्यापार क्षेत्रों में से यह लाइसेंस दिये जाने के संबंध में कोई आपत्ति उठायी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी आपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) इन आपत्तियों पर सरकार की क्या राय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Metal Reeds

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) आपत्तियां यह हैं कि वर्तमान आयात नीति के अधीन, इन चीजों के लिए तदर्थ आधार पर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था और वे देश में भी उपलब्ध थीं।

(घ) भतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती के भारत में विजय से पहले किये गये आयात संबंधी वायदों को ध्यान में रखते हूए एक विशिष्ट मामले के तौर पर तदर्थ लाइसेंस दिया जाता था। वर्तमान आयात नीति के अधीन, धातु के रीड्स के लिए २० प्रतिशत कोटे पर पुराने आयातकों को लाइसेंस दिया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव की मृत्य पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग की रिपोर्ट

†३४४४. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव की मृत्यु के बारे में जांच की थी ; क्या उसकी रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को मिल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रख दी जायगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) चूंकि इस रिपोर्ट की प्रतियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है और इतने बड़े प्रलेखों की छपाई में काफी समय और मेहनत लगेगी इसलिए उसे सभा पटल पर रखना संभव नहीं है। फिर भी रिपोर्ट की एक प्रति (यू०एन० डाक्यूमेन्ट संख्या ए/५०६९ और ए/५०६९/एड० १ में) संसद पुस्तकालय में रख दी गयी है।

कांगड़ा (पंजाब) में अखबारी कागज का कारखाना

†३४४५. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कांगड़ा (पंजाब) में अखबारी कागज का एक कारखाना खोलने के लिए, एक विदेशी फर्म के साथ थापर एण्ड संस की सहायता संबंधी बातचीत पूरी हो चुकी हैं ;

(ख) उसके आयात में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी;

(ग) वह कारखाना संभवतः कब खोला जायगा ;

---

†मल अंग्रेजी में

(घ) क्या नलवाड़ा में पोंग बांध बनाये जाने के कारण वह कारखाना होशियारपुर ज़िले में ले जाया जा रहा है; और

(ङ) क्या उस कारखाने के लिए अंतिम रूप से जगह चुन ली गयी है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) लगभग ६०० लाख रुपया।

(ग) सारी प्रारम्भिक बातें अंतिम रूप से पूरी हो जाने के बाद लगभग तीन साल में।

(घ) और (ङ) औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार, यह कारखाना कांगड़ा जिला, पंजाब में स्थापित किया जाने वाला है। जिसे लाइसेंस दिया गया है उस ने स्थान परिवर्तन के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है और न ही कांगड़ा ज़िले में ठीक ठीक जगह की सूचना दी है।

जाली समाचार ऐजेंसियों और सिन्डीकेट

३४४६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ जाली समाचार एजेन्सियों और फीचर सिंडीकेटों का पता चला है;

(ख) ये किन-किन राज्यों में काम कर रहे हैं और उनके काम किस प्रकार के हैं; और

(ग) इन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

देश में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनियां

३४४७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के छोटे-बड़े नगरों में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोल मार्केट इलाके में सरकारी क्वार्टरों में सुविधायें

†३४४८. **श्री बाल्मीकी : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट सरकारी क्वार्टरों की श्रेणी ऊंची कर देने के बाद उनमें घन्टी (कॉल बेल) या तीसरी कमरे में छत का पंखा, वॉश बेसिन, पक्का बाहरी बरामदा आदि जैसी सुविधाएं देने की कोई योजना है ; और

(ख) क्या इस इलाके में विभिन्न मनोरंजन क्लबों को "गुम्बद" नियत करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) घन्टी (कॉल बेल) और छत के अतिरिक्त पंखे लगाने की कोई योजना नहीं है। कुछ क्वार्टरों में वॉश बेसिन पहले से ही हैं और कुछ में (डी०-२ टाइप और उससे उपर) व्यक्तिगत प्रार्थना पर लगाये जा रहे हैं। पक्का छतदार बरामदा सभी मकानों में है।

(ख) वर्तमान तीन गुम्बद मनोरंजन क्लबों के लिए पहले से ही इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में कागज के कारखाने

३४४९. **श्री भक्त दर्शन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खोई से कागज तैयार करने के सात कारखाने स्थापित करने के लिये हाल ही में लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिस में कारखानों के स्थान, अनुमित लागत, उत्पादन क्षमता और उन फर्मों के नाम बताये गये हों जो कारखाने लगाने जा रहीं हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां। उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन उत्तर प्रदेश में गन्ने की खोई का प्रमुख कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके कागज बनाने के दस कारखाने लगाने के लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३]**

एडिनबरा में चाय केन्द्र

†३४५०. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एडिनबरा में एक चाय केन्द्र कायम करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत पर ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस केन्द्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) सरकार ने एडिनबरा में चाय केन्द्र स्थापित करने की योजना मंजूर कर ली है।

(ख) अनुमान है कि इस परियोजना की लागत ३०,००० पौंड होगी।

(ग) इस चाय केन्द्र का स्वरूप पूर्णतः भारतीय होगा। यह केन्द्र स्काटलैंड में भारतीय चाय के प्रचार के लिए स्थापित किया जा रहा है और वह भारतीय चाय के सर्वांगीण संवर्धन आंदोलन का एक अंग होगा।

आयरिश चाय परिषद् द्वारा चाय केन्द्र का खोला जाना

†३४५१. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चाय बोर्ड की सहायता से आयरिश चाय परिषद् द्वारा एक चाय केन्द्र खोले जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या राय है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने योजना मंजूर कर ली है।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

†३४५२. **श्री मोहन नायक**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य में कितनी औद्योगिक बस्तियां चालू की गयी हैं; और

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) उड़ीसा राज्य में ८ औद्योगिक बस्तियां चालू की गयी हैं।

(ख) १ बस्ती में उत्पादन आरम्भ हो गया है, ४ बस्तियां पूरी हो गयी हैं और इन बस्तियों में से २ में कुछ कारखाने चालू हो गये हैं। अन्य तीन बस्तियों में निर्माण कार्य जारी है और अनुमान है कि वह शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के सहकारी हथकरघा उद्योग

†३४५३. **श्री मोहन नायक : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अभी छोटे पैमाने के कुल कितने सहकारी हथकरघा उद्योग काम कर रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने उद्योग चालू करने का विचार है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र

†३४५४. श्री धर्म लिंगम : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के भिन्न-भिन्न भागों में अनेक उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निश्चय हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक तीन केन्द्र गुजरात में राजकोट, दिल्ली में ओखला और पश्चिम बंगाल में हावड़ा नामक स्थानों पर स्थापित किये गये हैं।

श्री लंका और बर्मा से विस्थापित व्यक्तियों के लिये उद्योगों के लिये सहायता

†३४५५. श्री धर्मलिंगम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री लंका और बर्मा से विस्थापित व्यक्तियों को नये उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और दूसरी सुविधाएं देने के लिए कोई योजना तैयार की गयी है जैसा कि पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) और (ख) श्री लंका के भारतीय विस्थापितों की सहायता करने के लिए मद्रास सरकार ने कुछ कार्यवाही की है जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]। इसके अलावा, नाजारेथ में एक कताई मिल चालू करने के लिए भारत सरकार ने १० लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी है। अनुमान है कि इस मिल में उत्पादन शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा। श्री लंका से आने वाले लोगों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए आयु विषयक रियायत भी दी जाती है और भारत में लौटने के लिए अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं साथ में लाने के संबंध में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती। इन लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए योजना आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मद्रास राज्य के तंजावर, रामनाथपुरम, और तिरुनेलवेली जिलों के विकास के लिए कुछ प्राथमिकताएं भी निर्धारित कर रहा है।

इसी प्रकार की परिस्थितियों में बर्मा से लौटने वाल भारतीय को ऐसी सुविधाएं देने के प्रश्न पर न तो भारत सरकार ने और न तो किसी राज्य सरकार ने विचार किया है क्यों कि उनकी संख्या बहुत थोड़ी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बती शरणार्थी

†३४५६. **श्री धर्म लिंगम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न लघु उद्योग सेवा शालाओं में तिब्बती शरणार्थियों के प्रशिक्षण पर अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ;

(ख) उन्हें किस प्रकार की प्राथमिकता दी गयी है ;

(ग) क्या श्रीलंका और बर्मा से विस्थापित व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) १,५१,२०३ रुपये।

(ख) लघु उद्योग सेवा शालाओं में प्रवेश के लिए शिक्षा सम्बंधी आवश्यकताओं में छूट दी गयी है। भाषा विषयक कठिनाई दूर करने के लिए हिन्दी शिक्षक/अनुवादक भी प्रत्येक समूह के साथ रखे गये हैं।

(ग) और (घ): मद्रास सरकार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहने वाले श्री लंका के विस्थपितों को प्राथमिकता देती है। राज्य सरकार इन विस्थापितों को ऋण, भूमि और अम्बर चरखे भी देती है ताकि वे भारत में छोटे उद्योग चालू कर सकें या अपना काम धन्धा चला सकें।

इसी प्रकार की परिस्थितियों में बर्मा से लौटने वाले भारतीयों को ऐसी प्राथमिकता देने के प्रश्न पर भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने इस पर अभी तक विचार नहीं किया है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है।

त्रिपुरा में पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी

†३४५७. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान में राजशाही में जो घटनाएं हुईं उनसे उत्पन्न अभी हाल के साम्प्रदायिक आतंक के कारण क्या पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी त्रिपुरा में आ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें सहायता देने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हों तो वे क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता देने वालों को अधिकार शुल्क

†३४५८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर रासायनिक पदार्थ और इंजीनिअरी उद्योगों के क्षेत्र में भारतीय परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता देने वालों को किन दरों पर अधिकार शुल्क (रायल्टी) दिया गया है ; और

(ख) विदेशी सहायता देने वालों को दिये जाने वाले अधिकार शुल्कों की ये दरें निर्धारित करने का आधार क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) देय अधिकार शुल्कों की दरें कई बातों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं जिनमें प्रौद्योगिक की किस्म और उसका महत्व तथा राष्ट्रीय योजना के संबंध में उद्योग की प्राथमिकता शामिल है। फिर भी यह स्पष्ट है कि अधिकार शुल्क की कोई प्रमापित दरें निर्धारित नहीं की जा सकतीं और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है।

व्यापार की उन्नति के लिये व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार (जनरल ऐग्रीमेंट आन ट्रेड एण्ड टैरिफ) द्वारा स्थापित समिति

†३४५९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकासशील देशों और कम विकसित देशों की व्यापार संबंधी कठिनाइयां दूर करने के लिए व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार द्वारा स्थापित समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या भारतीय शिष्टमडल भारत लौट आया है ;

(ग) समिति किन निष्कर्षों पर पहुंची है ; और

(घ) शिष्टमंडल ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें उठायी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं। गत मई में समिति की एक बैठक हुई थी और इस वर्ष में फिर उसकी बैठक होगी।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) गत मई में हुई समिति की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने निम्नलिखित बातें पेश की थीं :—

१. यदि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होता है तो उस दशा में इस बात के लिए सावधानी बरती जानी चाहिये कि भारत जैसे कम विकसित

†मूल अंग्रेजी में

देशों के व्यापार के संबंध में कोई भेदभाव न हो या अधिक प्रतिबन्ध न लगाये जायें।

(२) यूरोपीय साझा बाजार यह आश्वासन दे कि कम विकसित देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात की वर्तमान कठिनाइयां शीघ्र दूर की जायेंगी और नयी रुकावटें पैदा नहीं की जायेंगी।

(३) कम विकसित देशों में उत्पादित वस्तुओं के लिए एकांगी आधार पर उन्नत देशों को आयात शुल्क रियायतें देनी चाहिये।

कलकत्ता बन्दरगाह से लौह-अयस्क का निर्यात

†३४६०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ और १९६४-६५ में कलकत्ता बन्दरगाह से कितना लौह अयस्क निर्यात करने का लक्ष्य है ; और

(ख) उपरोक्त काल में भारत का राज्य व्यापार निगम किसी श्रेणी का लौह-अयस्क निर्यात करेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) कलकत्ता बन्दरगाह से ४.५ लाख टन वार्षिक निर्यात होगा।

(ख) ६२ % या इससे अधिक लोहा वाला अयस्क निर्यात होगा।

कलकत्ता बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात

†३४६१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५७–५८ और १९६०–६१ के बीच कलकत्ता बन्दरगाह से लौह-अयस्क के निर्यात में कमी हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता बन्दरगाह से लौह-अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान। कलकत्ता बन्दरगाह से लौह-अयस्क का वर्ष १९५७–५८ में निर्यात ६.९९ लाख टन से घटकर वर्ष १९६०–६१ में ४.९० लाख टन रह गया।

(ख) कार्य की समूची अर्थ व्यवस्था को और इस बात को ध्यान में रख कर कि कलकत्ता बन्दरगाह को अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करना होता है, कलकत्ता बन्दरगाह से लौह-अयस्क का निर्यात बढ़ाने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी क्षेत्र में भारतीयों का अवैध प्रवेश

†३४६२. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने दिनांक २८ मई, १९६२ के अपने विरोध-पत्र में भारत पर चीन–भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में और अवैध प्रवेश तथा भड़काने का आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) हां, श्रीमान। चीन सरकार ने अपने पत्र में निराधार भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने ३५° १९′ उत्तर ७८° १२′ पूर्व से दक्षिण पश्चिम में ८ किलोमीटर दूर ३५°१८′ उत्तर ७८° ०५′ ३०″ पूर्व एक चौकी बनाई है। चीन सरकार ने इस स्थान का नाम होंगशानटो बताया है। मानचित्र में होंगशानटो नामक कोई स्थान है और उल्लिखित क्षेत्र भारतीय है।

(ख) दिनांक २८ मई, १९६२ का चीन सरकार का पत्र अभी आया है और उसका अध्ययन हो रहा है।

अखबारी कागज पर 'वाटरमार्किंग'

†३४६३. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री मोट्टे राह :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना शुल्क दिये अखबारी कागज निकल जाने का काम कम करने के लिए अखबारों को दिये जाने वाले कागज पर 'वाटर मार्किंग' करने का विचार है ;

(ख) वर्ष १९६१ और १९६२ में कितने मामलों में ऐसा कुव्यवहार पकड़ा गया ; और

(ग) क्या नेपा मिल में 'वाटर मार्किंग' आरम्भ करने में कोई कठिनाई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) नेपा मिल की विद्यमान मशीनरी से अखबारी कागज का वाटर मार्किंग नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा में तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†३४६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन ने नेफा में ५००० तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास का कोई प्रोग्राम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) योजना में ५००० तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों को नेफा के विभिन्न सीमान्त डिविज़नों के लगभ ७५ परिवारों के स्वावलम्बी गांवों में जमीन पर बसाने की व्यवस्था है। प्रत्येक गांव आवश्यक चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सुविधायें होगी ।

पश्चिमी जर्मनी को टेपीयोका का निर्यात

†३४६५. **श्री वारियर** :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार-निगम ने ४००० टन टेपियोका का पश्चिमी जर्मनी को निर्यात करने का प्रबन्ध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रबन्ध का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) मई, १९६२ में समाप्त होने वाले मौसम में ५००० टन टेपियोका का आटा (मोनियोक भोजन) के निर्यात का ठेका राज्य व्यापार निगम ने अपने एजेन्टों द्वारा एक जर्मन फर्म से किया था । इस ठेके पर, फसल के नष्ट हो जाने के कारण, केवल १००० टन निर्यात किया जा सका । संबंधित फर्म के साथ इस मामले पर बातचीत हो रही है ।

अखबारी कागज के लिये प्रतिनिधिमंडल

†३४६६. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज़ का संभरण सुनिश्चित करने के मार्गोपायों का पता लगान के लिये विदेशों को कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधि मण्डल में कौन कौन होंगे ; और

(ग) प्रतिनिधि मण्डल किस किस देश को जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

पश्चिमी अफ्रीका के लिये आकाशवाणी का प्रसारण

†३४६७. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी पश्चिमी अफ्रीका के लिये अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी या पश्चिमी अफ्रीका की अन्य किसी भाषा में प्रसारण करता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इनमें से प्रत्येक भाषा के प्रसारण सप्ताह में कितने घंटों के होते हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो ऐसा प्रसारण न होने के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख) पश्चिमी अफ्रीका (घाना और नाइजीरिया) के लिये प्रति दिन एक घंटा (०११५ से ०२१५ बजे तक—भारतीय टाइम) अंग्रेज़ी में प्रसारण होता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

क्वार्टरों का बिना बारी दिया जाना

†३४६८. { **श्री नम्बियार** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणीवार कितने सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी क्वार्टर दिये गये हैं और १ १ जून, १९६२ को ऐसे कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची पर थे ; और

(ख) क्या रामाकृष्णपुरम आदि में बिना बारी क्वार्टरों का दिया जाना अब मामलों की नई जाँच करने के बाद हो रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) १ जून, १९६२ को १४०४ सरकारी कर्मचारी बिना बारी के क्वार्टरों के लिये प्रतीक्षा-सूची पर थे । ब्यौरा निम्न है :—

क्वार्टर की श्रेणी	बिना-बारी क्वार्टर मिलने की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों की संख्या
सी २	३२
एस सी . . .	४१
डी १ (टेन्योर आफिसर)	७९
डी १ (नान-टेन्योर आफिसर) . .	३२

†मूल अंग्रेज़ी में

क्वार्टर की श्रेणी	†बिना-बारी क्वार्टर मिलने की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों की संख्या
एस डी . .	१८
डी २(टेन्योर आफिसर)	१६
डी २ (नान-टेन्योर आफिसर) . .	८
ई० . . .	३०
एस ई	५०
एफ	१३
महिला समूह . .	४५
एस एफ . . .	२५७
जी (पुरानी दिल्ली) . . .	५१
जी (नई दिल्ली) . . .	७१५
चतुर्थ श्रेणी	शून्य
होस्टल	१४
कुल .	१४०४

(ख) राम कृष्णपुरम में दिये जाने के लिये हाल में तैयार हुए क्वार्टरों की पहिली किश्त में १०० टाइप के क्वार्टर थे जो बिना बारी दिये जाने के लिये नियत किये गये थे और वे पहिली दी गई स्वीकृति के अनुसार दे दिये गये हैं। इन मामलों की नई जाँच नहीं की गई।

ब्रिटेन के लिये पारपत्र

†३४६६. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६२ से ब्रिटेन के लिये कितने पारपत्र दिये गये हैं ;

(ख) ब्रिटेन के लिये पारपत्रों के लिये कितने प्रार्थनापत्र आये थे और उनमें से कितने स्वीकार किये गये ; और

(ग) कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जनवरी १९६२ से ३१ मई १९६२ तक ब्रिटेन के लिये १०,७८५ पारपत्र दिये गये हैं।

(ख) ब्रिटेन के लिये पारपत्रों के लिये १३,५८१ प्रार्थनापत्र आये थे और उपरोक्त काल में १०,७८५ स्वीकार किये गये।

(ग) ८४४।

†मूल अंग्रेज़ी में

उद्योगों के लाइसस

†३४७०. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्योग खोलने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) इनमें से कितने उद्योगों ने विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने का निश्चय किया है ; और

(ग) इन में से कितने व्यक्तियों ने आय व्यक्तियों को अपना लाइसेंस दे दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रखदी जायेगी ।

नेफा में खाद्य उत्पादन

†३४७१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ के बाद नेफा में प्रति वर्ष विभिन्न खाद्यान्न कितना कितना पैदा हुआ ;

(ख) नेफा में खाद्य उत्पादन की और क्या सम्भावनायें हैं ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उस क्षेत्र में खाद्य उत्पादन का क्या लक्ष्य है ; और

(घ) चालू वर्ष में उस क्षेत्र में खाद्य उत्पादन के विकास की योजनाओं के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रखदी जायेगी ।

(ख) नेफा में खाद्य उत्पादन बढ़ाने की एक तरकीब है कि झूम-खेतों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन वाले पौदे उगाकर झूम साइकिल से कम किया जाये, स्थायी कृषि बढ़ाई जाये ; सिंचाई की छोटी नालियाँ बनाई जायें, कृषि की उत्तम पद्धतियाँ आरम्भ की जायें, उत्तम बीज और अच्छे औजार प्रयोग किये जायें । इन सबसे उत्पादन बढ़ेगा और इस के लिये नेफा की तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था है ।

(ग) तीसरी योजना काल में ४००० टन अधिक उत्पादन प्राप्त करने की योजना है ।

(घ) इस वर्ष इस कार्य के लिये ७ लाख रु० रखे गये हैं ।

राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद् के अध्ययन दल

†३४७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम के लिये अमरीकी सहायता के अन्तर्गत चार देशों की यात्रा के लिये छः अध्ययन दल भेज रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो वे किस किस देश में जायेंगे ; और

(ग) वे किन विषयों का अध्ययन करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कामूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् । प्रत्येक दल दो देशों में जायेगा जिन में एक देश अमरीका होगा ।

(ख) और (ग). ये दल किन विषयों का अध्ययन करेंगे और किन देशों को जायेंगे, निम्न हैं :—

विषय	यात्रा वाले देश
१. रेडियो तथा इलैक्ट्रानिक्स उद्योग . . .	अमरीका और जापान
२. शीशा और चश्मे के शीशे का उद्योग . .	ब्रिटेन और अमरीका
३. खाद्य परीक्षण तथा डिब्बों में बन्द करने का उद्योग .	डनमार्क और अमरीका
४. अलौह धातु उद्योग	अमरीका और ब्रिटेन
५. केबल्स उद्योग . . .	जापान और अमरीका
६. उद्योगों में औजार, विग तथा फिक्सर . .	ब्रिटेन और अमरीका

कच्चे पटसन का निर्यात

†**३४७३. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में साम्यवादी और अन्य योरोपीय देशों को कच्चे पटसन का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना निर्यात होगा;

(ग) क्या इस कार्यवाही का पटसन उद्योग ने विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २,००,००० गांठों तक ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिकन्दराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा गान्धी अस्पताल में रोगी की मृत्यु

†**३४७४. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिकन्दराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा गान्धी अस्पताल में १७ मार्च, १९६२ को एक रोगी की मत्यु होने की शिकायत मिली हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि रोगी १४ मार्च, १९६२ को दाखिल हुआ था ;

(ग) क्या यह सच है कि रोगी १७ मार्च की सुबह एक गोली देने के दस मिनट बाद मर गया ; और

(घ) क्या यह सच है कि रिश्तेदारों को उसकी मृत्यु की सूचना नहीं दी गई ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). हां । रोगी १४ मार्च, १९६२ को सिकन्दराबाद के गान्धी अस्पताल के कर्मचारी राज्य बीमा वार्ड में दाखिल हुआ था और वह १७ मार्च, १९६२ को मर गया ।

(ग) नहीं ।

(घ) नहीं । उस स्थान पर रोगी का कोई रिश्तेदार न था और उन्हें सूचना देने में देर हुई ।

चीन भारत सीमा विवाद पर पुस्तिकायें, आदि

†३४७५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के अतिक्रमण की जानकारी देश में और विदेशों में देने के लिए अगस्त, १९६१ के बाद कोई पुस्तिका, आदि प्रकाशित की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस भाषा में; और

(ग) प्रत्येक की प्रकाशन तारीख क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन की भाषा	प्रकाशन की तारीख
	भारत में प्रकाशित		
१	चीन-भारत सीमा संबन्ध पर प्रधान मंत्री के विचार—खंड १ .	अंग्रेजी	१८-८-६१
२	भारत चीन सीमा समस्या .	उड़िया	२०-९-६१
३	सीमा प्रश्नों पर भारत सरकार और चीन सरकार के अधिकारियों की रिपोर्ट का सारांश	तमिल	२५-८-६१
		हिन्दी	४-९-६१
		मराठी	३०-१-६१
		बंगला	५-३-६२
		कन्नड़	७-३-६२
		तेलगु	१६-४-६२
		असमी	१८-५-६२
		उड़िया	मुद्रण हो रहा है ।
४	ह्वाइट पेपर संख्या ५ . . .	अंग्रेजी	२५-११-६२

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में प्रकाशित

१	सीमा प्रश्नों पर भारत सरकार और चीन सरकार के अधिकारियों की रिपोर्ट का सारांश	बर्मी	अगस्त, १९६१
		जापानी	अगस्त, १९६१
		सिंहली	नवम्बर, १९६१
		फ्रांसीसी	दिसम्बर, १९६१
		जर्मन	मार्च, १९६२
२	सीमा प्रश्नों पर भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट का अन्तिम अध्याय	जर्मन	मार्च, १९६२

पानशेत बांध के फटने पर प्रसारण

†३४७६. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के पूना केन्द्र की पानशेत बांध के खतरे के बारे में किस तारीख को और किस समय सूचना मिली;

(ख) आकाशवाणी पूना में किस तारीख को और कब प्रसारित किया;

(ग) आकाशवाणी के पूना केन्द्र को किस तारीख और किस समय बान्ध के फटने की सूचना मिली; और

(घ) यह सूचना किस तारीख को और किस समय प्रसारित की गई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) से (घ). आकाशवाणी के पूना केन्द्र को १२ जुलाई, १९६१ को किसी भी साधन से पानशेत बान्ध के लिए खतरे की सूचना नहीं मिली थी। मुला नदी में बाढ़ की प्रथम सूचना दिन में १०-१० बजे किसी व्यक्ति ने टेलीफोन पर दी थी। तत्पश्चात् समाचार की अधिकृत पुष्टि के प्रयास असफल रहे। सहायक निदेशक स्वयं पूना कलक्टरेट से समाचार की सचाई की पुष्टि करने गये। उन्होंने तुरन्त १२·३० बजे पंचेट बांध के गिर जाने और लोगों को सावधान करने लिए घोषणा प्रसारित की। इसे १२·५० बजे, १३ बजे, १३·३० बजे और १४ बजे दोहराया गया। और जानकारी १६·१७ बजे और १६·२४ बजे प्रसारित की गई। उसके बाद केन्द्र ने काम करना बन्द कर दिया क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं थी।

भारतीय मिलों म 'सनफराइजिंग' क्रिया

†२४७७. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मिलों में सनफराइजिंग का काम करने के लिए विदेशी सनफराइजिंग क्रिया निर्माताओं से ठेका किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष प्रत्येक सनफराइजिंग मशीन पर और कपड़े के प्रत्येक मीटर पर कितनी रायल्टी देनी पड़ती है;

(ग) दोनों कार्यों के लिए विदेशी निर्माताओं को विदेशी मुद्रा में कुल कितना भुगतान किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने विदेशी मुद्रा की कठिनाई का कारण इस वर्ष के अन्त तक यह ठेका समाप्त करने की सिफारिश की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कुछ भारतीय मिलों ने ठेका किया है ।

(ख) समूचे या आंशिक रूप में माने गये कपड़े पर निम्न रायल्टी दी गई :

(१) ४५" चौड़े कपड़े पर .१७५ सेन्ट (अमरीकी) प्रति गज;

(२) ४५" से अधिक चौड़े कपड़े पर उपरोक्त दर का ११० प्रतिशत दिया गया;

(३) किसी भी पत्री वर्ष या उस से कम समय में प्रति मशीन पर कम से कम ३,५००/- डालर की रायल्टी देनी पड़ती है ।

(ग) भारतीय मिलों ने कुल कितनी रायल्टी दी, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) नहीं, श्रीमान् । फिर भी, व्यापार तथा व्यापारी माल चिह्न अधिनियम, १६५८ की धारा ५० के अन्तर्गत "सनफराइज्ड" व्यापार चिह्न का प्रयोग करने वाले विभिन्न मिलों का पंजीयन, जो कि व्यापार चिह्न अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत उपबन्धित किया गया था, २४ नवम्बर, १६६२ स समाप्त हो जायेगा ।

मेवाड़ टक्सटाइल मिल्स लि०, भीलवाड़ा

†३४७८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह रीति है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १६५१ की धारा १८-क के अन्तर्गत अपने हाथ में ली जाने वाले उद्योगों के मुख्य एक या अधिक अंशधारियों को उसकी सलाहकार समिति में रखती है;

(ख) क्या सरकार ने मई, १६६२ में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि०, भीलवाड़ा की सलाहकार समिति में कोई ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन किया था;

(ग) क्या यह सच ह कि राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को सलाहकार समिति की जून, १६६२ के आरम्भ में हुई बैठक में भाग नहीं लेने दिया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं ।

(ख) से (घ). मई, १६६२ में एक नये व्यक्ति को मनोनीत किया गया था और इस मामले पर अभी राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में केन्द्रीय परियोजनायें

३४७६. **श्री लक्ष्मू भवानी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले मे कितनी केन्द्रीय परियोजनाओं पर काम हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना, तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : सूचना उपलब्ध नहीं है और जैसे ही एकत्रित होगी दे दी जायेगी ।

दण्डकारण्य परियोजना

३४८०. **श्री लक्ष्मू भवानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना पर सन् १९५८ से १९६१–६२ तक कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) इनमें से बस्तर जिले में कितनी राशि खर्च हुई और कोरापुट जिले में कितनी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) १९५७–५८ से १९६१–६२ तक लगभग १२.१७ करोड़ रुपये ।

(ख) बस्तर और कोरापुट जिलों के बारे में पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दण्डकारण्य परियोजना

३४८१. **श्री लक्ष्मू भवानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार से कितने व्यक्ति लिये गये हैं ; और

(ख) इनमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

दण्डकारण्य परियोजना

३४८२. **श्री लक्ष्मू भवानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार द्वारा कितने एकड़ जमीन प्रदान की गई है ;

(ख) इन में से कितनी जमीन आदिवासियों को बस्तर मे और उड़ीसा में प्रदान की गई है ; और

(ग) उक्त भूमि पर अब तक कितने आदिवासी बसाये जा चुके हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). दण्डकारण्य परियोजना के बारे में ३१ मार्च, १९६२ की अवधि तक प्रगति प्रतिवेदन दिनांक १ मई, १९६२ जो कि इस सभा के सदस्यों को परिचालित किया गया था उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य परियोजना

३४८३. श्री लक्ष्मू भवानी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८ से दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों ट्रकों आदि पर कितनी राशि अब तक खर्च हुई है ; और

(ख) उक्त अवधि में इन सब में पैट्रोल का कितना खर्च हुआ है ?

निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) संधारण तथा क्रिया-करण (आप्रेशन) को मिला कर ३१ मार्च, १९६२ तक १.०७ करोड़ रुपये ।

(ख) पैट्रोल आदि पर जो खर्च किया गया उसके पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दण्डकारण्य परियोजना

३४८४. श्री लक्ष्मू भवानी: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८ से अब तक दण्डकारण्य परियोजना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं आफिस खर्च में कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाने में कितनी राशि इस परियोजना के अन्तर्गत खर्च हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली स्थित तालकटोरा बैरक्स में कार्यालय

†**३४८५. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित तालकटोरा बैरक्स, जिसमें कार्यालय हैं, की इमारत की मरम्मत की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वह इमारत कितनी पुरानी है और इस बात को देखते हुए कि इस इमारत की अवधि समाप्त हो चुकी है क्या उसे गिराया जाना है ;

(ग) इस इमारत की मरम्मत तथा इमारत से कार्यालय किसी और इमारत में ले जाने और फिर इसी इमारत में लाने पर और जिन इमारतों में कार्यालय ले जाये जायेंगे उनके किराये आदि के रूप में कितना व्यय होगा ;

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित व्यय इन बैरकों की इमारत की मूल लागत की तुलना में किस प्रकार बैठता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या इन बैरकों को गिराकर उनके स्थान पर दोमंजिली या तिमंजिली इमारत बनाने का प्रस्ताव किसी समय रहा है ; और

(च) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क)से (च). ये बैरक, जो १९४३ में १४·३८ लाख रुपये की लागत से बने थे, अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। स्थान की बहुत ज्यादा कमी होने से उन्हें कुछ और समय तक काम में लाना आवश्यक हो गया है। इन बैरकों को सुरक्षित बताने के लिये मरम्मत की जा रही है जिस पर लगभग २·६२ लाख रुपये खर्च होंगे। अन्य इमारतों में कार्यालयों के किराये के रूप में कोई राशि व्यय न होगी।

रिकार्ड आदि को हटाने पर कोई खास व्यय नहीं होगा।

इस इमारत को गिराने पर जो स्थान उपलब्ध होगा वहां कुछ हिस्से में आकाशवाणी के कार्यालय की इमारत (दूसरा चरण) और शेष हिस्से में लोक-सभा सचिवालय का भावी विस्तार करने का इरादा है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नेफा का विकास

†**३४८६. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक सचिव नेफा क्षेत्र के विकास सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर आसाम के राज्यपाल और नेफा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिये जून, १९६१ के पहले सप्ताह में शिलांग गये थे ;

ख) यदि हां, तो उन्होंने किन विशिष्ट मामलों पर चर्चा की ; और

(ग) नेफा क्षेत्र के विकासार्थ वैदेशिक सचिव के परामर्श से कोई निर्णय लिये गये हों तो वे क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) वैदेशिक सचिव ३१ मई से २ जून तक शिलांग में थे। नेफा के वरिष्ठ अधिकारियों का एक सम्मेलन शिलांग में १ जून को आरम्भ हुआ और वैदेशिक सचिव ने सम्मेलन की एक-दो बैठकों में उपस्थित रह कर नेफा प्रशासन के समक्ष आने वाली प्रशासनिक और अन्य समस्याओं की, जिनके बारे मे कार्यवाही करने के लिये प्रशासन आवश्यक मार्ग-दर्शन और सहायता प्रदान करता है, जानकारी प्राप्त की।

(ख) वैदेशिक सचिव न अपने दौरे के दौरान नेफा के समक्ष उपस्थित सेन्यतंत्र सम्बन्धी तथा अन्य समस्याओं पर राज्यपाल के साथ चर्चा की और आसाम के कुछ मंत्रियों और मुख्य सचिव से मुलाकात भी की। वैदेशिक सचिव ने नेफा में कार्य कर रहे भारतीय सीमांत प्रशासन सेवा के कई अधिकारियों से मुलाकात कर नेफा के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की और इन अफसरों द्वारा दैनिक कार्यों में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के बारे मे चर्चा की। इसके अतिरिक्त वैदेशिक सचिव ने भारतीय सीमां त प्रशासन सेवा के अधिकारियों के एसोसियेशन की एक बैठक का सभापतित्व किया जिसमें सेवा की दशाओं में सुधार सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किसी बड़े प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं किया गया। किन्तु जो विचार-विमर्श हुआ उसके आधार पर आन्तरिक व्यवस्था में परिवर्तन कर के कुछ कठिनाइयों व समस्याओं को हल किया गया और भारत सरकार के समक्ष समस्यायें, जिनमें विकास सम्बन्धी प्रस्ताव शामिल है, किस प्रकार प्रस्तुत की जायें इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन किया गया।

यहां यह भी बता दिया जाये कि जब कभी राज्यपाल या नफा प्रशासन के अधिकारी दिल्ली आते हैं और वैदेशिक सचिव शिलांग जाते हैं तब इस प्रकार का विचार विमर्श अवश्य किया जाता है ।

उद्योगपतियों और श्रमिकों के सम्बन्ध

३४८८. **श्री रामेश्वरानन्द :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल उद्योगपतियों और श्रमिकों के मध्य सम्बन्ध ठीक नहीं रहने से जगह-जगह हड़तालें हो जाती हैं जिसके कारण उद्योगों को बहुत हानि होती है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे प्रयत्न किये हैं जिससे मालूम हो सके कि ये सम्बन्ध आपस में किन कारणों से खराब हो जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार उद्योगों को उन्नत करने के लिये श्रम-विवादों के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। हड़ताल और तालाबन्दी के कारण जो श्रम-दिनों की हानि होती थी, उसमें कमी होती जा रही है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

अणु शक्ति

†३४८९. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु के विलयन या विभाजन से बिजली और ईंधन के उत्पादन तथा खपत और पुराने साधनों से बिजली और ईंधन के उत्पादन तथा खपत के लाभ-हानि का तुलनात्मक मूल्यांकन या अनुमान हाल में लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). पुराने तरीकों से तथा अणु के विभाजन से बिजली के उत्पादन के लाभ-हानि का अध्ययन तथा समीक्षा निरन्तर की जाती है । इस सम्बन्ध में किये गये नवीनतम अध्ययन का ब्यौरा डा० एच० जे० भाभा, एफ० आर० एस० अध्यक्ष, अणु शक्ति आयोग द्वारा प्रकाशित लेख "एटामिक एनर्जी इन दी इंडियन इकानामी" में दिया गया है । जो डा० भाभा ने अमरीकी आणविक सोसाइटी तथा अमरीकी औद्योगिक मंच के सदस्यों के समक्ष

†मूल अंग्रेजी में

नवम्बर में प्रख्यात व्याख्याता की हैसियत मे पढ़ा था। इस लेख की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी है ।

तापीय-आणविक विलयन को नियंत्रित करने में अभी सफलता नहीं मिली है ।

औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन

†३४९०. **श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से १९६२ तक प्रत्येक वर्ष उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस की प्राप्ति के लिये कितने आवेदन किये गये ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने आवेदन अस्वीकार किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष	कुल आवेदनों की संख्या	अस्वीकार किय आवदनों की कुल संख्या
१९५६ . . .	१२९१	२१८
१९५७ . . .	१४०८	४२३
१९५८ .	१८७८	२८६
१९५९ . .	२७१९	३५८
१९६० . .	३३०५	५४८
१९६१ . . .	४०१२	९७२
१९६२ (जनवरी, १९६२ से अप्रैल, १९६२ तक) . .	१०३३	४४९

बकाया किराया

†३४९१. **श्री मो० महन्ती** : **क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सम्पत्ति निदेशक के नियंत्रण के अन्तर्गत बकाया किराये की बहुत बड़ी राशि इकट्ठा हो जाने के बारे में जांच करने के लिये सरकार ने सितम्बर, १९६१ में जो अफसरों की समिति गठित की थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६०–६१ तक सरकारी कर्मचारियों से कुल कितना बकाया किराया वसूल किया जाना था और अब उनका कितना किराया बकाया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). जी हां। किन्तु इस बीच समिति का विघटन कर दिया गया है। समिति द्वारा किराये की बकाया राशि के प्रश्न के बारे में जांच आवश्यक नहीं पाई गयी क्योंकि इस बीच स्थिति में काफी सुधार हुआ है। १ अप्रैल, १९६१ को सरकारी कर्मचारियों से बकाया किराये के रूप में कुल २७·१५ लाख रुपये वसूल किये जाने थे। १ अप्रैल को यह राशि घटकर १९·१२ लाख रुपये रह गई। यह बकाया राशि भी वास्तविक रूप से बकाया नहीं है क्योंकि इसमें से अधिकांश राशि वह है जो सम्बन्धित विभागों ने सरकारी कर्मचारियों से वसूल कर ली है किन्तु वह राज्य सम्पत्ति निदेशालय के हिसाब मे अब तक जमा नहीं हुई है।

हथकरघा बुनकरों के लिये सूत

†३४९२. **श्री सुब्बरामन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा बुनकरों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त सूत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर नहीं मिलता ; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हथकरघा बुनकरों की आवश्यकतायें आम तौर पर पूरी की जाती हैं। किन्तु कभी-कभी सूत की विशिष्ट किस्मों के अभाव के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वस्त्रोद्योग आयुक्त कपास की मिलों के फेडरेशन के सम्पर्क में हैं और बुनकरों की सहकारी समितियों को मिलों से सूत का सीधा संभरण करने के लिये व्यवस्था कर दी गयी है। सूत के अधिक उत्पादन के लिये सरकार रुई की उपलब्धि बढ़ाने और अतिरिक्त तकुए लगाने के लिये भी कदम उठा रही है।

प्रशुल्क करार

†३४९३. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते के नवीनतम अधिवेशन के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के साथ किये गये प्रशुल्क करारों को मान्यता दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित विशिष्ट करार कौन से हैं ; और

(ग) ये करार जितनी अवधि के लिये लागू होंगे, उसमें करार की शर्तों के अनुसार भुगतान की समग्र राशि क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). इन करारों और करारों में दी गई प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतों के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा शीघ्र की जायेगी।

(ग) इन करारों के अन्तर्गत प्राप्त आयात-शुल्क सम्बन्धी रियायतों से निर्यात बढ़ाने में सहायता मिल सकती है किन्तु उनका हमारे द्वारा किये जाने वाले भुगतान पर विशेष प्रभाव न पड़ेगा।

पेकिंग में भारतीय राजनयिक कर्मचारियों पर प्रतिबंध

†३४९४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में भारतीय राजनयिक कर्मचारियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों के बारे में पेकिंग सरकार से हाल में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) जी, हां। दिनांक ७ जून, १९६१ का एक पत्र पेकिंग स्थित हमारे दूतावास को हाल में दिया गया है। यह पत्र अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आम तौर पर चीन की सरकार इस बात पर जोर देती है कि वह हमारे अधिकारियों को स्थानीय विधियों और विनियमों के अनुसार "उचित" सुविधायें देती रही है किन्तु उसने उन्हें अपने कार्यों को अधिक सुविधाजनक ढंग से करने के लिये कोई और सुविधा देने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है।

वह विशेष प्रतिबन्धों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती किन्तु यह स्वीकार करती है कि ये प्रतिबन्ध चीन में सभी राजनयिक कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं।

चीन स्थित हमारे दूतावास से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि ये प्रतिबन्धात्मक विनियम भारतीय राजदूतों पर विशेष कड़ाई के साथ लागू किये जाते हैं। किन्तु चीन के तिब्बत क्षेत्र में हमारे राजनयिक कमचारियों को और भी ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं और उन्हें चीन के अन्य भागों की अपेक्षा मान्यता-प्राप्त सुविधायें कम ही मिल रही हैं।

चीन के पत्र में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और चीन में तथा विशेषकर चीन के तिब्बत क्षेत्र में हमारे अफसरों और राजनयिक कर्मचारियों पर लगाये गये अनावश्यक और कड़े प्रतिबन्धों का दायित्व स्वीकार करने से बचने की कोशिश की गई है।

अफ्रीका में भारतीय

†३४९५. श्री जसवन्त मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अफ्रीका में विशेषकर केनिया, यूगान्डा, जांजीबार और दक्षिण अफ्रीका में कितने भारतीय रह रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन, इंडियन काउंसिल फार अफ्रीका, एफ्रो-एशियन सोसाइटी जैसे स्वैच्छा से काम करने वाले संगठनों को आर्थिक सहायता देती रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन संगठनों को गत पांच वर्षों में कितना धन दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इन देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

केनिया	१,७८,०००
यूगान्डा	७६,०००
जांजीबार	१८,३००
दक्षिण अफ्रीका	५,००,०००

(ख) और (ग). १९५६–५७ में अफ्रीकी–एशियाई संगठन को कुछ आर्थिक सहायता दी गयी थी किन्तु इन में से किसी भी निकाय को गत पाँच वर्षों में कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

औद्योगिक सहकारी समितियां

†३४९६. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक सहकारी समितियों को अब तक कितना धन (१) ऋण और (२) अनुदान के तौर पर दिया गया है ;

(ख) इन समितियों ने कौन से उद्योग शुरू किये हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश में कौन सी औद्योगिक सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं ; उन्हें क्या सहायता दी गयी और उन्होंने कौन से उद्योग शुरू किये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में द्वारका पेपर मिल

†३४९७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वारका पेपर मिल नामक कागज़ का एक नया कारखाना मध्य प्रदेश में नेपा से कोई २०० मील दूर बैतूल में खोला जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने यह कारखाना खोलने के लिये मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह कारखाना किसने खोला है और सहयोग की व्यवस्था की गई हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब की पहाड़ियों में संचार के लिये दिया गया धन

†३५००. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की पहाडियों में तीसरी योजनावधि में सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार ने कितना धन मंजूर किया है ;

(ख) पंजाब सरकार ने पंजाब पहाड़ियों में संचार के सुधार के लिए कितना धन माँगा है; और

(ग) पंजाब सरकार की प्रार्थना पर उसे देने के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६**]

सर्वोदय कार्यकर्ताओं के लिये पासपोर्ट

†३५०१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य उनका ध्यान इस बात की ओर गया है कि दो सर्वोदयी कार्यकर्ता श्री ई० पी० मेनन और श्री सतीश कुमार ने आणविक परीक्षणों के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिये १ जून, १९६२ को गाँधी समाधि, राजघाट से प्रस्थान किया है ;

(ख) यह क्या सच है कि वे अपनी पदयात्रा के दौरान जिन-जिन देशों से होकर जाने वाले थे उन सभी देशों के लिये उन्होंने पासपोर्ट मांगें थे किन्तु उन्हें पासपोर्ट नहीं दिये गये हैं ;

(ग) क्या वे पासपोर्ट सहित या बगैर पासपोर्ट के जाने का निर्णय कर चुके हैं और क्या उन्होंने सरकार को यह सूचित कर दिया है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं । उन्हें पासपोर्ट की आवश्यक सुविधा पहले ही दी जा चुकी है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) आवेदकों ने पहले अपने आवेदन जिला अधिकारियों की मार्फत प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी, मदरास को प्रस्तुत किये थे । किन्तु इन आवेदनों में कुछ जानकारी न दी गयी थी जिसके कारण वे आवेदकों को लौटा देने पड़े थे । इस बीच ये व्यक्ति दिल्ली आ गये थे । यहाँ आने पर उन्होंने २५ मई, १९६१ को मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली से मुलाकात की । उसके तुरन्त बाद प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी, मदरास से विचार-विमर्श किया गया और सम्बन्धित कागजात मगा लिये गये और ५ जून, १९६२ को उन्हें पासपोर्ट की सुविधा दे दी गयी ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

मालदा जिले में पक्षाघात का महामार के रूप में फैलना

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं स्वास्थ्य मंत्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे वक्तव्य दें :—

"पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप में फैलने का समाचार"।

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कुछ क्षेत्रों में एक अज्ञात रोग फैला हुआ है, इस रोग से रोगी का निचला हिस्सा बेकार हो जाता है। इस रोग की पहले ४–४–१९६२ को खबर मिली। यह रोग ४३५ व्यक्तियों को हुआ है, किसी के मरने का समाचार नहीं मिला। इसकी निशानी यह है कि टाँग में दर्द होती है और फिर पक्षाघात होता है। इस में बुखार नहीं होता।

चालीस प्रतिशत लोग काम पर लौट आए हैं और शेष का इलाज किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का यह विचार है कि यह रोग किसी किटाणु के प्रभाव से नहीं हुआ है। इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि यह रोग किसी रासायनिक विषय से उत्पन्न हुआ है। यह भी सम्भव है कि यह सरसों के तेल में खराबी या खाद्य पदार्थों के किसी रासायनिक द्वारा खराब होने से उत्पन्न हुआ हो।

राज्य के अधिकारियों ने रोकथाम के लिए उपाय किये हैं। इस रोग के नमूने के रोगियों को कलकत्ते की अनुसंधान सस्थाओं में अनुसंधान और इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। रोग के कारणों की विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जा रही है। एक दूसरे के बाद उष्णदेशीय चिकित्सा संस्था, कलकत्ता और अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता से विशेषज्ञों के तीन दल इस क्षेत्रीय जाँच के लिए वहां जा चुके हैं। राज्य सरकार ने अतिरिक्त परिश्रमी भैषजिक एककों को स्थानीय लोगों के लाभ के लिए चालू किया है। विशेषज्ञ जाँच करने वालों को सिफारिशें प्राप्त होने पर संगठित रूप से इलाज किया जा सकेगा। जिन चूहों को तेल का भोजन दिया गया जिस से लोगों पर प्रभाव हुआ था। उन चूहों पर प्रयोग से पता चला है कि पिछली टाँगों पर पक्षाघात होता है। सरसों के तेल और अन्य वस्तुओं का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। इस रोग के कारणों की जाँच करने में उष्णदेशीय चिकित्सा संस्था, कलकत्ता, और अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य सस्था राज्य अधिकारियों से सहयोग में रहे हैं।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार को निश्चय हो गया है कि पक्षाघात का रोग नकली तत्वों से मिले हुए सरसों के तेल से फैला था। सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†डा० सुशीला नायर : जिन व्यक्तियों पर इस रोग का प्रभाव हुआ था उन्होंने विशिष्ट सरसों के तेल में तली हुई चीजें खाई थीं। रोग्रस्त व्यक्तियों ने जो सरसों का तेल खाया था वह उन्होंने जहां से लिया था उस स्टाक को जब्त कर लिया गया है और आगे जांच हो रही हैं। तेल में

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या क्या चीजें थीं इस का ठीक ठीक पता लगने पर इस के लिये जो जिम्मेदार होंगे उन के विरुद्ध कार्यवाई का प्रश्न उठेगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : क्या अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्था ने बताया है कि यह रोग सरसों के तेल में कुछ मिलावट से हुआ है ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैंने पहले ही कहा है कि चूंकि मां का दूध पीने वाले बच्चों को यह रोग नहीं हुआ है और वयस्कों को हो हुआ है, अतः यह सिद्ध होता है कि यह रोग किसी वस्तु के खाने से हुआ है। इसी तेल से बनी हुई वस्तुएं चूहों को दी गई थीं और उन्हें पक्षाघात का रोग हो गया है । तेल में क्या मिलाया है इस की जांच की जा रही है । जब जांच पूरी हो जाएगी और सही स्थिति का पता चल जाएगा, आगे कार्यवाई की जाएगी ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : क्या सरकार को पता है कि जिस गोदाम में तेल था, उस में और खाद्य पदार्थ भी थे और यदि हां, तो कार्यवाई करनी चाहिये कि ये खाद्य पदार्थ प्रयोग में न लाये जाएं ।

†**डा० सुशीला नायर :** इस समय हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि चावल और दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलावट हुई थी ।

दिल्ली स्टेशन और फीरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :

"दिल्ली स्टेशन तथा कोटला फ़िरोज़शाह में पानी की सख्त किल्लत ।"

†**डा० सुशीला नायर :** दिल्ली में रेलवे विभाग निगम से शुद्ध पानी लेते रहे हैं ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि हिन्दी में जवाब दिया जाये ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, रेलवे अधिकारीगण पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिये पिछले कुछ सालों से दिल्ली कार्पोरेशन के मेन नलों में से पानी ले रहे हैं । उन के पास एक बड़ा छः इंच डायमीटर का वाटर कनेक्शन है और कई छोटे छोटे कनेक्शन भी है । ९ जून, १९६२ को कार्पोरेशन को यह शिकायत हुई कि नलों में पानी का प्रेशर कम है । वाटर एमरजेंसी स्टाफ ने उसी वक्त जा कर इस को दुरुस्त कर दिया और उस के बाद कोई कठिनाई नहीं रही ।

दूसरा सवाल विक्रमनगर कालोनी का है, जो रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की एक कालोनी है और फ़िरोजशाह कोटला ग्राउंड्ज़ के नज़दीक स्थित है । वहां पर २५०० लोग रहते हैं और मिनिस्ट्री ने वहां पर कोई छः पब्लिक हाइड्रेन्ट्स लगाये हुए हैं । ये हाइड्रेन्ट्स एक दो इंच की मेन से लिये गये हैं । वह मेन, जो कि वहां पानी लाती है, झंडेवाला रेज़रवायर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बिल्कुल आखिरी सिरे पर, टेल एण्ड पर है और इसलिये वहा का प्रेशर कुछ कम हो जाता है । मिनिस्ट्री आफ रीहैबिलिटेशन ने वहां पर सिर्फ अस्थायी रूप से पानी का इन्तज़ाम किया था,

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि उन का इरादा वहां पर बैठे हुए कुटम्बों को आखिर में किसी और जगह हटा देने का था। उन्होंने वहां पर पानी का कोई पक्का इन्तज़ाम नहीं किया हुआ है।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की किल्लत है, वह सिर्फ आज नहीं, बल्कि हर साल होती है। उस बिना पर राजकुमारी अमृतकौर के ज़माने में गन्दा पानी पीने की वजह से हज़ारों आदमी मौत के घाट उतर गए थे। क्या मिनिस्टर साहबा यह बता सकेंगी कि चूंकि दिल्ली इस देश का सदर-मुकाम है, इसलिये क्या केन्द्रीय सरकार के सामने यहां की पानी की समस्या को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिये कोई स्कीम है? इसके अलावा पानी की आरज़ी किल्लत को दूर करने के लिये क्या यह तजवीज उनके ज़ेरे-ग़ौर है कि राष्ट्रपति और मिनिस्टरों का पानी भी कुछ कम किया जाये?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने राजकुमारी अमृतकौर के मंत्री पद के काल में जो हज़ारों लोगों के बीमार होने का जिक्र किया है, वह तो सही नहीं है। हज़ारों आदमियों का तो कोई सवाल नहीं था।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने तो हज़ारों आदमियों के मरने की बात कही है।

डा० सुशीला नायर : वह सही नहीं। जहां तक पानी की किल्लत का सवाल है, इस सदन में कई बार सवालों के जवाब में मैंने अर्ज़ किया है कि इस बारे में क्या क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं, ताकि पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। इस के लिये बहुत सी योजनायें बन रही है और इस वक्त अगर कहीं से भी कोई रिपोर्ट मिलती है, तो वहां पर तुरन्त पानी का इन्तज़ाम किया जाता है। हम इस वक्त यहां पर दिल्ली नगर निगम ३७ गैलन्ज़ पर-हैड के हिसाब से पानी पहुंचा रहे हैं, जब कि दूसरे शहरों में २०, २५ गैलन से ज्यादा पानी नहीं मिलता है। दिल्ली में पानी के सम्बन्ध में और जगहों से ज्यादा अच्छी हालत है।

श्री बागड़ी : क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से कोई स्कीम बनाई जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को अवसर दे दिया और उन्होंने सवाल भी कर लिया। अब उनको चाहिये कि वह आराम से बैठें।

श्री बागड़ी : माननीय मंत्री ने तो कार्पोरेशन के बारे में कहा है। मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में बाकायदा तौर पर कोई ऐसी स्कीम तैयार कर रही है, जिस से यह पानी की किल्लत दूर हो जाये। दूसरा सवाल यह था कि क्या पानी की आरज़ी किल्लत को दूर करने के लिये मिनिस्टरों का पानी कम किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और पहले सवाल का जवाब दे दिया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत और चीन में पत्र व्यवहार

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(१) चीन-पाकिस्तान सीमा वार्ता के बारे में भारत सरकार का दिनांक १०-५-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(२) भारत द्वारा अतिक्रमण के नये आरोप लगाने वाला चीन सरकार का दिनांक ३०-४-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(३) भारत का दिनांक १४-५-१९६२ का उत्तर ।

(४) भारतीय कर्मचारियों द्वारा और अतिक्रमण करने का आरोप लगाने वाला चीन सरकार का दिनांक २०-३-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(५) भारत का दिनांक २१-५-१९६२ का उत्तर ।

(६) सैंगर प्रदेश में भारतीय कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक ११-५-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(७) सैंगर प्रदेश में नयी चीनी चौकी स्थापित करने के बारे में भारत का उक्त विरोध-पत्र और दिनांक २१-५-१९६२ का उत्तर ।

(८) चीन के आरोप प्रदेश में भारतीय अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक २६-४-१९६२ का नोट ।

(९) भारत का दिनांक २६-५-१९६२ का उत्तर ।

(१०) लौंगजू क्षेत्र में भारत के अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक १९-५-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(११) भारत का दिनांक २८-५-१९६२ का उत्तर ।

(१२) भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के त्रिसंगम और चीन-बर्मा सीमा संधि के बारे में चीन का दिनांक २०-११-१९६१ का नोट ।

(१३) भारत का दिनांक ३१-५-१९६२ का उत्तर ।

(१४) भारतीय अतिक्रमणों का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक २१-४-१९६२ का नोट ।

(१५) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

(१६) सुम्डो में चीन की चौकी के बारे में चीन का दिनांक २७-४-१९६२ का नोट ।

(१७) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

(१८) जनवरी, १९६२ में लौंगजू क्षेत्र (एई) में चीनी अतिक्रमणों के बारे में भारत के विरोध-पत्र के सम्बन्ध में चीन का दिनांक १५-५-१९६२ का नोट ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१९) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

(२०) जनवरी, १९६२ में भारतीय विमान द्वारा चीनी चौकी पर फैंके गये सामान के बारे में चीन का दिनांक १७-५-१९६२ का नोट ।

(२१) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२००/६२]

अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ;

कहवा (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ ।

निर्यात जोखिम बीमा निगम और इसके कार्य पर सरकार की समीक्षा ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ मई, १९६२ को अधिसूचना संख्या ८/२६/६२—आयात में प्रकाशित अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२०१/६२]

(२) कॉफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्मेगंत दिनांक २ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७३६ में प्रकाशित कॉफी (चौथा संशोधन) नियम, १९६२

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२०२/६२]

(३)(क) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड, बम्बई को वर्ष १९६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरिक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय म रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-२०३/६२]

हिन्दुस्तान नमक कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन और उस कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

†**श्री कानूनगो** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) क अन्तर्गत हिन्दुस्तान नमक कम्पनी लिमिटेड, जयपुर का वर्ष १९६०-६१

---

†मूल अंग्रेजी में

का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२०४/६२]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १९६०-६१ के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १९६०–६१ के लिए प्रतिवेदन के सभा-पटल में रखे जाने पर हुए विलम्ब के लिए खेद है। यह प्रतिवेदन सदन के सामने ८-९ महीने पहले आना चाहिए था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जैसे संघठन जोकि बहुत विशेष और पेचीदा–प्रविधक काम करता है, का प्रतिवेदन एक वर्ष में प्राप्त किए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखभाल के बाद बनाना पड़ता है। ऐसे आंकड़ों की जांच, विश्लेषण और निर्वाचन में बहुत समय लगता है। तेल की खोज के कार्य के संबंध में उचित निष्कर्षों पर पहुंचने में बहुत समय लगता है। तेल की खोज की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लग जाता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिवेदन में सारे देश में तेल की खोज के काम के बारे और वर्ष में किए गए काम के बारे में जानकारी होती है। आयोग की कार्यवाहियों के निष्कर्षों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। भूतत्वीय एवं भूभौतिकीय कार्यों के लिए मौसम वित्तीय वर्ष के अनुरूप नहीं होता है। आंकड़ों के संग्रह, संगणना और निर्वाचन का कार्य प्रतिवर्ष अगस्त–सितम्बर तक पूरा हो पाता है। इन आंकड़ों की आगे देखभाल में काफी समय लगता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कई महीने बाद निष्कर्ष निर्धारण का काम पूरा होता है। १९६०–६१ के लिए आयोग का प्रतिवेदन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष के सम्बन्ध में था और आयोग का विचार था कि इस प्रतिवेदन में सारी द्वितीय योजना में किये गये खुदाई के काम की समीक्षा दी जाए। इसके कारण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी हुई।

आयोग ने यह मान लिया है कि भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक छः महीनों के अन्दर पेश किया जाएगा। किए गए काम का निष्कर्ष अगले वर्ष के प्रतिवेदन में दिया जाएगा।

आयोग का १९६०–६१ का प्रतिवेदन इसी अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा और यह प्रबन्ध सदन के लिए संतोषजनक होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): क्या यह देरी इसी प्रकार होती रहेगी या कर्मचारियों की कमी को पूरा करने की चेष्टा की जाएगी?

†**अध्यक्ष महोदय**: उन्होंने पहले ही बता दिया है कि कितनी कमी वे पूरी कर सकेंगे और प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मरारका** (झुन्झनू) : यदि प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने के सात, आठ या दस वर्ष बाद प्रस्तुत किया जाए, तो सदन के पास आयोग के चालू वित्तीय वर्ष के काम देखने के लिए कहां समय होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री ने कहा है कि भविष्य में शायद छै महीने लगेंगे।

†**श्री के० दे० मालवीय** : हां, मैंने विशेष रूप से इसका जिक्र किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें आपत्ति यह है कि यदि अधिनियम में व्यवस्था है कि प्रतिवेदन सदन के सामने रखा जाता है और सदन को चालू वर्ष की परियोजना पर ध्यान देना है। यदि इसे सदन के सामने रखने में ६ या ७ महीनों की देरी हो जाए, तो सदन कैसे देख सकेगा कि चालू वर्ष में क्या योजनाएं साथ में ली जाएंगी।

†**श्री के० दे० मालवीय** : वित्तीय वर्ष और आयोग के कार्य का वर्ष साथ साथ नहीं होते। जून-जुलाई में आयोग के पास आंकड़े आते हैं। फिर उनका समन्वय होगा और उनकी व्याख्या की जाएगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अधिनियम से भिन्न आशय निकलता है। इसलिए उसके संशोधन पर विचार किया जाए।

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आयोग के प्रतिवेदन पेश करने के विषय में सभा की इच्छा को पूरा करने के लिए किस प्रकार समायोजन किया जा सकता है।

प्रत्यर्पण विधेयक

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं :—

> "कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं विधयक को पुरःस्थापित करती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६२

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्री मुरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिए भारत की संचित विधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६२

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिए भारत के संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य साधारण और अविवादास्पद है और इस पर अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं है। मूल अधिनियम की धारा २४(१) में 'नियत दिन' के स्थान पर "३१ दिसम्बर, १९६१" शब्द रखे जा रहे हैं ताकि जो विधि स्नातक उस तारीख तक अपनी उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं, उनको विधि जीवी परिषद् द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और परीक्षा में न बैठना पड़े।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैंने एक और संशोधन दिया है जिसके द्वारा "३१ दिसम्बर, १९६१" के स्थान पर तिथि "२८ फरवरी, १९६२" कर दी जायेगी।

विधेयक और बाद के संशोधन के पेश किये जाने के कारण यह है कि महाराष्ट्र राज्य के एक विश्वविद्यालय के परीक्षाफल १ दिसम्बर, १९६१ के बाद घोषित किये गये थे। इस आशय की प्रार्थना की गई है कि यदि किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इसलिये छोड़ दिया जायेगा कि उनकी परीक्षा के फल बाद में घोषित किये गये हैं। यद्यपि परीक्षाएं एक साथ ही हुई थी, परीक्षाफल बाद में घोषित किये गये थे। इस लिए सरकार को यह संशोधन लाना पड़ा है ताकि सुविधा उन सब विद्यार्थियों को दी जाये, जिन्होंने १९६१ में परीक्षा दी थी। विधि मंत्रालय ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को लिखा था कि वे परीक्षा-फलों की घोषणा की तिथियां बतायें, ताकि यह सुविधा सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को दी जा सके। ये विश्वविद्यालय केरल, नागपुर और पटना के हैं, इन सब के परीक्षा-फल १ दिसम्बर के बाद घोषित किये गये थे।

एक और संशोधन द्वारा २८ फरवरी, १९६२ की तिथि निर्धारित करना इस लिए आवश्यक है कि गौहाटी और उत्कल विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल १७-१-६२ और १६-२-६२ को घोषित किये गये थे और उन्हें भी वही सुविधा देना आवश्यक है। इस विधेयक का प्रयोजन केवल यही है कि १९६१ की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा २४ के परन्तुक की सुविधा दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री बाजी** (इन्दौर) : हम साधारणतया विधेयक के संशोधन का स्वागत करते हैं। नवीनतम संशोधन के बाद कहने के लिए अधिक कुछ नहीं रह जाता। हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि कुछ विश्वविद्यालय और भी हो सकते हैं, जिनके परीक्षाफल घोषित करने में विलम्ब हुआ हो। वही सिद्धान्त उनपर भी लागू होना चाहिये।

अधिवक्ताओं की एक रूप प्रणाली शरू करने के साथ-साथ सरकार को विधि स्नातकों की शिक्षा के मामले में भी एकरूपता लानी चाहिये। विधि जीवी परिषद् को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि अधिवक्ता अपने निजी लाभ के लिए नहीं, सामाजिक भावना से

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य करें। उन्हें न्यायालयों की सहायता की भावना से काम करना चाहिये। विधि जीवी परिषद् को अधिवक्ताओं की भरती के अलावा इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिये।

†**श्री खाडिलकर** (खंड) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और विधि मंत्रालय को उस पर बधाई देता हूं। यह संशोधन प्रविधिक प्रकार का है। इसके द्वारा उन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जिनके परीक्षाफल बाद में घोषित हुए थे।

†**श्री शिवजी राज शं० देशमुख** (परभनी) : सरकार को यह सुनिश्चित कर देना चाहिये कि वे समस्त विद्यार्थी इस विधेयक के क्षेत्र में आ गये जिनके परीक्षाफल १ दिसम्बर, १९६१ के बाद घोषित किये गये थे। विधेयक तैयार करने में अधिक सावधानी रखनी चाहिये ताकि प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता न पड़े। नियत दिन के स्थान पर विशिष्ट तारीख कर देने से जो संशोधन हुए हैं, उनपर विचार किया जाना चाहिये।

यदि 'उपाधि प्राप्त की है' के स्थान पर 'विधि की उपाधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो' शब्द रख दिये जायें, तो विधेयक के प्रारूप में जो त्रुटि है, यह दूर हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्रालय भविष्य में ठीक प्रारूप तैयार करने का उचित ख्याल रखेगा।

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : इस विधेयक के द्वारा अधिनियम की प्रविधिक त्रुटि तो दूर हो जाएगी किन्तु उस का जो मुख्य प्रयोजन था, वह सिद्ध नहीं होगा, अर्थात् एकीकृत विधिजीवी संघ का होना। अधिवक्ता दो प्रकार के रहेंगे। ऐसे भी कई होंगे जो निर्धारित फीस नहीं दे सकेंगे। कुछ राज्यों ने स्टाम्प शुल्क हटाना मंजूर कर लिया है, पर इस पर विचार कर रहे हैं। एकीकृत विधिजीवी संघ बनाने के लिए आवश्यक है कि इस मामले में सब राज्यों में एकरूपता लाई जाये।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (इतकंगले) : मैं इस विधेयक का और माननीय मंत्री के नवीनतम संशोधन का स्वागत करता हूं। बम्बई विश्वविद्यालय में परीक्षाफल १२ दिसम्बर, को घोषित किये गये थे, अर्थात पहले नियत दिन के बाद। यदि वही तिथि रहने दी गई होती, तो उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता। अब उस अन्याय को दूर किया जा रहा है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : इस बात का खंडन करना मेरे उत्तरदायित्व में आता है कि विषमता इस लिए पैदा हुई थी कि नियत तिथि १ दिसम्बर निश्चित की गई थी, क्योंकि उस समय तक विधिजीवी परिषदें स्थापित हो चुकी थीं, किन्तु उनमें से किसी ने कठिनाई की ओर ध्यान नहीं दिलाया। मैं नहीं समझ सका कि विधि मंत्री कैसे उत्तरदायी हैं, क्योंकि नियत दिन विभिन्न विधि जीवी परिषदों के परामर्श से निर्धारित किया गया था। यह प्रारूप का प्रश्न नहीं है।

जहां तक 'उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो' शब्द रखने का सम्बन्ध है, इससे भी कोई अन्तर न पड़ता और वही कठिनाई बनी रहती?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि अधिवक्ता अधिनियम १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ (धारा २४ का संशोधन) :

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ७— "31st day of December, 1961" ["३१ दिसम्बर, १९६१"] के स्थान पर "28th day of February, 1962" ["२८ फरवरी, १९६२"] रख दिया जाये। (१)

[श्री विनुधेन्द्र मिश्र]

---

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधन रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री विनुधेन्द्र मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधत रूप में, पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अनुसरण में, निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम १९६२ में, जो १९ अप्रैल, १९६२ को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्न-लिखित संशोधन किया जाये, अर्थात्

नियम ३ का लोप किया जाये।

यह सभा राज्य सभा से भी सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संल्कप से सहमत हो।"

---

†मूल अंग्रेजी में

नियम ३ के द्वारा नियम ९३ में संशोधन किया जा रहा है और उसमें यह कहा गया है कि प्रयोग न किये हुये मतदान-पत्रों के पुलिन्दों और उससे संबंधित सामग्री का निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के प्राधिकार के बिना निरीक्षण नहीं किया जा सकता।

पिछले १२ या १३ वर्षों में जिनमें ये नियम लागू रहे हैं, निर्वाचन आयोग को एक बार भी निर्वाचन अधिकारियों के नियंत्रण में रखे गये कागज़ों को नहीं खोलना पड़ा है, उनको हमेशा सक्षम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा खोला गया है। उनमें से कुछ कागज़ों की जरूरत केवल निर्वाचन याचिकाओं के समय पड़ती है, जिनकी सुनवाई से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं। आयोग को केवल यह देखना होता है कि याचिकायें नियमानुसार हैं या नहीं और उनके मामले के तथ्यों की जांच करने की कोई शक्ति नहीं है।

यद्यपि निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष निकाय है, फिर भी उसे कागज़ों की जांच करने की शक्ति देने की कोई जरूरत नहीं है जो अभी तक निर्वाचन न्यायाधिकरणों और सक्षम न्यायालयों को प्राप्त रहीं हैं।

इसलिये नियम ३ का लोप कर देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय सदस्य, श्री श्रीनारायण दास के भाषण को गौर से सुना है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार क्यों इस रूल को अमेंड करने जा रही है। पहले इलैक्शन रूल्ज में इस बात की व्यवस्था थी कि इलैक्शन पेटीशन के कागजात को सिवाये अदालत के दूसरा कोई नहीं देख सकता। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण सरकार यह अधिकार इलैक्शन कमीशन को भी देने जा रही है कि वह भी इलैक्शन पेटीशन के सिलसिले में इन कागजात को देख सकता है। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य, श्री श्रीनारायण दास, के प्रस्ताव के समर्थन में और सरकार के संशोधन के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार समय समय पर क्यों इस किस्म क संशोधन लाती है, जिससे हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है। सबको यह बात मालूम है, इस सदन के अधिकांश मेम्बरों को और सारे देश को यह मालूम है कि इलैक्शन कमीशन एक एक्सीक्यूटिव बाडी है और उसको फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसको फैसला करने का अधिकार नहीं है, लाजिमी तौर पर उन कागजात को देखने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिये, जिन पर वह अपनी राय नहीं दे सकता। यह एक सैद्धांतिक बात है, जिसको सरकार को नहीं करना चाहिये।

आप देखेंगे कि मामूली-मामूली मामलात में पुलिस के कागजात को सिर्फ अदालत ही देख सकती है,दूसरा कोई आदमी उनको नहीं देख सकता है। किसी मुकदमे के सिलसिले में पुलिस अपनी डायरी में बीसियों बातें लिखती है, लेकिन सिवाये अदालत के किसी आदमी को उसे देखने का राइट नहीं है। फर्ज कीजिये कि इलैक्शन कमीशन कुछ कागजात को देखता है और अपनी राय उनमें लिख देता है, तो उसका असर अदालत पर पड़ेगा और फैसले स पहले वह एक गलत बात होगी, जोकि नहीं होनी चाहिये। अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि गोंडा में इलैक्शन कमीशन ने पेपर्ज़ को देखने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ और उसने कहा कि इलैक्शन कमीशन नहीं देख सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि इलैक्शन कमीशन को राइट नहीं है कि वह उन कागजात को देखे ।

इन हालात में पता नहीं सरकार ने यह क्यों जरूरी समझा है कि रूल्ज को अमेंड करके इलैक्शन कमीशन को भी अधिकार दे दिया जाये कि वह भी कागजात को देख सकता है । इस तरह से तो इलैक्शन की गुप्तता खत्म हो सकती है । हम इलैक्शन को गुप्त रखना चाहते हैं और इस अमेंडमेंट के बाद वह संभव नहीं होगा । हजारों पेटीशन्ज दायर की जायेंगी, हजारों झूठे मामले दायर किये जायेंगे, सारी प्रोसीडिंग्ज बढ़ जायेंगी और नतीजा यह होगा कि हर एक आदमी पेटीशन दायर करेगा और इलैक्शन कमीशन से डिमांड करेगा कि वह कागजात को देखे । इलैक्शन कमीशन जिस तरह स्वतंत्रता-पूर्वक फंक्शन करता है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । पूरी सरकारी मशीनरी पूरे तौर से पार्टी के मकसदों के लिये चलती है । इसका नतीजा क्या होता है यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं । वहां जब इलैक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिये बैलट पेपर्ज बनाये तो वहां पर जो कम्युनिस्ट उम्मीदवार खड़ा किया गया था, जिसको नमूने के लिये ही पेश किया किया गया था, बैलट पेपर पर उस कम्युनिस्ट उम्मीदवार का नाम जय चन्द लिखा हुआ था और इसको छापा गया था । बाकायदा तौर पर चूंकि कम्युनिस्ट उम्मीदवार का नाम उस वक्त दिया गया, इस वास्ते वहां पर लोगों पर नैतिक प्रभाव डालने के लिये कि कम्युनिस्ट जय चन्द है, और ये कम्युनिस्ट लायल नहीं हैं, इस चीज को सारे सूबे में, इलैक्शन कमिशन की इजाजत के बिना ही, फैलाया गया. . . . .

श्री त्यागी (देहरादून) : वह कम्युनिस्ट उम्मीदवार नहीं था ।

श्री सरजू पांडे : वह बाकायदा उम्मीदवार नहीं था । मगर जय चन्द, अमीं चन्द और फलां चन्द नाम दिये गये थे और उनका सिम्बल बनना था. . . .

श्री त्यागी : नमूने का बैलट पेपर जो था उस पर कम्युनिस्ट का नाम जय चन्द दिया गया था ?

श्री सरजू पांडे : जी हां ।

श्री त्यागी : इत्तिफाक से हो गया होगा ।

श्री सरजू पांडे : इत्तिफाक से नहीं , बल्कि जान बूझ कर किया जाता है ।

श्री सिंहासन सिंह : इत्तिफाक से सही बात हो गई है ।

श्री सरजू पांडे : सही बात क्या है, इसमें मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता । कम्युनिस्टों का इतिहास इतना गन्दा नहीं है जितना आप समझते हैं । अगर आप इस पर बहस करना चाहें तो अभी इस पर बहस हो सकती है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरा क्या कसूर है ?

श्री सरजू पांडे : इस सवाल को बार-बार उठाया जाता है । मैं नहीं चाहता कि इसको उठाया जाये । इसको छोड़ दिया जाना चाहिये । जो रूल पहले था उसमें लिखा हुआ है :—

> निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणा और उनके हस्ताक्षरों का प्रमाणन वाले बैलेट खोले नहीं जायेंगे । और उनकी जांच सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेशों क

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के द्वारा नहीं की जायेगी और वे किसी के सामने पेश नहीं किये जायेंगे ।

उसको आगे आप इस तरह से एमेंड कर रहे हैं :—

कि निर्वाचन आयोग या सक्षय न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन —

यदि इसको इस तरह से एमेंड कर दिया जाता है तो इससे जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं उन पर आघात आप करते हैं । यह संशोधन नहीं होना चाहिये । अगर इलैक्शन कमिशन को यह अधिकार दे दिया जाता है तो बहुत सी अनुचित बातें हो सकती हैं । उत्तर प्रदेश के बारे में अभी एक बात मैं कह चुका हूं । मैं वहीं से चुन कर आया हूं । श्री सी० बी० गुप्त की वहां पर लीडरशिप है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम न लें ।

श्री सरजू पांडेय : नाम नहीं ले रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अभी आपने नाम लिया है । यह मुनासिब नहीं है ।

श्री सरजू पांडेय : माफ कीजिये मजबूर हूं । उनको क्या कहा जाये । किस तरह से उनको रैफर किया जाये ।

मैं उनका नाम नहीं लेता । लेकिन राज्य सरकार के बारे में मैं कह सकता हूं कि दुनिया भर की शरारतें वह इलैक्शन के दौरान में कराती है और अगर इसका सबूत चाहिये तो वह भी मैं दे सकता हूं । अब अगर इलैक्शन कमिशन को यह पावर दी जायेगी तो लाजिमी तौर पर विरोधी लोगों के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने का राज्य सरकार को मौका मिल जायेगा और लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा । इसके बारे में कोई बड़ी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है । मैं लां मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वह इसको प्रेस्टीज का सवाल न बनायें । यह अधिकार इलैक्शन कमिशन को न दिया जाये और इसको केवल अदालतों तक ही सीमित रखा जाये क्योंकि हम समझते हैं कि कम से कम न्याय मिलने की अदालतों से ही आज उम्मीद की जा सकती है ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : श्रीमान् मेरा सुझाव है कि सरकार यह बता दे कि किस कारण से सरकार को ऐसा करना पड़ा है ।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) :** मैं नियमों में संशोधन करने के कारण बताता हूं । ऐसा किसी बुरी भावना से नहीं किया गया है । ऐसा चुनाव आयोग की सिफारिश पर किया गया है । नियम ९३ में उल्लिखित मतदान पत्रों के अतिरिक्त भी पीलिंग एजेंट की सूची आदि अन्य कागजात होते हैं । मतदान पत्रों की जांच न्यायालय की अनुमति से ही हो सकती है परन्तु पोलिंग एजेंट आदि की प्रतियों की जांच की जा सकती है । उत्तर प्रदेश के दो निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में विरोधी नेता ने मतदान पत्रों के लेखों की जांच करनी चाही । परन्तु प्रिजाइडिंग अफसर अथवा रिटर्निंग अफसर द्वारा सभी कागजात मतदान पत्रों के साथ रख देने के कारण वह उनकी जांच नहीं कर पाये । इस प्रकार उनको जो अधिकार कानून के द्वारा प्राप्त हैं उसका उपयोग नहीं हो सका । इसीलिये निर्वाचन आयोग को उनको खोलने का अधिकार देना पड़ा ।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि क्या संविधान के अनुच्छेद ३२४ के अधीन निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के आदेश देने का अधिकार है । आयोग ने यह ही ठीक समझा कि नियम ९३ में संशो-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूधेन्द्र]

धन कर दिया जाये जिससे आवश्यक कार्यवाही करने में उनको अधिकार दे दिये जायें। इसीलिये नियमों में संशोधन करना पड़ा।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : श्रीमान् इस संशोधन के द्वारा चुनाव आयोग को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं जिनके द्वारा वह चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव कागजों को खोल सकेगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

चुनाव आयोग का काम अनुच्छेद ३२४ के अधीन चुनाव कराने का है क्या चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद उनका कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वह इन कागजातों की जांच करें। परन्तु गोंडा में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर मतदान पत्रों के पुनः गिनने के बाद भी हारने वाले दल के मन में संदेह बना रहा कि कुछ गड़बड़ी हुई है और उस ने उच्च न्यायालय में इसकी अपील की। चुनाव आयोग ने यह ठीक नहीं समझा कि न्यायालय मतदान पत्रों को देखें और उस ने सरकार से इस नियम का संशोधन करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना मंजूर की गई और इस नियम में संशोधन कर दिया गया जबकि किया जाना नहीं चाहिए था।

मैं बताना चाहता हूं कि सभा में सामान्यतः नियमों पर विचार नहीं होता है। परन्तु जब हमने देखा कि एक ग़लत काम हो रहा है तो सरकार का ध्यान इस गलती की ओर दिलाने के लिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और सभा में इसकी चर्चा उठाई है। यह सभी नियम चुनाव आयोग के परामर्श से बनाये गये थे और मैं अब ठीक नहीं समझता कि इन में कोई संशोधन किया जाये। हम इस संशोधन के द्वारा चुनाव याचिका के परिणाम पर प्रभाव डाल रहे हैं।

मेरा यही अनुरोध है कि माननीय उपमंत्री मेरी बात पर ध्यान दें और इस नियम में कोई संशोधन न करें। यदि कोई संशोधन कर दिया गया हो तो कृपा कर के उसे पुनः उसके मूल रूप में रहने दें।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरे साथियों ने चुनाव आयोग को इस अधिकार को न देने का आग्रह किया है। ऐसा करते समय उन्होंने इंगलैंड की सेवाओं की तारीफ की है मैं भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेवायें भी उतनी ही निष्पक्ष तथा दक्ष हो जायें जैसी इंगलैंड़ की हैं। मुझे बड़ा खेद है कि हमारे देश में राजनीतिज्ञों ने सेवाओं को इतना दूषित कर दिया है कि अब जनता को उन में कोई विश्वास नहीं रह गया है। इंगलैंड में पुलिस का सिपाही भी चाहे मर जाये झूठ नहीं बोलेगा जब कि भारत में न्यायाधीशों पर भी प्रभाव डाला जा सकता है।

अब तो सेवाओं को कार्य पालिका पर आधारित रहना पड़ता है और उन से कोई भी काम कराया जा सकता है। मैं ने स्वयं देखा है कि रिटर्निंग अफसर तथा अन्य चुनाव अधिकारी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि जो संशोधन किया गया है वह ठीक किया गया है क्योंकि जो कठिनाई सामने आई है उसका हल यही था । यदि कोई अधिकारी मतदान पत्रों आदि में कुछ गड़बड़ी करता है तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होती है । इसलिए जरूरी है जिसकी अंतिम जिम्मेदारी हो उसको उन कागजातों की जांच के अधिकार दिए जाएं।

†**श्री गौरी शंकर** : (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री त्यागी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी सेवायें राजनीतिक हल्के के प्रभाव में आ जाती हैं। परन्तु उन्होंने चुनाव आयोग को सरकारी सेवा नहीं समझा इसका मुझे आश्चर्य है । इसीलिए हम चाहते हैं कि यह अधिकार तो केवल न्यायाधिकरण को ही दिया जाना चाहिए । न्यायाधिकरण सभी कागजातों की समुचित जांच करेगा तथा न्याया करेगा ।

मैं उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद मतदान-पत्रों की पुनः गणना को गई और दूसरे व्यक्ति को जीता हुआ घोषित किया। यदि यह मामला न्यायाधिकरण के सामने होता तो मालूम हो जाता कि ग़लती कहां पर थी। जब कि यह मालूम नहीं हो पाया कि ग़लत कौन था। मैं भी चाहता हूं कि ग़लती करने वाले कर्मचारियों को दण्ड देने की व्यवस्था की जाये । परन्तु साथ ही साथ यह नहीं चाहता कि चुनाव आयोग को कागजातों की जांच के अधिकार न दिए जायें ।

मेरा अन्त में यही कहना है कि लोकतंत्र के सिद्धान्तों को बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि जांच का अधिकार न्यायाधिकरण को ही दिया जाये तथा चुनाव आयोग को न दिया जाये ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, इस मोशन के प्रस्तावक महोदय ने जो यह मूव किया है कि रूल ३ ओमिट कर दिया जाय और एलेक्शन कमिशन को अधिकार न दिया जाये यह बहुत माकूल चीज मूव की है और मैं इस के लिए उनको मुबारकबाद देता हूं ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देश में डेमोक्रेसी तभी तक चल सकती है जब तक कि आम आदमी के दिल में यह खयाल हो कि पोलिंग जो है वह ठीक हो रही है। जिस रोज आम आदमी के दिल में यह खयाल आ जायगा कि यह एलेक्शंस फार्स हैं, इन में कोई सच्चाई नहीं है और इन पर कोई यकीन नहीं है तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि फिर एलेक्शंस में लोगों की श्रद्धा नहीं रह जायेगी, लोग गवर्नमेंट्स चेंज करने के लिए एलेक्शंस का सहारा नहीं लेंगे एलेक्शंस का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए वह कोई और तरीका अखत्यार करेंगे । अब इस में मौजूदा या किसी खास गवर्नमेंट का सवाल नहीं है बल्कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसको चेंज करने के वास्ते लोग एलेक्शंस के अलावा कोई और तरीका अखत्यार करेंगे । डेमोक्रेसी तभी मेंटेन हो सकती है जब आम आदमी के दिल में यह खयाल पैदा हो और वह यह समझ कि वाकई यह एलेक्शंस ठीक हो रहे हैं।

अब सवाल यह है कि रिटर्निंग आफिसर्स देश में कितने हैं। और एलेक्शंस कितने होते हैं ? आप रिटर्निंग आफिसर को राइट देते हैं कि वह दोनों पार्टीज के उम्मीदवारों के वोटों को काउंट करें। आप यह भी राइट देते हैं कि अगर गलती हो वह दुबारा काउंट कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लहरी सिंह]

ले और दुबारा काउंट करने के बाद ऐक्ट में यह प्रोवाइडड है कि वह तमाम पेपर्स को बंद कर के और सील करके अपने वहां रखता है । मैं नहीं समझता कि डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह कैसे कहा कि रिटर्नस वैलेट पेपर्स के साथ रख दिये गये थे ? अब हिसाब किताब और रिटर्नस वगैरह तो बाद में दिये जाते हैं । आखिर रिटर्न तो तभी दाखिल होगा जब कि सब डिक्लेयर हो जाता है सील वगैरह लग जाती है । मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट को फौलो नहीं कर सका । मुझे आशा है कि वह अपना जबाव देते वक्त इसको समझा देंगे ।

अब वहां पर अगर त्यागी साहब की बात मान ली जाये कि यह जरूरी है तो उस को अख्तयार तो कुछ भी नहीं है । उस को अख्तयार क्या दे रहे हैं ? अगर आप का खयाल है कि गलत हिसाब हुआ है और उस ने दीदो दानिश्ता गलत किया है तो वह जो आपका एलेक्शन कमिश्नर है वह क्या करेगा । वह कह देगा कि गलती क्यों रही या तो यह कहे कि दुबारा काउंटिंग के लिए कोई दरख्वास्त दे तो दूसरी बार एलेक्शन कमिश्नर वहां पहुंच इन दोनों पार्टीज़ के सामने फिर काउंटिंग कराये तब तो काइउंटिंग के कुछ माने हैं । जहां डाउटफुल हो वहां एलेक्शन कमिशन चला जाय और दुबारा काउंटिंग कराये तब तो कुछ बात भी हुई । लेकिन इसके लिए ऐक्ट में तबदीली करनी पड़ेगी जो कि आप कर नहीं रहे हैं । अब दुबारा काउंटिंग एलेक्शन कमिश्नर करवा नहीं सकता । उन को जाकर खोल कर देखा करे और खोल कर देखने के माने यह होंगे कि सारा भेद वह देख सकता है । मालूम यह होता है कि बहुत से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ने चुनाव में अपने वोट नहीं डाले, जिला परिषदों में और कई जगहों के चुनाओं में मैं ने देखा कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी क्योंकि उनको यह दहशत दी गई थी कि अगर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिये तो पोलिंग आफिसर निशान लगाने से मालूम कर लेंगे और इस डर से उन्होंने अपने वोट ही नहीं डाले । बहुत से गवर्नमेंट आफ़िशल्ज़ ने इसी लिए राय नहीं दी । अगर अब सरकार इलैक्शन कमीशन को यह पावर देती है कि वह लिफ़ाफे को फ़ाड़ कर हर एक कागज़ को देख सकता है, तो फिर बैलट की सीक्रेसी कैसे कायम रहेगी ? इंस्पैक्शन के माने ये थोड़े ही हैं कि वह ऊपर से लिफ़ाफ़े देख ले । इंस्पैक्शन का मतलब यह है कि इलैक्शन कमीशन यह देख सकेगा कि किस ने किस को राय दी हैं, जिस का नतीजा यह होगा कि बैलट की सीक्रेसी खत्म हो जायेगी । मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि हम हमेशा डेमोक्रेसी और बैलट की सीक्रेसी के लिए फ़ाइट करते आये हैं । अज़ादी के बाद हम ने बैलट की सीक्रेसी का उसूल कायम किया । लेकिन अब हम इलैक्शन कमीशन को वह सारी सीक्रेसी सौंप रहे हैं, उस को यह अख्तियार दे रहे हैं कि वह सारी वोटर्स लिस्ट देख ले और ही **कैन इंस्पैक्ट ईच एंड एव्रीथिंग** ।

फिर सवाल यह भी है कि सब काग़ज़ात को देखने के बाद इलैक्शन कमीशन क्या करेगा । क्या वह प्रैज़िडेंट को कहेगा कि फलां इलैक्शन में यह ग़लती हो गई है ? क्या वह इंस्पैक्शन नोट लिखेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसको यह अख्तियार दे दिया जाये कि वह यह कह सके कि इलैक्शन में यह ग़लती हो गई है, तो फिर ट्रिब्यूनल की क्या जरूरत है । उस हालत में सरकार ट्रिब्यूनल्ज़ और कोर्टस् को क्यों रखती है ?

इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इंडिपेंडेंट, जस्ट और ईमानदारी के साथ इलैक्शन्ज़ चाहती है, तो वह एक्ट को बदले । रूल्ज़ में अमेंडमेंट करने से काम नहीं चल

सकता है। अगर इलैक्शन कमीशन को रीकाउंटिंग का अख्तियार देना है, तो एक्ट में अमेंडमेंट की जाये। लेकिन सरकार उस को रीकाउंटिंग का अख्तियार न दे कर इंस्पैक्शन का अख्तियार दे रही है। इंस्पैक्शन का नतीजा यह होगा कि बैलट सीक्रेट नहीं रहेगा और सब बातों का लीकेज होगा। उन सब कागजात को इलैक्शन कमीशन खुद थोड़े ही देखेगा ...? उस का सारा स्टाफ़ और क्लार्क्स वग़ैरह यह काम करेंगे। वे लोग एक एक काग़ज़ को ले कर बैठ जायेंगे और हर एक काग़ज़ को अच्छी तरह देखेंगे । वे निशानों को देखेंगे और इस का नतीजा यह होगा कि बैलट की सीक्रेसी नहीं रहेगी। इसके अलावा इस में और खराबियां भी हो सकती हैं और काग़ज़ात को टेम्पर विद भी किया जा सकता है। हम देखते हैं कि कोर्ट्स से फ़ाइल्ज़ की फ़ाइल्ज़ उड़ा ली जाती है ।

अगर इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा अख्तियार देने के लिये यह अमेंडमेंट की जा रही है, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ने पहले ही उस को बहुत अख्तियार दिये हूए हैं। हमारे देश में इलेक्शन्ज़ को सुपरवाइज़ करने और कंट्रोल करने का सब से बड़ा काम इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इस से ज्यादा अख्तियार क्या हो सकता है? अगर रीकाउंट कराना हो, तो इलेशन कमीशन को यह अख्तियार दे दिया जाये कि वह सात आठ दिन के अन्दर खुद रीकाउंट किराए लेकिन उस को लिफ़ाफ़ों को फाड़ कर सब काग़ज़ात को देखने का अख्तियार देने का नतीजा यह होगा कि एक तो बैलेट की सीक्रेसी नहीं रहेगी और साथ ही इस बात का भी शुबहा होगा कि इलैक्शन पैटीशन्ज़ के सिलसिले में मदद दी गई है। इलैक्शन कमीशन में काम करने वाले स्टाफ के आदमी इन्ट्रेस्टिड लोगों को बता सकेंगे कि करप्शन के ये प्वांयंट्स उठाओ। अब तक तो रूल यह है कि इलैक्शन पैटीशन में करप्ट मीन्ज़ की जो एलोगेशन्ज़ एक दफ़ा लिख दी गई, उन को अमेन्ड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब स्टाफ के आदमी, क्लार्क्स और सुपरिन्टेंडेंट वगैरह सारे काग़जात को देख लेंगे, तो सारी बातें ज़ाहिर हो जायेंगी। इस से आहिस्ता आहिस्ता आम पब्लिक के माइन्ड पर यह असर होगा कि इस मुल्क में हमेशा रूलिंग पर्टी का ही बोल-बाला होगा और इस तरह इंडिपेंडेंट और जस्ट इलैक्शन्ज़ नहीं हो सकेंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर भी तो आई० सी० एस० या आई० ए० एस० के ही आदमी हैं और उन के नीचे स्टाफ में क्लार्क्स वगैरह काम करेंगे। इस लिये सरकार को ऐसी कोई ग़लती नहीं करनी चाहिये, जिस से हमारी डेमोक्रेसी को धक्का पहुंचे। इस से इलैक्शन कमीशन की पोज़ीशन भी अच्छी नहीं होगी और वह जस्ट और फ़ेयर इलैक्शन्ज़ कराने में मदद नहीं कर सकेगा। अगर उस को किसी इलैक्शन में किसी ग़लती का पता चलेगा, तो वह या तो लॉ मिनिस्टर को लिखेगा और या प्रेज़िडेंट को लिखेगा। क्या उस को ऐसा करने का राइट है ?

इलैक्शन कमीशन को सात आठ दिन के अन्दर रीकाउंट का अख्तियार न दे कर हम उस को लिफ़ाफ़े फाड़ कर सब काग़ज़ात देखने का मौका दे रहे हैं। इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिये यह कोई अच्छा कदम नहीं है। हमारी बहुत सी पब्लिक अभी नाख्वान्दा है। इसलिये जगह जगह पर इस बारे में चिमेंगोइयां होंगी। इसलिये यह अमेंडमेंट बेमानी है। मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस में हिसाब वाली बात कैसे आती है। वह ऐक्ट और रूल्ज़ को देख लें कि रिटर्निंग आफ़िसर सब पर सील कर देता है अर सील लगा कर लिफ़ाफ़े में रख देता है। इस लिये रिटर्न्ज़ वाली बात कैसे आ गई? कौन सी जगह पर वे रिटर्न्ज़ होंगी? रिटर्न्ज़ तो पंद्रह दिन के बाद, महीने के बाद दी जाती हैं। मैं समझता हूं कि त्यागी जी इस बात पर ग़ौर करेंगे ।

श्री त्यागी : जो बैलट कूपन होते हैं, जो हिसाब होता है कि कितने बैलट पेपर गए जब रिटर्न्ज़ का कह रहे हैं ।

श्री लहरी सिंह : वे भी सील हो जाते हैं। एक एक लिस्ट सील हो जाती है और अगर ग़लती से कोई काग़ज़ दूसरी जगह रख दिया गया हो, या लिफ़ाफ़ा ग़लती से चिपका दिया गया हो, तो रिटर्निंग आफ़िसर दोनों कैंडीडेट्स को बुला कर उस को ठीक कर देता है, उन पेपर्ज में रिटर्न्ड का तो कोई सवाल नहीं है। लॉ और रूल्ज़ ने उन के बारे में सीक्रेसी प्रोवाइड की है कि नोबाडी कैन टच दैम। उन को कोई टच नहीं कर सकता। उस में एकाउंट्स कैसे चले गए? इस लिये मैं कहना चाहता हुं कि यह आम पब्लिक को गुमराह करना है, बदनामी हासिल करना है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है।

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र के संशोधन का समर्थन करता हुं। सामान्यतः जब चुनाव की घोषणा के बाद कागजात मुहरबन्द कर दिये जाते हैं तब उनको खोलने का अधिकार केवल न्यायाधिकरण का ही होता है। परन्तु अब यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया जा रहा है। मैं ऐसा कहना उचित नहीं समझता क्योंकि जिसकी ग़लती की शिकायत है उसी को यह अधिकार दिया जाये तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा करने से तो उसको ग़लती सुधारने का अवसर देना है। इसलिये यह अधिकार न्यायाधिकरण को ही दिया जाना चाहिये ऐसा मेरा भी सुझाव है।

†**श्री सुमत प्रसाद** (मुज़फ्फरनगर) : उपमंत्री द्वारा संशोधन करने के कारणों को मैं ठीक नहीं समझता हुं। मेरे विचार से नियम में संशोधन करना ठीक नहीं है और ऐसा करने से उलझनें पैदा हो सकती हैं। सभा में कई बार बताया जा चुका है कि यह अधिकार केवल न्यायाधिकरण को दिया जाना चाहिये। मैं श्री श्रीनारायण दास के प्रस्ताव का समर्थन करता हुं।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, जो एमेंटमेंट शासन की तरफ से किया गया है, वह उसी तरह से मालूम पड़ता है जैसे कि पैंचिंग और पैडिंग किया जाता है। हमारे त्यागी जी ने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने वकीलों के बारे में कहा है कि वे जजों को नमस्कार करते हैं, उनके सामने सिर झुकाने की आदत उनकी हो गई है। मैं कहना चाहता हुं कि समस्त जनता उनके आगे सिर झुकाती है। इस वास्ते केवल वकील ही सिर्फ सिर झुकाते हैं यह कहना ठीक नहीं है। त्यागी जी ने यह भी कहा है कि हिन्दुस्तान में बहुत से लोग कुरप्ट हो गए हैं। क्या जो इलैक्शन कमिश्नर साहब हैं, जब त्यागी जी ने ऐसा कहा तो वह भी उनकी निगाह में थे या नहीं मैं नहीं जानता हुं। कमिश्नर साहब डेमी गाड हैं और वह कुरप्शन से बाहर हैं, या उनको ब्रेड एंड बटर की जरूरत नहीं है या वह शासन के हाथ में खिलौना नहीं बन सकते, इसके बारे में त्यागी जी ने कुछ नहीं कहा।

एंक बार जब बैलट पेपर्ज़ सील हो जाते हैं और रिटर्निंग आफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है तो उस सील को और उन पेपर्ज़ को ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने ही खोला जाता सकता है। वे पैकेट्स उनके सामने ही खोले जा सकते हैं। जब रिटर्निंग आफिसर यह डिक्लेयर कर देता है कि फलां आदमी जीत गया है, तो उसके बाद वह उन पेपर्स को सील कर देता है और जब उनको सील कर दिया जाता है तो कमिश्नर साहब क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। हम जो अपाजीशन वाले हैं उनको यह शंका है कि कहीं बैलट पेपर लोगों को न दे दिये जायें या जो कर्मचारी हैं वे न दे दें। इस तरह की बातें करने में कहीं कमिश्नर शासन के हाथ में खिलौना बन न जायें यही शंका है। बड़े बड़े व्यक्ति जो शासन में हैं, जो अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में अगर वह खिलौना हो जायेंगे तो क्या होगा? क्या टेलीफोन का इस तरह के अनुचित कामों के लिये उपयोग नहीं हो सकता है? एक बार सील जब पेपर्स को कर दिया गया और रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके बाद कमिश्नर साहब क्या करेंगे। अगर उनको यह अधिकार दे दिया

†मूल अंग्रेज़ी में

जाता है कि वह पेपर्ज़ को खोल सकते हैं तो हो सकता है कि वह मिनिस्टर्ज़ के हाथों में या बड़े व्यक्तियों के हाथों में खिलौना बन जाएं और टेलीफोन पर ही सब बातें हो जायें।

त्यागी जी ने कहा है कि हिन्दुस्तान में लोग बहुत कुरप्ट हैं, आफिसर्ज़ कुर्प्ट हैं। अगर यह सही है तो जो कमिश्नर साहब हैं जो कुछ उनको टेलीफोन पर कहा जाएगा वह कर दिया करेंगे और मिनिस्टर्ज़ के इशारे पर नाचना शुरू कर देंगे और टैम्पर करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, इस पर आपको विचार करना चाहिये। यह बात, जो आर्ग्मेंट हमारे त्यागी जी ने दिया है, उसी के सहारे मैं कह सकता हूं। जो एमेंडमेंट अब किया गया है, वह क्यों किया गया है, इस पर आपको विचार करना होगा। हमारे यहां दो आम चुनाव हो चुके हैं। इन दोनों ही चुनावों में इस तरह का कोई प्राविज़न नहीं था। लेकिन इस चुनाव में अपोज़ीशन वालों का बल बढ़ा है और इस वजह से इनको यह एमेंडमेंट करने की जरूरत हो गई है। मैं मध्य प्रदेश की बात आपको बतला सकता हूं। वहां पर हमने देखा है कि कांग्रेस से यह टीका होनी शुरू हुई है कि जितने भी कर्मचारी हैं, पटवारी से ले करके कलैक्टर तक, छोटे से छोटे से ले कर बड़े से बड़े तक. कांस्टेबल से ले कर एस० पी० साहब तक सब जन संघ के हाथ में खेलते हैं और यही वजह है कि वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट्स की हार हुई है। यू० पी० में इलैक्शन कमिशन को एप्लीकेशन दे करके वहां पर यह चाहा गया कि पैकेट्स को खोल कर देखा जाए। कमिश्नर साहब ने दो तीन बार इस बात को नहीं माना लेकिन जब उन पर वज़न डाला गया तो इलैक्शन कमिश्नर ने पैकेट्स को खोला। यह सवाल जब कोर्ट में उठाया गया और कहा गया कि इलैक्शन कमिश्नर को जो अधिकार दिये गये हैं, यह उसके विरुद्ध बात जाती है जब कमिश्नर साहब शासन के पास दौड़े आए और उन्होंने इस तरह की एमेंडमेंट करने के लिये कहा और दोनों ने मिल कर के इस प्रकार का एमेंडमेंट किया। पिछले दो इलैक्शन्ज़ में इस तरह का अधिकार कमिश्नर साहब को क्यों नहीं दिया गया और क्यों अब दिया गया है, उसकी यही वजह है जो मैंने बयान की है। इसका कारण यही है कि जो जूता हमें काटता था वही जूता अब कांग्रेस के कैंडीडेट्स को काटने लगा है। इस वजह से उन को यह एमैंडमेंट करने की जरूरत पेश आई है कि वह पैकेट्स को खोल करके देख सकता है। पैकेट्स को खोल करके वह क्या करेगा? यहां पर इसी दिल्ली में यह दिखा दिया गया है कि पेटियों को खोला जा सकता है और यहां पर दिल्ली में ही यह भी बता दिया गया है कि जम्मू और काश्मीर में जाली बैलट पेपर लोगों के हाथ में दिये जा सकते हैं और उनको मिला दिया गया है। जब इस तरह की बातें हो सकती हैं तो यह आश्वासन कैसे दिया जा सकता है कि जो पैकेट्स को खोलने का अधिकार कमिश्नर को दिया गया है, उसका दुरुपयोग नहीं होगा और कमिश्नर या उनके कर्मचारी कोई अनुचित काम नहीं करेंगे? त्यागी जी ने कहा है कि जजों के सामने वकील बो करते हैं। वे बो नहीं करते हैं। सभी उनके सामने झुकते हैं। हमारे त्यागी जी ने यह भी कह दिया कि सारे के सारे कर्मचारी कुरप्ट हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह बात कैसे कह दी।

श्री त्यागी : मैंने यह नही कहा कि सारे अफसर कुरप्ट हैं।

श्री बड़े : इंग्लैंड के और यहां के आफिसर्स को उन्होंने कम्पेयर किया है। इस बात को सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ है। किस तरह से हमारे देश के लोगों को वह कहते हैं कि वे कुरप्ट है। क्या इंग्लैंड में कुरप्शन नहीं है? एक बहुत बड़े आदमी ने जो यहां आया और जिसने अंग्रज़ी राज्य की यहां स्थापना की और जिसका नाम क्लाइव था, क्या वह कम कुरप्ट था। उस तरह का कुरप्ट आदमी भी कभी हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता है।

यहां के कर्मचारी आम तौर पर आनेस्ट है। हो सकता है कि कोई कोई डिसआनेस्ट हो। ऐसे तो चावल में भी कोई पत्थर रहता है। यह कहना कि सभी लोग कुरप्ट

[श्री बड़े]

है, या खराब है गलत बात है। हां जब ब्रेड और बटर का सवाल आता है तो आदमी कुरप्ट हो सकता है। वैसे तो जो जंगली जानवर होता है उसको भी अगर भुखा रखा जाता है तो वह भी पाल्तू बन जाता है। कांग्रेस ने टैक्स लगा करके लोगों को भुखा कर दिया है नंगा कर दिया है। ब्रेड और बटर के लिए वह कुरप्ट हो सकता है। और इलैक्शन कमिशनर इसके ऊपर हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अगर बाकी लोग कुरप्ट हो सकते हैं, तो वह भी हो सकते है।

इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो प्राविज़न है यह गलत है और कमिशनर को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। यह अधिकार केवल ट्रीब्यूनल और कोर्ट के पास ही रहना चाहिये जहां पर दोनों पार्टियाँ सामने रहती हैं और दोनों के सामने उसको खोला जाता है। इलैक्शन कमिशन के सामने दोनों पार्टियों नहीं होती हैं इस वास्ते पैकेट्स को उसके सामने खोलना अनुचित है और यह ठीक नहीं है। इस वास्ते यह जो प्राविज़न है और जो पावर इलेक्शन कमिशन को दी जा रही है, नहीं दी जानी चाहिये यह सुपरफ्लूअस प्राविजन है, ऐसा मैं समझता हूं।

जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : मैं समझता हूं कि संविधान को सुचारु रूप से लागू न्यायाधिकरण ही कर सकता है। इसीलिए जनता को न्यायाधीशों तथा न्यायालयों पर ही विश्वास रह गया है। ऐसा विश्वास लोकतंत्रीय पद्धति के लिए आवश्यक भी है।

सामान्यतः नियमों को सभा-पटल पर रख दिया जाता है। परन्तु ऐसा कभी भी नहीं होता कि इन नियमों का ठीक प्रकार से अध्ययन हो अथवा हम देखें कि नियम विधि के अनुसार बने हैं अथवा नहीं। मैं श्री श्रीनारायण दास को बधाई देता हूं कि उन्होंने नियमों को देखा और यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मैं तो यह समझता हूं कि यदि निर्वाचन आयोग को मत-पत्रों की जांच के अधिकार दिए गए तो मत-पत्र की गोपनीयता भंग हो जायेगी। इसके अतिरिक्त वह अपने कर्त्तव्य-पालन में भी ढीलढाल करने लगेंगे। मैं समझता हूं कि जैसा नियम मूलतः था उसको वैसा ही रहने दिया जाये। मेरा अनुरोध है उपमंत्री इस पर पुनः विचार करें और इसको उसी रूप में रहने दे।

†**श्री भगवत झा आजाद** (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि इन नियमों को बनाने के सम्बन्ध में सरकार को गलत परामर्श दिया गया है। जब मामले ठीक होने पर भी पेटियों को पुनः खोल कर निर्णय किया जायेगा तो जनता का मन आशंका से भर उठेगा कि कहीं पर कोई गड़बड़ी जरुर की गई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस उपबन्ध को वापस ले लेना चाहिए।

हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने किन कारणों से यह नियम बनाया है। जब चुनावों में उनके सामने क्या कठिनाइयां आई थीं।

मैं नहीं समझता कि विश्व के अन्य किसी देश में ऐसा नियम है। इंगलैंड में इन कागजातों को खोलने के आदेश हाउस आफ कामन्स अथवा उच्च न्यायालय देता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इससे जाहिर है कि एक नई बात की जा रही है । इसलिए इसको नहीं रखा जाना चाहिए और प्रेस नियम को ज्यूं का त्यूं रहने दिया जाना चाहिए ।

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जनतन्त्र ही एक ऐसी देन है जिस को सामने रख कर हम सारे संसार में कह सकते हैं कि भारत इस जनतन्त्र के सहारे तरक्की करेगा । इस जनतन्त्र को जो खुराक मिलती है, जो शक्ति मिलती है वह सरकार से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से मिलती है । अगर वह जिन्दा है तो देश की जनता के विश्वास के सहारे जिन्दा है । इस लिये जरूरी है कि हिन्दुस्तान की जनता के दिमाग में यह बात आ जाये कि जिस तरीके से जनता चाहती है, वैसा ही इस देश में होता है । और यह विश्वास इस नाते जिन्दा है कि जनता की खुफिया राय से सरकार बनती है । गरीब लोगों की और महकूम लोगों की राय को कोई नहीं जान सकता कि वह किधर राय देते हैं, ऐसा विश्वास उनके दिमाग में है । मैं कहता हुं कि देश में जनतंत्र की सारी शरायतें टूट चुकी हैं, करप्शन और भ्रष्टाचार सब जगह हो चुका है, लेकिन सीक्रेट बैलट की वजह से जनता के मन में एक विश्वास है । अगर आप इस विश्वास को तोड़ देंगे तो यह पहला फावड़ा होगा जो कि आप चलाएंगे इस देश में जम्हूरियत को दफन करने का ।

हम दूसरों की बातें कहते हैं । पंजाब के चुनावों में कौन सी बात नहीं चली । कौन सी बात मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टर के चुनाव के बारे में नहीं चली । ३४ परचियों से हमारा पंजाब का मुख्य मंत्री जीता हुआ बताया जाता है और उसको पार्टी का लीडर बनाया गया है । अगर आज यह परचों को खोलकर देखने का अधिकार दे दिया जाता है तो कौन आदमी पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट दे सकेगा । आज भी लोग यह महसूस करते हैं कि कुछ लोगों को जबरदस्ती जीता हुआ बताया गया है । अगर आपने कानून बनाकर इन परचों को देखने का अख्तियार इलैक्शन कमीशन को दे दिया तो जनता के मन में विश्वास नहीं रह जाएगा क्योंकि सीक्रेसी खत्म हो जाएगी । हमने देखा कि पंजाब के मुख्य मंत्री को जबरदस्ती जितवाया गया और परचियों में जो कमी रह गयी थी उसके बाद में हेराफेरी की गयी । इसी तरह से ३०० या ३५० परचियों से गुड़गांव से एक मंत्री को जीता बताया गया और कहा गया कि परचियों में हेराफेरी की गयी । लेकिन अगर यह खुफिया परचियां डालने का तरीका कायम रहता है तो जनता को यह विश्वास है कि जनतंत्र में जो अभी कमियां हैं उनको जनता कभी न कभी पूरा कर लेगी । यह चीन जनतंत्र की बुनियाद है । अगर इस बुनियाद को ही हम मिटा देंगे तो जनतंत्र जिन्दा नहीं रह सकता ।

मैं सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा हुं । अगर यह कानून पास हो गया तो किसी को जोरावर से मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहेगा । जनता को जब सीक्रेसी का विश्वास नहीं रहेगा और जब सीक्रेसी मिट जाएगी तो जो जोरावर होगा, वह चाहे किसी दल से आवे, कामयाब हो जाएगा और जनता उसके खिलाफ वोट नहीं देगी । इस हालत में हिन्दुस्तान में जनतंत्र जिन्दा नहीं रह सकेगा और अगर वह जिन्दा रहेगा तो वह हाई क्लास के लोगों का, सरमायादारों का, डिकटेटरशिप के किस्म का जनतंत्र होगा और उसका आखिरी रूप अय्यूब शाही जैसा हो सकता है ।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आज यह एक छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इस बिल को यहां देखकर मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान में जम्हुरियत बिल्कुल किनारे पर खड़ी है । आप चाहें तो शक्ति के जोर से इस जम्हूरियत को समन्दर में डाल सकते हैं और इस देश

के लोगों को तबाह कर सकते हैं। आपको यह एक मामूली सी बात मालूम होती है लेकिन इसकी वजह से हिन्दुस्तान के ४५ करोड़ इन्सानों के दिल में जो अग्नि भभकेगी उसको अगर आप कानून से दबाना चाहेंगे तो देश तबाह होगा। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि चाहे शक्ति के नशे में या अनुशासन के डंडे के कारण या इसको डिगनिटी का सवाल बना लेने के कारण या कायदे कानून की कमजोरी में आज ट्रेजरी बैंचों के हमारे भाई इस तरह क भावना व्यक्त कर रहे हैं और इस कानून के पक्ष मे अपना वोट भी दे दें, लेकिन आगे आने वाला इतिहासकार कहेगा कि उन्होंने मुल्क के साथ बेवफाई की क्योंकि इस कानून से जनतंत्र की बुनियाद ही खत्म होती है। मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा खतरा मोल न लिया जाए। मुझे इतना ही कहना है, हेराफेरी करके मिनिस्टरों को जिताने की बात को आप छोड़ दीजिए।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पाच छः साल का इलैक्शन पिटीशन का अनुभव है। सन् १९५७ के इलेक्शन के बाद का मेरा एक पिटीशन अब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो पाया है। शायद वह भारतवर्ष में सबसे पुराना पिटीशन है। यह पांच छः साल का मेरा समय अपने हक के लिए और सत्य के लिए लड़ने में जाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे रूल्स में कोई लूपहोल न रह जाए ताकि इलेक्शन कमीशन के पास और एक अधिकार आ जाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन को यह हक नहीं था कि जो कि एस बिल के द्वारा उसको दिया जा रहा है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध करता हूं। मेरे अनुभव में आया है कि बैलट बाक्सों में बहुत से कागजात होते हैं जैसे पोलिंग एजेंटों के फार्म और दूसरे बैलट पेपर। अगर इलेक्शन कमीशन को उनको देखने का मौका दिया जाएगा तो उसको एक प्रकार से जूडीशियरी की पावर दे दी जाएगी और अगर उसको मालूम होगा कि कहीं अन्याय हो गया है तो वह जिस कैंडीडेट को जीता हुआ डिकलेअर कर चुकी है उसको फिर रिवर्ट करेगी। यह अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए।

हमारे संविधान का मंशा इलेक्शन कमीशन को बनाने में केवल यह था कि वह इलेक्शन के काम को देखे और उसके नतीजे का ऐलान कर दे। उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा अधिकार इसको देने की आवश्यकता नहीं है।

अपने इलैक्शन पिटीशन के सिलसिले में बहुत सी अन्दरूनी बात मेरे अनुभव में आयी हैं लेकिन मैं उनको इस समय नहीं कह सकता क्योंकि अभी केस सब जुडीसी है। मैं केवल इतना हो कहना चाहता हूं कि जो यहां सदस्यों ने अपने विचार आपके सामने रखे हैं और जो अपनी राय दी है उसका मंत्री महोदय आदर करेंगे और हमारे ऊपर इस संशोधन को न लादेंगे। अधिकतर वक्ताओं ने चाहे वे कांग्रेस दल क हों या दूसरे दलों क, सिवाय श्री त्यागी और डिप्टी मिनिस्टर के, इस अमेंडमेंट का विरोध किया और अपना दृष्टिकोण हाउस के सामने रखा है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में इलैक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं देना चाहिए। इससे बहुत से अन्याय होंगे। इससे लोकतंत्र को बचाना चाहिए। इसेलिए मैं चाहता हूं कि जो पहला रूल है उसी को कायम रखा जाए और उसको बदला न जाए।

इतना कहते हुए मैं इसका विरोध करता हुं।

†**श्री राम रतन गप्त** (गोंडा) : श्रीमान, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत नियम का विरोध करता हूं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं और जानता हूं कि चुनाव आयोग किस प्रकार गड़बड़ी कर सकता है।

यद्यपि मेरे विरुद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत है परन्तु फिर भी मैं आपको बताता हूं कि चुनाव में किस प्रकार की गड़बड़ी की जा सकती है। मेरा विरोधी एक भूतपूर्व आई०सी०एस० अफसर था। अधिकारी उसका समर्थन करने पर तुले हुए थे और इसीलिए पुनः गणना कराई गई। उसमें भी मेरी जीत के बाद चुनाव आयोग का अधिकारी लखनऊ गया और उसने मतदान बक्सों में गड़बड़ करने की कोशिश की। मैंने उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दे कर उनको ऐसा करने से रोका। यदि चुनाव आयोग को यह अधिकार दे दिए जायेंगे तो वह आसानी से मतदान बक्सों तथा कागजातों में हेरफेर कर सकेंगे और इस प्रकार ठीक प्रकार से चुनाव नहीं हो पायेगा।

मेरा यही अनुरोध है कि देश में लोकतंत्री पद्धति बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि नियम को इसी रूप में रखा जाये तथा इसमे कोई संशोधन नहीं किया जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सभा में इतना एकमत कभी नहीं हुआ जितना इस विषय में हुआ है। किन्तु इसे वापिस लेने के लिये यहां विधि मंत्री उपस्थित नहीं हैं। सत्तारूढ़ और विरोधी दलों में इस विषय में एकमत है। यह मानव प्रवृति है कि सब अधिकाधिक शक्ति धारण करना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त हैं—वह प्रजातंत्रात्मक प्रक्रियाओं का अभिरक्षक बना हुआ है। अभी तक उसने अच्छा काम किया है हालांकि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि वह कुछ मामलों में अपनी शक्ति से बढ़ गया है। किन्तु निर्वाचन आयोग एक प्रकार का सरकारी ठग बन गया है। वह जो चाहता है करता है, और अब निर्वाचन मतपेटियों को भी खोलने की शक्ति चाहता है। प्रजातन्त्र की दृष्टि से उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

मेरे राज्य के दो निर्वाचनों का उल्लेख किया गया है, किन्तु मैं समझता हूं कि वे संविधानिक ढंग से हुए हैं और उन का सभा के समक्ष मामले से कोई संबंध नहीं है।

हम मत पत्र को गोपनीय एवं पवित्र मानते हैं। अतः उसे खोलने का अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं दिया जा सकता। क्योंकि उससे निर्वाचन की पवित्रता नष्ट होने की आशंका है। इससे प्रजातंत्र को भी भय है। मैं इस नियम का विरोध करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जो बातें कही गई हैं उनमें कुछ भ्रान्तिपूर्ण हैं। यह बात गलत है कि न्यायाधिकरणों की शक्ति इस संशोधन द्वारा छीनी जा रही है। न्यायाधिकरण को जांच करके यह देखने का हक है कि गिनती नियमानुसार की गई है या नहीं। किन्तु निर्वाचन आयोग को वही शक्ति नहीं दी गई है। यह ठीक है कि रिटर्निंग अफसर द्वारा घोषित परिणाम अन्तिम होता है और उस के विरुद्ध निर्वाचन याचिका दी जा सकती है परन्तु निर्वाचन आयोग को दुबारा गिनती कराने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये।

†**श्री सिंहासन सिंह** : किन्तु इस संशोधन के द्वारा दुबारा गिनती कराने की शक्ति निर्वाचन आयोग को नहीं दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** मैं यह कह रहा था कि कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि यह शक्ति निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिये। किन्तु इस संशोधन द्वारा वह शक्ति देने का विचार नहीं किया गया।

मैं वे कारण बता चुका हूं जिन्होंने इस संशोधन को आवश्यक बनाया है। नियम ९३(२) में मत पत्रों की गिनती का उपबन्ध है और गलती से मत पत्रों का हिसाब उसी पेटी में बन्द कर दिया गया था जिसमें मत पत्र थे। उत्तर प्रदेश में मत पत्रों की गिनती को जांच करवाने की प्रार्थना की गई। ऐसी अवस्था में 'प्रत्याशी को कुछ पत्र देखने का हक है परन्तु प्रश्न यह है कि उस पेटी को न्यायाधिकरण के इलावा और कोई खोल नहीं सकता, अतः वह अधिकार से वंचित रह जाता है।

इसलिये निर्वाचन आयोग ने इन पत्रों को देखने के लिये पेटी को खोलने की शक्ति प्राप्त करनी चाही। ऐसा करने में निर्वाचन आयोग मत पत्रों की जांच करना नहीं चाहता, जिसका उनको अधिकार नहीं है। चूंकि यह नियम निर्वाचनों के बाद बनाया गया है अतः सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य का आरोप सर्वथा निराधार है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** हम इस नियम को हटाना चाहते हैं।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : पेटियां सब दलों के समक्ष खोली जाएंगी।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** यह केवल उन पत्रों को देखने के लिये हैं जिनका मत पत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री पालीवाल** (हिण्डौन) : मत पत्र और अन्य पत्र पृथक क्यों नहीं रखे जाते ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** चूंकि निर्वाचन आयोग को न्यायिक पुनरीक्षण का आधिकार नहीं है अतः उन को मत पत्रों की जांच का अधिकार देने का कोई अभिप्राय नहीं है। अब यह प्रश्न उपचुनावों को छोड़ कर कई सालों तक खड़ा नहीं होगा। यह निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया गया था और इस में मत पत्रों की जांच शामिल नहीं है।

†**श्री राम रतन गुप्त :** किन्तु दोनों प्रकार के पत्रों को अलग रखा जा सकता है। शक्ति देने से तो इस के दुरुपयोग की आशंका है।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** इसका इरादा बुरा नहीं है और नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा, यह मैं आशा करता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि इस आश्वासन की दृष्टि से मा० मित्र प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** आप नियम को हटा दीजिये।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** श्री त्यागी ने कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के विरुद्ध बड़े निराधार आरोप लगाये हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं इस काम के लिये उत्सुक हूं कि रिटर्निंग अफसर को अपना कर्तव्य निष्पक्षता के साथ पालन करना चाहिये और अधिनियम तथा नियमों के अनुकूल। अपराधियों को दण्ड तो दिया जाना चाहिये किन्तु जब लोग उनकी शिकायत न करें, तो क्या किया जा सकता है। प्रजातन्त्र में सब लोगों को जागरूक रहना चाहिये। निर्वाचन आयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

की ईमानदारी के बारे में कुछ सन्देह प्रकट किये गये हैं और कहा गया है कि वह गड़बड़ी करेगा। किन्तु ऐसा नहीं होगा।

निर्वाचन आयोग ने अच्छा काम किया है और इसे संविधान के अनुच्छेद ३२४ के खण्ड ५ के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर दर्जा और महत्व दिया गया है।

इस नियम को स्पष्ट बनाया जाएगा इस बारे में मैंने जो आश्वासन दिया है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापिस ले लें ऐसी मेरी प्रार्थना है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मेरे संकल्प के समर्थकों एवं माननीय मन्त्री को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने यह संशोधन रखा है। इस नियम को रखने का कोई लाभ नहीं है।

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : यदि कोई ऐसा कागज जो मतपत्र नहीं और मतपेटी में डाला गया है, जिसे देखने का अधिकार दलों को है, उसे देखने के लिये पेटी को खोलने का अधिकार तो निर्वाचन आयोग को होना ही चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (**जालोर**) : विधियाँ गलतियाँ करने के लिये नहीं बनाई जातीं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : माननीय मन्त्री कुछ ऐसे कागजों को निकालने के लिये पेटियाँ खोलने के लिये शक्ति देना चाहते हैं। किन्तु उस समय जब पत्र बन्द किये जाते हैं दलों के प्रतिनिधि आपत्ति कर सकते हैं। किन्तु यदि वह ऐसा नहीं करते तो न्यायाधिकरण के समक्ष अभियाचना दी जा सकती है। अतः माननीय मन्त्री को इन सब विचारों पर सोचना चाहिये। निर्वाचन आयोग को यह शक्ति लेने से कोई लाभ नहीं होगा। जब आयोग के निर्वाचनों सम्बन्धी व्यापक शक्तियां हैं उसने स्वयं क्यों इस बात का सुझाव दिया है। इसलिये यह नियम बेकार है और माननीय मन्त्री को मेरा संकल्प स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वह इसे वापिस लेने को तैयार हैं ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : जी नहीं।

†**श्री सुमत प्रसाद** : माननीय उपमन्त्री को इसका सिद्धान्त स्वीकार करके नियम को उपयुक्त शब्दों में पुनः पेश करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम बाद में इस पर म त करेंगे। हम ५ बजे तक का समय उनको देते हैं। इस बीच हम दूसरे विषय को लेंगे ?

सीमा शुल्क विधेयक

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री** (**श्री ब० रा० भगत**) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को ३० सदस्यों अर्थात् श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े, श्री गु० बसु, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री रामनाथन् चेट्टियार, श्री नयन तारा दास, श्री मोरारजी देसाई, श्री मा० दा० देशमुख, श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी, श्री जो० ना० हजारिका, श्री प्रभुदयाल

---

†मूल अंग्रेजी में

हिम्मतसिंहका, श्री हरि विष्णु कामत, श्री नरेन्द्र सिंह रणजीत सिंह महीड़ा, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री कृष्णन् मनोहरन्, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री महेश दत्त मिश्र, श्री रा० रा० मुरारका, श्री शंकरराव शान्ताराम मोरे, श्रीमती सावित्री निगम, श्री घनश्याम लाल ओझा, श्री प्रभात कार, श्री अ० व० राघवन्, श्री शिवराम रंगो राने, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री र० वें० रेड्डियार, श्री रामकृष्णन् रेड्डी, श्री शंकरय्या, डा० लक्ष्मी मल्ल सिंहवी, श्री सुमत प्रसाद तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

१८७८ का समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम में, ८० वर्ष पूर्व सीमा शुल्क सम्बन्धी मूल विधि दी गई है। यद्यपि विशिष्ट बातों सम्बन्धी परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसमें समय समय पर संशोधन किया गया है। अधिनियम का सामान्य तथा व्यापक पुनरीक्षण नहीं किया गया है। पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में इस कार्य के लिये जो उपबन्ध पर्याप्त समझे गये थे, वे समय के साथ पुराने हो गये हैं और वर्तमान युग की आवश्यकता को पूरा नहीं करते। सरकार ने वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों को अधिक से अधिक उदारतापूर्वक निर्वाचन करने का प्रयत्न किया है, किन्तु फिर भी कुछ कठिनाइयाँ रह गई हैं। व्यापारी भी कई परिवर्तनों और सुविधाओं के लिये जोर दे रहे हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जिसे हमें ध्यान में रखना है तस्कर व्यापार का है जो बिल्कुल नियंत्रित अर्थव्यवस्था का परिणाम है। विधेयक बनातेसमय हमने यथार्थ व्यापार को सुचारू रूप से चलते रहने देने में प्रत्येक सम्भव ढंग से सुविधा देने और साथ ही तस्कर व्यापार तथा शुल्क अपवंचन के विरुद्ध प्रभावी उपाय करने के दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करते समय, समुद्र सीमा शुल्क, भूमि सीमा शुल्क और वायु सीमा शुल्क सम्बन्धी उपबन्धों को व्यापक विधि के रूप में समन्वित करने का भी प्रयत्न किया गया है।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के प्रायः सभी उपबन्ध विमान द्वारा आयातों पर लागू होते हैं, भूमि सीमा शुल्क सम्बन्धी स्थिति अब तक भिन्न रही है। भूमि द्वारा आयात या निर्यात किये गये माल पर इस समय शुल्क नहीं लगता, जब तक कि वह ऐसे राज्य क्षेत्र में आयात न किया जाए या वहाँ निर्यात न किया जाए, जो भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ की धारा ५ के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के द्वारा विदेशी राज्य क्षेत्र घोषित न किया गया हो। तब भी यह केवल उन वस्तुओं पर लागू होता है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हैं। मूलतः भूमि या समुद्र द्वारा आयात के बीच कोई अन्तर नहीं है। सीमा शुल्क विदेश से आने वाले माल पर लगाया जाता है और वह किस साधन से लाया जाता है यह वास्तव में संगत नहीं हैं। इसलिये सीमा शुल्क विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि भूमि द्वारा आयात और निर्यात पर भी उसी प्रकार सीमा शुल्क स्वयंमेव लगना चाहिये जिस प्रकार वायु या समुद्र द्वारा आयात अथवा निर्यात पर लगता है।

भाण्डागार में माल भरने की सुविधा जो किसी आयातक को शुल्क देने में स्थगित करता है जब तक माल भाण्डागार में से उठा न लिया जाए, अब भूमि द्वारा आयात किये गये माल के लिये प्राप्त नहीं है, न ही आयात किये माल को जो भूमि द्वारा पुनः निर्यात किया जाता है, आयात शुल्क की कोई

†मूल अंग्रेजी में

रियायत है । भूमि सीमा शुल्क के व्यापक विधि बन जाने के साथ, ये भाण्डागार तथा वापिस लेने की सुविधाएं भूमि द्वारा आयात किये गये अथवा पुनः निर्यात किये गये माल पर भी प्राप्त होंगी । कुछ और परिवर्तन भी स्वतः होंगे ।

नवीन विधि काफी सरल कर दी गई है । वर्तमान अधिनियम के सब पुराने उपबन्ध निकाल दिये गये हैं । जो उपबन्ध संविधान के अनुसार राज्य सूची में पड़ते हैं, वे ही निकाल दिये गये हैं । प्रक्रिया सम्बन्धी उपबन्ध जो दिन प्रति दिन की प्रशासनिक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं निकाल दिये गये हैं क्योंकि वे प्रशासन को कड़ा बनाते हैं । यह आवश्यक है कि दिन प्रति दिन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिये जो परिवर्तनशील परिस्थिति में ठीक बैठ सके, और यदि ये ब्यौरे निधि में लिखे जायें तो अपेक्षित मात्रा में लचीलापन नहीं रहता ।

विविध धाराओं और एक प्रकार के उपबन्धों को इकट्ठे करने के लिये अध्यायों का क्रम भी बदला गया है । डाक द्वारा लाये जाने वाले माल व स्टोर सम्बन्धी वैधानिक उपबन्धों की अब उचित परिभाषा की गई है । और उनको पृथक् से "डाक द्वारा आयात या निर्यात किये गये माल या स्टोर सम्बन्धी विशेष उपबन्धों" नामक पृथक् अध्याय में इकट्ठा कर दिया गया है ।

दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों के सरलीकरण का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । वर्तमान अधिनियम की धारा १६७ में ८७ दण्ड खण्ड हैं । संशोधित उपबन्धों में, यह संख्या बहुत घटा दी गई है और युक्तियुक्त पुनर्वर्गीकरण किया गया है, (क) आयात किये गये माल की जब्ती, (ख) निर्यात किये गये माल की जब्ती, (ग) व्यक्तिगत दण्ड, और (घ) जहाजों, विमानों और गाड़ियों की जब्ती । अवशिष्ट दण्ड उपबन्ध भी हैं, जो उल्लंघन के लिये दण्ड निश्चित करते हैं जिन के लिये अन्य खण्डों में विशिष्ट उपबन्ध नहीं होते । जिन अपराधों के लिये अभियोग चलाये जा सकते हैं उनको प्रथम अध्याय में इकट्ठा किया गया है । इस पुनर्वर्गीकरण तथा सरलीकरण से वर्तमान दण्ड सम्बन्धी खण्डों का आधिक्य तथा गड़बड़ी दूर हो जाएगी ।

दिलचस्पी वाली अन्य बातें ये हैं कि वर्तमान अधिनियम के कुछ उपबन्ध बिना कोई निदेशक सिद्धान्त बनाये सीमा शुल्क अधिकारियों को महत्वपूर्ण और व्यापक शक्तियाँ देते हैं । उदाहरणार्थ आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति दी गई है । और भाण्डागार के माल का निर्यात रोकने या वापिसी वाले दावे के अधीन माल का निर्यात रोकने या तटकर माल ले जाने को रोकने की शक्ति है, किन्तु इनमें से किसी भी शक्ति के बारे में वर्तमान विधि में कोई निदेशक सिद्धान्त नहीं दिये गये । इसी प्रकार प्रशुल्क मूल्य निश्चित करने के कोई निदेशक सिद्धान्त नहीं हैं । विधान की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार अब निदेशक सिद्धान्त निर्धारित करके इन शक्तियों को विनियमित करने का विचार है, जिनके अन्तर्गत केवल कार्यपालिका प्राधिकारियों को नियम बनाने या अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति होगी । वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत नियम या अधिनियमों को संसद् के समक्ष रखना आवश्यक नहीं है । अब यह उपबन्ध किया जा रहा है कि सब नियम और महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जो नवीन विधि में वर्णित हैं, सभाओं के सामने रखी जाएगी और मुझे विश्वास है कि सभा इन परिवर्तनों का स्वागत करेगी ।

सुधार के विविध सामान्य उपबन्धों के अतिरिक्त, जिनका मैंने अभी मोटे तौर पर उल्लेख किया है, विधेयक व्यापार को बहुत सी सुविधायें देने का विचार करता है, और इसमें तस्कर व्यापार को रोकने के बहुत से उपाय हैं । सामान्य व्यापार को उचित सुविधाएं और रियायतें देने का हमारा प्रयत्न रहा है और तस्कर व्यापार तथा कर अपवंचन को कठिन बनाना उद्देश्य रहा है । मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लूंगा जिन्हें विधेयक इन दो मोटी श्रेणियों में करना चाहता है ।

[श्री ब० रा० भगत]

आयातकों को लाभ का पहला बड़ा प्रस्ताव माल के मूल्यांकन के सम्बन्ध में है। वर्तमान अधिनियम की धारा ३० में सीमा शुल्क कार्यों के लिये माल की वास्तविक या आंकने योग्य मुल्य की परिभाषा दी गई है।

समय समय पर व्यापारियों ने वर्तमान अधिनियम की धारा ३०(क) के उपबन्धों के विरुद्ध इस आधार पर अभ्यावेदन दिया है कि मूल्य पर शुल्क और आयात पश्चात् अन्य प्रभारों को शामिल करके सीमा शुल्क कार्यों के लिये मूल्य निर्धारित करना ठीक नहीं है। प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार, जिसका भारत सदस्य है, उसमें उपबन्ध है कि सीमा शुल्क कार्यों के लिये मुल्य प्रतियोगी आयात मूल्य पर आधारित होना चाहिये। इसलिये भारत में थोक बाजार भाव के आधार पर आंकने योग्य मूल्य का निर्धारण करने की बात को हटाने का विचार है। अब अनुमान वाला मूल्य सामान्य मूल्य होगा जिस की विधेयक के खण्ड १४(क) में परिभाषा की गई है।

नियर्न्तकों के साथ विशेष सम्बन्ध रखने वाले पक्षों द्वारा आयात किये गये माल के मूल्यांकन में बहुत सी कठिनाइयाँ अनुभव की गई हैं, अर्थात् विदेशी फर्मों की शाखाएं और सहायक अभिकरण तथा एकल प्रतिनिधि, क्योंकि ऐसे मामलों में बीजकों में अनुमान के लिये माल की वास्तविक कीमत हमेशा नहीं दी जाती। जी० ए० टी० टी० में उपबन्ध है कि ऐसे मामलों में मूल्य सामान्य मूल्य के निकटतम मालूम किये जाने वाले मूल्य के आधार पर होना चाहिये। निदेशक सिद्धान्त खण्ड १४(ख) में 'मूल्य' की प्रस्तावित परिभाषा में दी गई है और ऐसे मामलों में सामान्य मूल्य के बराबर निकटतम ज्ञातक मूल्य निर्धाण के लिये नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।

आयातकर्त्ताओं को एक बड़ी रियायत देने वाला एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव संग्रथित वस्तुओं के कर निर्धारण के संबंध में हैं। वर्तमान अधिनियम की धारा २१ में कहा गया है कि किसी वस्तु में यदि अनेक वस्तुयें हों तो जिस वस्तु पर अधिकतम कर दर लागू होती हो उसी के हिसाब से उस पर कर निर्धारित किया जाना चाहिये। इस व्यापार का काफी कठिनाई हो गई हैं। अतः यह उपबन्ध करने का विचार है कि किसी वस्तु के साथ जो पुर्जे अन्य भाग तथा मशीनें आदि हों उन पर उसी दर से कर निर्धारित किया जाय जिस दर से उस मुख्य वस्तु पर कर लगाया जाये।

एक अन्य प्रकार के मामलों में भी इस धारा के कारण कठिनाई होती है, जैसे किसी प्रसाधन सेट में सुगंधि को शीशी पर किस दर से कर लगाया जाये। ऐसी स्थिति में यह उपबन्ध करने का विचार है कि यदि आयात कर्त्ता हर वस्तु को अलग अलग कीमत घोषित करें, तो उन पर समुचित दर से कर लगाया जाये।

यह भी विचार है कि यदि सीमा शुल्क विभाग से लिये जाने के पहले ही कोई सामान क्षतिग्रस्त हो जाय या खराब हो जाये, तो केवल सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट शुल्क वाले मामलों में ही शुल्क में छूट मिल सकती है। परन्तु अब ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा हैं कि सब प्रकार के सामान के शुल्क में ऐसी छूट दी जाये। अभी तक शुल्क की छूट प्रवेश के बिल के पहुंचने के पहले सामान के क्षतिग्रस्त या खराब होने के मामले में ही दी जाती थी परन्तु अब यह छूट सामान के उतारे जाने से पहले किसी स्तर पर सामान क्षतिग्रस्त होने या खराब होने के मामले में दी जायेगी। अतः जो आयातकर्त्ता जहाज से माल लाने के पहले अपना प्रवेश बिल प्रस्तुत कर देगा, वह इसका लाभ पायेगा और जो आयातकर्त्ता सामान आने के बाद प्रवेश बिल प्रस्तुत करने में देरी करेगा, इसका लाभ नहीं पायेगा।

जहां तक शुल्क की छूट का प्रश्न हैं, वर्तमान अधिनियम में कहा गया है कि भंडारगृह में रखे सामान के अपरिहार्य घटनाओं के कारण खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में ही छूट मिलेगी। यह छूट अब उन सामानों के संबंध में भी लागू होगी जो घरेलू उपयोग के लिये निकाली जायेगी। आशा हैं कि आयातकर्त्ता इस रियायत का स्वागत करेंगे।

नैसर्गिक रूप से वस्तुओं में कमी हो जाने की अवस्था में भी रियायत का क्षेत्र बढ़ाने का विचार है। वर्तमान अधिनियम की धारा ११५ और ११६ में शराब, स्प्रिट, बीयर और नमक में नैसर्गिक रूप से होने वाली कमी की स्थिति में ही छूट देने का उपबन्ध हैं। अब ऐसी सभी वस्तुओं पर छूट देने का विचार हैं, जो या उड़ जाती हैं या सूख कर कम हो जाती है। ऐसी वस्तुओं के नाम सरकार अधिसूचित करेगी।

सामान उठाने में देरी होने से आयातकर्त्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को भी दूर करने का विचार हैं। इस समय स्वीकार्य प्रतिभूति, सहित बांड देकर ही यह सुविधा ली जा सकती है। अतः अब व्यवस्था की जा रही हैं कि माल उठाने में विलम्ब होने पर उसका सामान भंडारगृह में रखने की अनुमति दे दी जायेगी। ताकि उसका सामान खराब न होने पाये। इस से आयातकर्त्ताओं को कठिनाई कम हो जायेगी।

सामान के पुनर्निर्यात की अवस्था में प्रत्याहरण की दर में वृद्धि करने की बात विधेयक में हैं। धारा ४२ में कहा गया हैं कि आयात सामान का पुनर्निर्यात करने पर शुल्क का ९५% भाग प्रत्याहरण के रूप में भुगतान किया जायेगा। १/८ भाग प्रशासकीय कार्य के लिये तथा भंडार गृह के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये काटा जायेगा। अतः प्रत्याहरण की दर में आयात शुल्कों के ९५ प्रतिशत की वृद्धि का विचार हैं।

वर्तमान कानून के अधीन प्रत्याहरण दिये जाने के पूर्व कई प्रक्रियात्मक शर्तों को पूरा करना पड़ता हैं, एक शर्त यह हैं कि निर्यात के समय इस का दावा किया जाना चाहिये। दूसरी शर्त यह हैं कि जहाज जाने के ६ महीने के भीतर पुनः उसका दावा किया जाना चाहिये। एक शर्त यह भी हैं कि इसी अवधि में निर्यातकर्त्ता यह भी घोषणा करें कि वास्तव में कितना सामान निर्यात हुआ हैं। ये शर्तें परेशानी पैदा करती थीं और नये उपबन्धों के अधीन उन्हें हटाया जा रहा हैं।

तटीय सामान के उठाये जाने के संबंध में एक अन्य सुधार की बात भी हैं। इस समय व्यवस्था यह हैं कि तटीय माल उठाने के लिये आयातकर्त्ता को एक नौवहन बिल पेश करना पड़ता हैं। इस प्रक्रिया में आयातकर्त्ता को कठिनाई होती है। विभाग की दृष्टि से भी यह प्रक्रिया सन्तोषजनक नहीं हैं। अब यह व्यवस्था की जा रही हैं कि आयातकर्त्ता तटीय सामान का एक बिल सीमा शुल्क अधिकारी को देगा और उसी के आधार पर उसे सामान उठाने दिया जायेगा। इससे कठिनाई भी नहीं होगी और तटीय माल आसानी से उठाया जा सकेगा।

अब मैं करापवंचन तथा तस्कर रोकने संबंधी प्रस्तावों को लेता हूं। वर्तमान धारा १७२ के अधीन कोई भी मजिस्ट्रेट किसी संदिग्ध स्थान की तलाशी के लिये वारंट जारी कर सकता हैं। इसमें सीमाशुल्क के सहायक कलक्टर को वारंट जारी करने के अधिकार दिये जा रहे हैं, जिससे सुविधा हो जायेगी।

परन्तु सीमांत तथा तटीय क्षेत्रों के लिये इतना ही काफी नहीं होगा। वहां केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की ओर से कुछ सीमाशुल्क अधिकारी लगा दिये जायेंगे, जो असिस्टेंट कलेक्टर की अनुमति के बिना ही तलाशी ले सकेंगे। ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया में ऐसी ही व्यवस्था है।

[श्री ब० रा० भगत]

दुरुपयोग करने पर सामान जब्त करने संबंधी उपबन्ध भी हैं। अभी तक कुछ सीमाओं व शर्तों के अधीन विस्तर व व्यक्तिगत सामान कर व शुल्क से मुक्त होता है। प्रायः यात्री इस छूट का अनुचित लाभ उठाते है। अब यह उपबन्ध किया जा रहा है कि जिन शर्तों के अधीन छूट दी जाती हैं यदि उनका ठीक पालन न किया गया, तो सामान जब्त किया जा सकेगा।

निर्यात स्थान से तस्कर को रोकने की समस्या भी बड़ी कठिन है। कई बार सामान सीमांत या तट पर तस्कर व्यापार की दृष्टि से लाया जाता है परंतु उसको कानूनन जब्त नहीं किया जा सकता। परन्तु अब ऐसी व्यवस्था की जा रही हैं कि इस प्रयोजन के लिये सीमांत या समुद्र तट के निकट लाये गये सामान को जब्त कर लिया जा सकेगा यदि वह सामान विधिवत नियत सीमाशुल्क केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से भेजे जाने के लिये लाया गया हो।

तस्कर व्यापार को सहायता या बढ़ावा देने वालों को दंड देने के लिये अभी कोई उपबन्ध नहीं हैं। धारा १६७(८) के अधीन इस काम का करने वालों को ही दंड दिया जा सकता हैं। अतः अब प्रबन्ध किया जा रहा हैं कि इस काम में वित्तीय सहायता देने वाले या इस प्रकार लाये गये सामान को बेचने-बिकवाने में सहायता देने वालों को भी दंड व सजा दी जा सकेगी। तदनुरूप दंड संबंधी खंड में संशोधन किया जाना हैं।

धारा १६७ में कहा गया हैं कि इस तस्कर व्यापार में सहायता करने वाले या तत्संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले को १००० रुपये तक जर्माना किया जा सकता हैं। परन्तु यह राशि कम दिखाई पड़ती हैं। अतः अब व्यवस्था की जा रही हैं कि जितनी राशि का अपवंचन किया जा रहा हो, उसकी तीन गुना राशि या १००० रुपये जो भी अधिक हो, जुर्माना किया जा सकता हैं।

अब मैं उन विमानों, जहाजों तथा गाड़ियों की बात लेता हूं, जिनसे तस्कर व्यापार के काम में सहायता मिलती हैं। ब्रिटेन के सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसे वाहनों को जो इस काम के प्रयोजन के लिये बनाये जायें, या उनमें सुधार किया जाये, दंड देने का विधान हैं। अतः हम भी विमान, जहाज या गाड़ियों को इस अधिनियम की सीमा में ला रहे है।

साथ ही हम यह भी व्यवस्था करने जा रहे है कि अवैध सामान को हटाने के लिये काम में आने वाले किसी भी वाहन को जब्त कर लिया जायेगा। इस संबंध में जो कानूनी त्रुटि थी, उसे दूर किया जा रहा हैं। परन्तु कुछ बचाव भी है। पहला, यदि गाड़ी के मालिक को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सब सावधानी बरत ली हो, तो गाड़ी जब्त नहीं होगी। दूसरा, गाड़ी के मालिक को छूट होगी कि जब्ती के बदले में वह उसमें छिपाकर लाये गये सामान के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माना दे दे।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव चोरी से लाये गये सामान को बेचने की आय के संबंध में हैं। अभी इस आय को जब्त करने का कोई उपबन्ध नहीं है। इसके लिये कारण बताने की नोटिस आदि देनी पड़ती है और संबंधित व्यक्ति आस्तियों को हटा देता हैं। अतः अब व्यवस्था की जा रही है कि यदि यह मानने का कारण हो कि कोई व्यक्ति चोरी से लाया गया माल बेच रहा है या बेचा है, तो उसकी बिक्री आय जब्त की जा सकती हैं।

वर्तमान उपबन्धों के अधीन यदि कोई व्यक्ति सीमा शुल्क संबंधी किसी दस्तावेज, घोषणा-पत्र को किसी लेने देन में प्रयोग करता है, तो मजिस्ट्रेट उस पर १००० रु० जुर्माना कर सकता हैं। परन्तु अब यह किया जा रहा है कि इस काम में सहायता देने वाला या उकसाने वाला व्यक्ति भी

दण्डनीय होगा। दूसरे अभी तक दण्ड की राशि १००० रुपये तक थी परन्तु अब ६ महीने की सजा तक का भी उपबन्ध किया जा रहा है। आयकर अधिनियम में भी ऐसे अपराधों के लिये सजा का उपबन्ध हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्थापना यह है कि तस्कर व्यापार संबंधी सौदे में पत्र व्यवहार के आधार पर अभी किसी को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह सिद्ध करना कठिन होता है कि अमुक व्यक्ति ने ही पत्र लिखा हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये अब यह उपबन्ध किया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार का कोई दस्तावेज या पत्र पेश किया जायेगा, तो उस पत्र का विषय उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया माना जायेगा, जब तक कि वह अन्यथा सिद्ध न हो जाये। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन ऐसा ही उपबन्ध हैं।

मैंने इस विधेयक में रखी गयी मुख्य-मुख्य प्रस्थापनाओं की एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की हैं। जिस प्रवर समिति को विधेयक सौंपा जा रहा हैं, वह इस पर विस्तृत रूप से विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या इस पर कोई सदस्य बोलना नहीं चाहते ? ठीक है, अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को ३० सदस्यों अर्थात् श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े, श्री गु० बसु, श्री त्रिदिवकुमार चौधरी, श्री रामनाथन् चेट्टियार, श्री नयन तारा दास, श्री मोरारजी देसाई, श्री भा० दा० देशमुख, श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी, श्री जा० ना० हजारिका, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री हरिविष्णु कामत, श्री नरेन्द्र सिंह रणजीत सिंह महीड़ा, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री कृष्णन मनोहरन्, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री महेश दत्त मिश्र, श्री रा० रा० मुरारका, श्री शंकर राव शान्ताराम मोरे, श्रीमती सावित्री निगम, श्री घनश्याम लाल ओझा, श्री प्रभात कार, श्री अ० व० राघवन, श्री शिवराम रंगो राने, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री र० बें रड्डियार, श्री रामकृष्णन् रेड्डी, श्री शंकरय्या, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री सुमत प्रसाद तथा श्री ब० रा० भगत की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा स्थगित होती है और ५ बजे पुनः समवेत होगी।

†**इस के पश्चात् लोक सभा पांच बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सभा ५ बजे पुनः समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए] :

निर्वाचनों के संचालन संबंधी नियमों के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन)** : मेरा सुझाव इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा अगले सत्र के लिए स्थगित कर दी जाये । कुछ गलतफहमियां हैं, जिन्हें दूर करना है । प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से भी मैं बात कर चुका हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री श्रीनारायण दास द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिय ।
प्रश्न यह है :

"कि श्री श्रीनारायण दास द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में बांटना

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द) : रिहन्द बांध की बिजली का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंटवारे का विवाद सब को पता है । यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है । स्वर्गीय गृह कार्य मंत्री श्री गो० ब० पन्त ने लोक सभा में कहा था कि मामला केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् को सौंप दिया गया है और वह इसका निर्णय कर देगी तथा दोनों पक्ष उसे मान लेंगे । पर इस परिषद की बैठक २ १।२ वर्ष नहीं हुई है । अतः यह मामला अनिर्णीत पड़ा है ।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस मामले में मध्य प्रदेश के साथ क्या अन्याय हुआ है । यह परियोजना इस ढंग की है कि इससे मध्य प्रदेश को पानी का कोई लाभ नहीं मिलता । साथ ही इसमें मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक त्याग किया है ।

इस परियोजना में मध्य प्रदेश के ४५ गांव चले जायेंगे, लगभग १५,००० व्यक्तियों को घर-बार छोड़ना होगा । अपने प्राकृतिक साधनों, खनिजों से हाथ धोना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घन्टे की चर्चा ।

रीवा दरबार के साथ उत्तर देश का जो करार हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले का ध्यान नहीं रखा गया था। उसके अधीन मध्यप्रदेश को २५०० किलोवाट निःशुल्क और १०,००० किलोवाट रियायती दर पर बिजली देने की बात थी।

इस बांध का बिजली के वितरण के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच समझौता हो गया था। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार सारी बिजली स्वयं इस्तेमाल करना चाहती है।

यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। बिजली के वितरण की बात को लेकर प्रान्तीयता या क्षेत्रीयता की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये और न्याय करना चाहिए।

अन्तर्राज्य विवादों के सम्बन्ध में उदासीनता से केन्द्रीय सरकार ने बहुत हानि की है। बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई नियत नियम नहीं है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे विद्युत और सिंचाई के लाभों के सम्बन्ध में अन्तर्राज्य विवादों के मामले में कुछ नियम बनाएं।

†**श्री दाजी :** माननीय उपमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में मुझे आश्वासन दिलाया था कि रिहांड डैम से उपलब्ध सारी उपलब्ध विद्युत् मध्यप्रदेश को दे दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है। यदि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो, तो मामले में क्यों देरी की जाती है ?

श्री बड़े : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की काफी जमीन इसमें चली गई है और क्या यह भी सच है कि उसको इसमें काफी नुक्सान हुआ है और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश की असेम्बली ने यह प्रस्ताव पास किया है कि जो कांट्रेक्ट हुआ है, उसके अनुसार उसको पावर मिलनी चाहिये ? रिहांदसे जो पावर पैदा होती है, वह पूरी इस्तेमाल नहीं होंती है, इसलिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पर दबाव डाला है और बाध्य किया है कि मध्य प्रदेश को पावर मिलनी चाहिए और क्या इसके बारे में मध्य प्रदेश को सरकार ने सेंटर को भी कुछ लिखा है या नहीं लिखा है ?

श्री सिंहासन सिंह : मैं .....

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछने वाले साहिबान को चाहिये था कि वह प्रायर इटीमेशन तो देते।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : रिहांड डैम की बिजली पूर्वी उत्तर प्रदेश को .....

अध्यक्ष महोदय : सवाल करने वाले जो साहिबान खड़े हो रहे हैं उनको इतनी चिन्ता जो करनी चाहिए थी क वे प्रायर नो टस ५५(५) में मुझे दे देते। सवाल करने पर मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन रूल्ज का मुतालिया करना भी जरूरी है। अगर नोटिस दिया जाये तो सबको सवाल करने का मौका दिया जा सकता है। अब मैं एक एक सवाल करने की इजाज़त दे दूंगा। लेकिन आइन्दा के लिये जो नोटिस देंगे, उनको ही सवाल करने की इजाज़त मैं दूंगा। जब आपने पढ़ा कि यू० पी० के मुताल्लिक यह सवाल है तो आपको चाहिये था कि आप नोटिस देते। अब मैं एक सवाल करने की सबको इजाज़त दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सरदार इकबाल सिंह वह कैसे रिहांड डैम में इंटिरेस्टिड हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** (फिरोजपुर) : सरकार को परियोजना मंजूर करने से पूर्व उनके लाभों के भाग के अनुपात के बारे में घोषणा कर देनी चाहिये ताकि अस्पष्टता न रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने इस प्रकार की बात रखी है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, वहां बिजली की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि उनकी मांग की पूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिए मध्य प्रदेश को देने के लिए उनके पास बिजली उपलब्ध नही है ?

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : रेंड़ एक नदी है जिसका नाम कोई नहीं जानता था। उत्तर प्रदेश ने अपनी नायर बांध योजना को छोड़ करके यह रिहांड डैम बनाना स्वीकार किया शुरू में यह २१ करोड़ की योजना थी जिस पर उसने ४२ करोड़ रुपया उसे उपयोगी और सुन्दर बनाने में खर्च कर दिया है। इसको उत्तर प्रदेश ने इसलिये बनाया है कि उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो बहुत गरीब है, जहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं वहां पर नये बनाये गये नलकूपों को बिजली दी जा सके और वहां कुछ उद्योग धंधे लग सकें और गरीबी दूर की जा सके। अब क्या मध्य प्रदेश यह चाहता है कि उसको पकी हुई रोटी में हिस्सा मिलना चाहिये ?

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं अर्ज करूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : सवाल ही कीजिये।

श्री अ० सिं० सहगल : मैं सवाल ही कर रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश की बहुत सी जमीन इस रिहांड डैम को बनाने में गई है ? क्या यह भी सच नहीं है कि जो समझौता मध्य प्रदेश की सरकार के साथ हुआ था उसमें यह तय पाया था कि जो बिजली है वह मध्य प्रदेश को बराबर दी जायेगी ? इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूं कि सरगुजा जिले की जो जमीन उसके अन्दर गई है उस जमीन के लिये मुआवजा देने के लिये क्या सरकार तैयार है ?

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सच नहीं है कि रिहांड डैम की जो स्कीम शुरू की गई थी वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही शुरू की गई थी। मैं यही जानना चाहता हूं कि वह क्या इसी आधार पर शुरू की गई थी या नहीं ?

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : माननीय सिंहासन सिंह जी ने जो एक बात मैं कहना चाहता था वह कह दी है। जब रिहांड डैम बनाया गया था तो मुख्य रूप से यह बात सोची गई थी कि दस नए पैसे यूनिटके हिसाब से पूवह्म उत्तर प्रदेश को वहां की बिजली मिलेगी। मुझे सूचना लिमली है कि किसी बड़े उद्योगपति को रिहांड डैम की बिजली दी जाएगी। क्या यह बात सही है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दो सूबों का झगड़ा है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : मैंने जो कुछ जहां कहा गया है उसे बड़ी हैरानी से सुना है क्योंकि कुछ बातें जो बहुत स्पष्ट रूप से कही गई हैं वे कभी भी विद्यमान नहीं थीं।

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : चूंकि जिन मेम्बरों ने सवाल किये हैं उनमें से ज्यादातर ने हिन्दी में किये हैं, इसलिये वे चाहते हैं कि आप हिन्दी में जवाब दें। अगर आप अंग्रेज़ी में जवाब देना चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप हिन्दी में दें।

हाफिज महम्मद इब्राहीम : मुझे हिन्दी में बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं है। जो कुछ यहां कहा गया है उस सबसे एक नतीजा निकलता है कि एक जमाना हुआ, बहुत दिन हुए कि जो कोई मुआहिदा बिजली के मुताल्लिक या और किसी बात के मुताल्लिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या जिस वक्त मध्य प्रदेश नहीं था और रियासतें थीं और जो खत्म हो गई, उनके साथ, हुआ है, वह बात सही नहीं है। कुछ बातें एक स्टेट के साथ शुरू हुईं और वे भी मुकम्मिल नहीं हुईं। वह स्टेट खत्म हुई और दूसरी स्टेट जो आई, वह भी खत्म हुई। इस तरह से कोई बात मुकम्मिल नहीं हुई और न ही उत्तर प्रदेश के साथ इस वक्त तक कोई बात मुकम्मिल हुई है।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कुछ हिस्सा जमीन का मध्य प्रदेश का इस में आया है और कुछ और चीज़ें जो आई हैं, उन सब के होते हुए इस बात से इंकार नहीं है उत्तर प्रदेश को कि उसकी बिजली मध्यप्रदेश को नहीं दी जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश मानता है कि बिजली उसको देनी है। अब जो किस्सा है वह यह है कि कितनी बिजली दी जाए। पहले २५०० किलोवाट देने की बात थी। लेकिन अब मैं उसमें नहीं जाता हूं। वे सब बातें फिजूल हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि यह तय होने में कि कितनी बिजली मध्य प्रदेश को दी जाए, देर जरूर हुई है और मेरा कसूर इसमें इतना ही है कि चूंकि मैं इस वक्त सैंटर में हूं इस वास्ते मेरा यह कसूर है, वर्ना मेरा कोई कसूर नहीं है। पहले मैं उत्तर प्रदेश में था और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले में कुछ नहीं किया। जिस वक्त यह डैम बनना शुरू हुआ था और इस पर कुछ काम हो रहा था, उस वक्त मैं वहां था और उस वक्त तक कोई बात तय नहीं हुई थी आखिरी तौर पर जिसकी बिना पर अमल किया जाता। जो भी हो, बात पूरी खत्म नहीं हुई और अब तक वह चल रही है। मामला सिर्फ इतना सा ही है कि कितनी बिजली मध्य प्रदेश को दी जाए। मैंने जैसे जवाब में अर्ज़ किया था कि जो ज़ोनल कांउसिल है, उसने यह फैसला किया है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्ज़ को मिल करके इस बात को तय कर लेना चाहिये कि कितनी बिजली मध्यप्रदेश को मिलनी चाहिये और क्या उसकी कीमत हो। इसमें देर हुई है और कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जिन मेम्बर साहब ने इस मोशन का नोटिस दिया है वह मेरे पास आए थे, मेरे पास तशरीफ लाए थे और मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया था कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि यह बात यय हो जाए, मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाए। इस बात के मुताल्लिक मैं यह बात अर्ज कर चुका हूं। लेकिन तमाम बातों को सुनकर मेरे दिमाग में एक बात आई, मुमकिन है कि मैं गलत समझा हूं, कि शायद यह ख्याल किया जाता है कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, उनको या मेरी मिनिस्ट्री को कोई इस किस्म के अख्त्यारात हासिल हैं जिनकी बिना पर मैं किसी स्टेट के ऊपर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात इम्पोज कर सकता हूं। यह ख्याल सही नहीं है। मैं अगर चाहूं कि मध्यप्रदेश की बिजली दे दूं और किसी खास कीमत पर दे दूं, तो मैं यह हुक्म नहीं करा सकता। मैं किसी की खुशामद करके, किसी से बातचीत करके, भाई-चारे के तौर पर, तय करा दूं, तो वह हो सकता है, इससे मैं इंकार नहीं करता। लेकिन यह जो ख्याल है वह गलत है। जो कुछ यहां कहा गया उसके पीछे जो ख्याल मुझे मालूम पड़ता है वह सही नहीं है।

मैं ज्यादा वक्त क्यों लूं। बेहतर यह है कि मैं यह अर्ज कर दूं . . .

श्री बड़े : जब सेंटर से ग्रान्ट दी जाती है तो आपका कण्ट्रोल रहेगा।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जो सब बातें कही गई हैं उनका जवाब इस थोड़े से वक्त के अन्दर नहीं हो सकता है। मैं ज्यादा कहने के बनिस्बत इस बात को ज्यादा मुनासिब समझता हूं साफ करना जो कि इस डिस्कशन के जरिये लाई गई है। इसलिये मैंने सब सवालों का ख्याल नहीं किया। जिन मेम्बर साहबान ने मुझ से तमाम बातों को पूछा है, अगर वे चाहेंगे तो मैं उनको इस हाउस से बाहर बतला दूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ इसके मुताल्लिक अर्ज करता हूं, जिन भाइयों को मध्यप्रदेश की फिक्र है, मैं उनकी फिक्र दूर करने के लिये अर्ज करता हूं, कि जो भी खिदमत मुझ से हो सकेगी उसे करने के लिये मैं हाजिर हूं। जो मदद मुझ से हो सकती है वह मं कर दूंगा और जहां तक मुमकिन होगा जल्द से जल्द इस मामले को तय करा दूंगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं एक या दो बातों का उत्तर देना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके बाद तो रिप्लाई का सवाल नहीं है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं एक मामले को स्पष्ट करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : रिप्लाई का कोई प्राविजन नहीं है इस हाफ ऐन अवर डिस्कशन में।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं एक मामला स्पष्ट करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने खर्च किया है . . .

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : हमें यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। मैं उन आंकड़ों के बारे में कुछ कह सकता हूं। ये आंकड़े सही हों या गलत। स्थिति वही है। मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि उन्हें जो कुछ कहा गया था इसके सम्बन्ध में चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ऐसा नहीं है कि रिहांड डैम पर उत्तर प्रदेश ने सारा व्यय किया है और मध्यप्रदेश बनी बनाई चीज़ चाहता है। यह राष्ट्रीय परियोजना है और बहुत सा धन केन्द्रीय सरकार ने व्यय किया है। यह परियोजना किसी राज्य सरकार की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब इस बात के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए।

सभा अब कल ११ बजे तक स्थगित होती है।

उस के पश्चात् लोक सभा २० जून, १९६२ ज्येष्ठ ३०, १८८४ (शक) बुधवार, के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १९ जून, १९६२

२९ ज्यष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

१५३८	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सेवा और भर्ती सम्बन्धी आदर्श नियम . . .	५३११—१३
१५३९	दिल्ली में ग्राम आवास परियोजना .	५३१३–१४
१५४०	तिब्बती शरणार्थी	५३१४—१७
१५४१	पेटन्ट प्रणाली के अन्तर्गत दवाइयों की कीमतें . .	५३१७–१८
१५४२	मैंगनीज अयस्क का निर्यात . . .	५३१८–१९
१५४३	अखबारी कागज और कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में कमी .	५३१९–२०
१५४४	पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय मछुओं का अपहरण . .	५३२०—२२
१५४५	बिहार के वन के एक भाग पर नेपाल का दावा . .	५३२२—२४
१५४६	प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में निदेशकों के रिश्तेदारों की नियुक्तियां . . .	५३२४—२७
१५४७	गोआ में शिक्षा प्रणाली .	५३२७—२९
१५४८	केनिया में भारतीय . .	५३२९–३०
१५४९	ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी . .	५३३०—३२
१५५१	आकाशवाणी के धारवाड़ केन्द्र में ट्रांसमीटर .	५३३२-३३
१५५२	कटिहार (बिहार) में शरणार्थियों का पुनर्वास	५३३३–३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

१९	यातुंग में भारतीय व्यापार अभिकरण के कर्मचारी . .	५३३४—३६
१९क	नर्मदा वेली अथारिटी के प्रधान के रूप में श्री एच० एम० पटेल की नियुक्ति	५३३६—३८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर

तारांकित प्रश्न संख्या

१५५३	गोआ में बीमा कम्पनियां	५३३८–३९
१५५४	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	५३३९
१५५५	प्रतिरक्षा मुख्यालय के लिये इमारत	५३३९–४०
१५५६	भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के बारे में दक्षिण अफ्रीका के साथ बातचीत	५३४०
१५५७	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोयले का खनन	५३४०
१५५८	गोआ से लौह-अयस्क का निर्यात	५३४०–४१
१५५९	पूर्व निर्मित मकानों की अग्रिम परियोजना	५३४१
१५६०	महात्मा गांधी के सम्बन्ध में फिल्म	५३४१
१५६१	रूस को जूतों तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात	५३४२
१५६२	जम्मू तथा काश्मीर में योजना बोर्ड	५३४२

अतारांकित प्रश्न संख्या

३४२३	स्वास्थ्य कार्यक्रमों सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र	५३४२
३४२४	उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में कागज मिल	५३४३
३४२५	उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों को हटाना	५३४३
३४२६	उत्तर प्रदेश में श्रमिक शिक्षा केन्द्र	५३४३
३४२७	महाराष्ट्र में औद्योगिक बस्तियां	५३४४
३४२८	मेंढकों का निर्यात	५३४४
३४२९	केरल में शिक्षित बेरोजगार	५३४४–४५
३४३०	उड़ीसा में मकानों के निर्माण के लिये ऋण	५३४५
३४३१	उड़ीसा में रेशम कीट पालन का विकास	५३४५–४६
३४३२	उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग	५३४६
३४३३	तोड़ने के लिये रद्दी जहाजों का आयात	५३४६–४७
३४३४	भविष्य निधि का भुगतान	५३४७
३४३५	संयुक्त राष्ट्र सांख्यकीय आयोग की बैठक	५३४७
३४३६	पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग बोर्ड	५३४७–४८
३४३७	तीसरी योजना के पहले वर्ष में राज्यों द्वारा व्यय किया गया धन	५३४८–४९
३४३८	मैट्रिक पास लोगों के नियोजन का सर्वेक्षण	५३४९

विषय पृष्ठ

प्रनों के लिखित उतर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३४३९	ग्रेजुएटों के नियोजन का सर्वेक्षण . . .	५३४९–५०
३४४०	त्रिपुरा के गांवों में मकान बनाने की योजना .	५३५०
३४४१	राष्ट्रीय कल्याण के लिये आविष्कार .	५३५०–५१
३४४२	मजूरी बोर्ड	५३५१
३४४३	पांडिचेरी में धातु के 'रीड' आयात करने के लिये लाइसेंस .	५३५१–५२
३४४४	संयुक्त राष्ट्रसंघ के भूतपूर्व महासचिव की मृत्यु पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग की रिपोर्ट	५३५२
३४४५	कांगड़ा (पंजाब) में अखबारी कागज का कारखाना .	५३५२–५३
३४४६	जाली समाचार एजेन्सियों और सिन्डीकेट .	५३५३
३४४७	देश में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनियां . .	५३५३
३४४८	गोल मार्केट इलाके में सरकारी क्वार्टरों में सुविधाएं . .	५३५४
३४४९	उत्तर प्रदेश में कागज के कारखाने . . .	५३५४
३४५०	एडिनबरा में चाय केन्द्र	५३५४–५५
३४५१	आयरिश चाय परिषद् द्वारा चाय केन्द्र का खोला जाना .	५३५५
३४५२	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	५३५५
३४५३	उड़ीसा में छोटे पैमाने के सहकारी हथकरघा उद्योग .	५३५५–५६
३४५४	उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र . . .	५३५६
३४५५	श्रीलंका और बर्मा से विस्थापित व्यक्तियों के लिये उद्योग के लिये सहायता	५३५६
३४५६	तिब्बती शरणार्थी	५३५७
३४५७	त्रिपुरा में पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी . . .	५३५७
३४५८	भारतीय परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता देने वालों को अधिकार शुल्क	५३५८
३४५९	व्यापार की उन्नति के लिये व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार (जनरल एग्रीमेन्ट आन ट्रेड एण्ड टैरिफ द्वारा स्थापित समिति	५३५८–५९
३४६०	कलकत्ता बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात . .	५३५९
३४६१	कलकत्ता बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात .	५३५९
३४६२	चीनी क्षेत्र में भारतीयों का अवैध प्रवेश . .	५३६०
३४६३	अखबारी कागज पर 'वाटर मार्किंग' . .	५३६०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३४६४	नेफा में तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	५३६१
३४६५	पश्चिमी जर्मनी को टेपियोका का निर्यात	५३६१
३४६६	अखबारी कागज के लिये प्रतिनिधि मण्डल	५३६१–६२
३४६७	पश्चिमी अफ्रीका के लिये आकाशवाणी का प्रसारण	५३६२
३४६८	क्वार्टरों का बिना बारी दिया जाना	५३६२–६३
३४६९	ब्रिटेन के लिये पारपत्र	५३६३
३४७०	उद्योगों के लाइसेन्स	५३६४
३४७१	नेफा में खाद्य उत्पादन	५३६४
३४७२	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के अध्ययन दल	५३६४–६५
३४७३	कच्चे पटसन का निर्यात	५३६५
३४७४	सिकन्दराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा गान्धी अस्पताल में रोगी की मृत्यु	५३६५–६६
३४७५	चीन-भारत सीमा विवाद पर पुस्तिकायें, आदि	५३६६–६७
३४७६	पानशेत बांध के फटने पर प्रसारण	५३६७
३४७७	भारतीय मिलों में सनफराइज़िंग क्रिया	५३६७–६८
३४७८	मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि०, भीलवाड़ा	५३६८
३४७९	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में केन्द्रीय परियोजनाएं	५३६८–६९
३४८०	दण्डकारण्य परियोजना	५३६९
३४८१	दण्डकारण्य परियोजना	५३६९
३४८२	दण्डकारण्य परियोजना	५३६९
३४८३	दण्डकारण्य परियोजना	५३७०
३४८४	दण्डकारण्य परियोजना	५३७०
३४८५	नई दिल्ली स्थित तालकटोरा बैरक्स में कार्यालय	५३७०–७१
३४८६	नेफा का विकास	५३७१–७२
३४८८	उद्योगपतियों और श्रमिकों के सम्बन्ध	५३७२
३४८९	अणुशक्ति	५३७२–७३
३४९०	औद्योगिक लाइसेन्स के लिये आवेदन	५३७३
३४९१	बकाया किराया	५३७३–७५
३४९२	हथकरघा बुनकरों के लिये सूत	५३७४
३४९३	प्रशुल्क करार	५३७४–७५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
३४९४ पेकिंग में भारतीय राजनयिक कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध .	५३७५
३४९५ अफ्रीका में भारतीय	५३७५—७६
३४९६ औद्योगिक सहकारी समितियां	५३७६
३४९७ मध्य प्रदेश में द्वारका पेपर मिल . .	५३७६—७७
३५०० पंजाब की पहाड़ियों में संचार के लिये दिया गया धन	५३७७
३५०१ सर्वोदय कार्यकर्ताओं के लिये पासपोर्ट. .	५३७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०

(१) श्री प० रा० चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पक्षाघात के महामारी रूप में फैलने के कथित समाचार की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री बागड़ी ने दिल्ली स्टेशन और कोटला फीरोजशाह में पानी की अत्यधिक कमी की ओर वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ५३८१—८३

(एक) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) चीन-पाकिस्तान सीमा वार्ता के बारे में भारत सरकार का दिनांक १०-५-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(२) भारत द्वारा अतिक्रमण के नये आरोप लगाने वाला चीन सरकार का दिनांक ३०-४-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(३) भारत का दिनांक १४-५-१९६२ का उत्तर ।

(४) भारतीय कर्मचारियों द्वारा और अतिक्रमण करने का आरोप लगाने वाला चीन सरकार का दिनांक २०-३-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(५) भारत का दिनांक २१-५-१९६२ का उत्तर ।

(६) स्पैंगर प्रदेश में भारतीय कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक ११-५-१९६२ का विरोध-पत्र ।

(७) स्पैंगर प्रदेश में नयी चीनी चौकी स्थापित करने के बारे में भारत का उल्टा विरोध-पत्र और दिनांक २१-५-१९६२ का उत्तर ।

विषय पृष्ठ

(८) चीन के आरी प्रदेश में भारतीय अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक २६-४-१९६२ का नोट ।

(९) भारत का दिनांक २६-५-१९६२ का उत्तर ।

(१०) लोंगजू क्षेत्र में भारत के अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक १९-५-१९६२ का विरोध-पत्र

(११) भारत का दिनांक २८-५-१९६२ का उत्तर ।

(१२) भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के त्रिसंगम और चीन-बर्मा सीमा संधि के बारे में चीन का दिनांक २०-११-१९६१ का नोट ।

(१३) भारत का दिनांक ३१-५-१९६२ का उत्तर ।

(१४) भारतीय अतिक्रमणों का आरोप लगाने वाला चीन का दिनांक २१-४-१९६२ का नोट ।

(१५) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

(१६) सुम्डो में चीन की चौकी के बारे में चीन का दिनांक २७-४-१९६२ का नोट ।

(१७) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

(१८) जनवरी, १९६२ में लोंगजू क्षेत्र (रोई) में चीनी अतिक्रमणों के बारे में भारत के विरोध-पत्र के सम्बन्ध में चीन का दिनांक १५-५-१९६२ का नोट ।

(१९) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

(२०) जनवरी, १९६२ में भारतीय विमान द्वारा चीनी चौकी पर फैंके गये सामान के बारे में चीन का दिनांक १७-५-१९६२ का नोट ।

(२१) भारत का दिनांक ६-६-१९६२ का उत्तर ।

(बी) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ मई, १९६२ की अधि-सूचना संख्या ८/२६/६२—आयात में प्रकाशित अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(२) कॉफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ जून, १९६२ की अधिभूचना संख्या जी० एस० आर० ७३६ में प्रकाशित कॉफी (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ ।

विषय पृष्ठ

(३) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान नमक कम्पनी लिमिटेड, जयपुर का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ५३८३–८४

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने वर्ष १९६०-६१ के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरस्थापित

(१) प्रत्यर्पण विधेयक । ५३८४–८५

(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२ ।

(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९६२ ।

विधेयक पारित ५३८६–८८

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में संशोधन के लिये प्रस्ताव ५३८८–५४०३

श्री श्रीनारायण दास ने निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२, जोकि १९-४-६२ को सभा पटल पर रखे गये थे, में संशोधन करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर भी दिया । विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद चर्चा आगामी सत्र तक के लिये स्थगित कर दी गई ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया . . .	५४०३—०९

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि सीमा शुल्क विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४

श्री विद्याचरण शुक्ल ने रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १७६ के २५ अप्रैल, १९६२ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

बुधवार २० जून, १९६२ /३० ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि :

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६२ और विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६२ पर विचार तथा पारित करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

MGIPND—LS III—1258(Ai) LS—13-11-62—1000.